खण्ड-475, अंक-3
मंगलवार, 19 माघ, शक संवत् 1932
(08 फरवरी, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 475 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
उर्दू टीचर्स की समस्या विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7
लोकायुक्त द्वारा विधायक निधि से सम्बन्धित मांगी गई सूचनाओं के सम्बन्ध में बजट भाषण के उपरान्त एक प्रस्ताव रखे जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध	7
आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की सूचना	7-8
वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (जारी)... ...	8
माननीय मुख्य मंत्री के आगमन के समय राजभवन के नजदीक स्थित मस्जिद के पास मा0 सदस्य को रोके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	8
वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	8-30
वित्त मंत्री के बजट भाषण में गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग ...	30-31
माननीय लोकायुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे शासन के ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन की अपेक्षा किये जाने के सुझाव के क्रम में शासन द्वारा कोई कार्यवाही न की जाय और इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	31-35
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	36
जनपद महामायानगर में विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में पेयजल की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
जनपद मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा मेसर्स राज बिल्डर्स के बकाया पन्द्रह लाख रुपये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद आगरा में पालीटेक्निक कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	37
जनपद वाराणसी नगर में सीवर जाम तथा ओवरफ्लो से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	38
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों एवं जले फुंके ट्रान्सफार्मरों को बदलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38

विषय	पृष्ठ-संख्या
किसान मित्रों को मानदेय भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ में बन्द महिला चिकित्सालय जो किराये पर चल रहा था उसको पुनः आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत भावलखेड़ा पैना बुजुर्ग शाहगंज, जमुही के बुजुर्गों को दो वर्ष से नियमित पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद सीतापुर के सी0एच0सी0 महमूदाबाद सी0एच0सी0 रामपुर मथुरा, सी0एच0सी0 पहला तथा अन्य पी0एच0सी0 में अंशकालिक दाईयों को तीन वर्ष से मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	40-41
मा0 सदस्य को मिल रही धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चार घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
गोरखपुर में नवजात शिशु एवं प्रसूता चिकित्सालय के ऊपर अति संक्रामक टी0बी0 चिकित्सालय बनाये जाने के जन विरोधी एवं स्वास्थ्य विरोधी निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	42-43
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम भोपा एवं विकास खण्ड मोरना स्थित तालाबों की सफाई एवं खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	43
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	43-44
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 में प्राविधान होने के बावजूद विधान सभा के उपवेशनों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	44-49
भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(3) के अनुसार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नियमानुसार चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	49
माननीय विधान मण्डल सदस्यों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन दिये जाने विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 में संशोधन करके पहली विधान सभा से ही उक्त पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	49-50

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9(1) के अन्तर्गत विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	51-52
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीनीकरणीय क्रम दायित्व के माध्यम से हरित ऊर्जा का विकास) विनियमावली, 2010 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	52
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के वार्षिक लेखे (स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता) (सदन के पटल पर रखा गया)	52
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	52
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1335/ग्यारह-9(1)/08, उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (63) 2010, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	52
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2010 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	53
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3401/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	53
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3460/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	53
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4191/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	53
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	53-55
राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	55-56
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	56
द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने विषयक संकल्प (स्वीकृत)	56-62
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध संशोधन विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	63

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	...	63
गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	...	63-64
शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	...	64
उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	...	64-65
उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	... ...	65
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	... ...	65-66
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें...	... ...	66-106
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी)...	...	106-139
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की ''लोक लेखा समिति'' ''प्राक्कलन समिति'' अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना ...	...	139-140
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	... ...	140-141

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 08 फरवरी, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-329

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय सिंह, श्री — जालौन
10. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
16. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
17. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
18. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
21. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
22. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
23. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
24. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
25. अमित गौरव, श्री — एटा
26. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
27. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
32. अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
33. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
34. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
35. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
36. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
37. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
38. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
39. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
40. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
43. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री — लखीमपुर खीरी

47. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
48. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
49. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
50. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
51. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
54. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
56. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
57. उदयराज, श्री उन्नाव
58. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
61. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
62. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
63. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
64. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
65. काशीराम, श्री रामपुर
66. कुवेर सिंह, श्री एटा
67. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
71. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
72. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
73. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
74. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
75. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
76. कैलाश साहू, श्री झांसी
77. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
78. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
79. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
80. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
81. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
82. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
83. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
84. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
85. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
86. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
87. घूराराम, श्री बलिया
88. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
89. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
90. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
91. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
92. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
93. छोटे सिंह, श्री जालौन
94. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
95. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
96. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
97. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
98. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
99. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
100. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
101. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
102. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
103. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
104. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
105. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
106. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
107. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती

108. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
109. दयाराम, श्री कौशाम्बी
110. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
111. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
112. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
113. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
114. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
115. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. दूधराम, श्री बस्ती
118. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
119. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
120. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
121. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
122. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
123. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
124. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
125. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
126. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
127. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
128. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
129. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
130. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
131. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
132. नारायण सिंह, श्री आगरा
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
136. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
137. पशुपति, श्री गाजीपुर
138. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
139. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
140. प्रजापालन, श्री एटा
141. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
142. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
143. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
144. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
145. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
146. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
147. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
148. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
149. फागू चौहान, श्री मऊ
150. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
151. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
152. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
153. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
154. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
155. बिरजू राम, श्री जौनपुर
156. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
157. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
158. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
159. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
160. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
161. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
162. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
163. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
164. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
165. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
166. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
167. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
168. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
169. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर

170. ममतेश शाक्य, श्री एटा
171. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
172. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
173. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
174. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
175. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
176. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
177. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
178. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
179. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
180. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
181. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
182. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
183. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
185. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
186. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
187. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
188. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
189. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
190. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
191. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
192. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
193. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
194. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
195. याकूब हाजी, श्री मेरठ
196. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
197. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
198. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
199. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
200. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
201. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
202. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
203. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
204. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
205. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
206. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
207. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
208. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
209. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
210. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
211. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
212. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
213. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
214. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
215. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
216. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
217. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
218. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
219. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
220. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
221. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
222. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
223. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
224. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
225. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
226. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
227. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
228. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
229. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
230. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
231. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
232. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
233. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर

234. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
235. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
236. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
237. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
238. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
239. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
240. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
241. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
242. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
243. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
244. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
245. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
246. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
247. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
248. लखीराम नागर, श्री मेरठ
249. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
250. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
251. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
252. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
253. वारिस अली, श्री बहराइच
254. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
255. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
256. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
257. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
258. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
259. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
260. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
261. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
262. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
263. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
264. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
265. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
266. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
267. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
268. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
269. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
270. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
271. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
272. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
273. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
274. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
275. शिवशंकर, श्री बलिया
276. शीशराम, श्री बिजनौर
277. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
278. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
279. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
280. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
281. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
282. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
283. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
284. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
285. संजय कपूर, श्री रामपुर
286. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
287. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
288. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
289. संध्या, कुमारी मैनपुरी
290. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
291. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
292. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
293. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
294. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
295. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
296. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
298. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
299. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ

300. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
301. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
302. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
303. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
304. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
305. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
306. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
307. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
308. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
309. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
310. सुभाष, श्री बलिया
311. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
312. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
313. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
314. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
315. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
316. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
317. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
318. सुल्तान बेग, श्री बरेली
319. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
320. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
321. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
322. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
323. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
324. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
325. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
326. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
327. हरिओम, श्री जालौन
328. हसरत उल्ला, श्री एटा
329. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

नोट :-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, शहरी नियोजन, आवास, कृषि तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण तथा अवस्थापना विकास, संस्थागत वित्त, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उर्दू टीचर्स की समस्या विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, हमने नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। मान्यवर, हजारों परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और तमाम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसमें मा0 उच्च न्यायालय का आदेश भी है। इस पर आप सदन की सारी कार्यवाही रोककर पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हमने आपकी सूचना को चयनित कर लिया है आपको हम सुन लेंगे।

लोकायुक्त द्वारा विधायक निधि से सम्बन्धित मांगी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में बजट भाषण के उपरान्त एक प्रस्ताव रखे जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल है और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, हमारी विधायक निधि के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ सूचनायें लोकायुक्त महोदय द्वारा मांगी गयी है जो उपयुक्त नहीं प्रतीत होती है। मैं इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि बजट प्रस्तुतीकरण का समय निर्धारित है आप उसके बाद मुझे अपने प्रस्ताव को रखने की अनुमति प्रदान करेंगे। मान्यवर, मैं आपको बसंत पंचमी पर्व की बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे सदन को बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-1 लेता हूं जो वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित है।

इसके प्रस्तुतीकरण के पूर्व मैं आय-व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना देना चाहता हूं।

कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2011-2012 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :-

> ''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण, और

''नहीं'' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

मा0 वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया वित्तीय वर्ष 2011-2012 का आय-व्ययक प्रस्तुत करें।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

(मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2011-2012 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण की प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

माननीय मुख्य मंत्री के आगमन के समय राजभवन परिसर में स्थित मस्जिद के पास मा0 सदस्य को रोके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, आज जब मैं विधान सभा के लिये आ रहा था तो महामहिम राज्यपाल के परिसर में स्थित मस्जिद के पास मुझे पांच मिनट के लिये रोक दिया गया। यह कहा गया कि माननीया मुख्य मंत्री जी आ रही है आप नहीं जा सकते। मान्यवर, अगर सदन में आने से एम0एल0ए0 को रोका जायेगा तो हम लोग सदन में कैसे आ पायेंगे। यह हमारे विशेषाधिकार और सदन की मर्यादा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह आपके समक्ष मान्यवर, मैं बात रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपना बजट भाषण पढ़ना जारी रखें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने अपने पहले शासनकाल से लेकर वर्तमान शासनकाल के दौरान अनेक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लेकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन आन्दोलन को नयी दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने अपने चारों शासनकालों में वैसे तो

सर्वसमाज के सभी वर्गों के हितों की ओर पूरा ध्यान दिया है, लेकिन प्राथमिकता समाज के अन्तिम सोपान पर खड़े दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को दी है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपनी सरकार के प्रत्येक निर्णय के केन्द्र में इन्हें रखते हुए इन वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सर्वोच्च वरीयता दी है।

साथ ही, देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्मे महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों, खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को विभिन्न प्रकार से अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, पार्क, जनपद, यूनिवर्सिटी एवं कालेज आदि स्थापित करके आदर व सम्मान दिया है। समाज के उपेक्षित वर्गों के मान-सम्मान के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाली इन महान विभूतियों के प्रति राज्य सरकार की यह विनम्र श्रद्धांजलि है।

हमारी सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की प्रगति और समृद्धि के लिए विभिन्न परियोजनाओं में पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर विकास का वातावरण सृजित किया है और आम जनता की उन्नति के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' की नीति के आधार पर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सर्वसमाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा प्रदेश के समस्त क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों सहित सभी वर्गों के कल्याण और समाज के उपेक्षित जरूरतमंद व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

क्षेत्रीय असन्तुलन और आर्थिक असमानताओं को दूर करने तथा प्रदेश का तेजी से विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने का अनुरोध किया गया, परन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा आशानुरूप सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। परिणामस्वरूप, हमारी सरकार ने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत, प्रदेश के विकास में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने की रणनीति अपनायी है।

हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों की समृद्धि व कृषि क्षेत्र को ठहराव से निकालने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न कृषि निवेशों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा महत्वूपर्ण फैसले लिये गये हैं। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के उर्वरकों का बफर स्टाक कायम किया गया है एवं उन्नतिशील प्रजाति के बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है और ग्रामीण इलाकों में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है।

अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना में अनुदान की धनराशि रु0 6 हजार से बढ़ाकर रु0 10 हजार की गयी है, जिससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। गन्ना किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र 2010-2011 में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में रु0 40 प्रति कुन्तल की ऐतिहासिक व अभूतपूर्व वृद्धि की है।

नौकरियों में वर्षों से बैकलाग का कोटा पूरा करना, प्रदेश के राजस्व ग्रामों में 95650 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, अट्ठासी हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, पुलिस बल में ढाई लाख नये पदों का सृजन तथा सामान्य वर्ग की भर्ती पर वर्षों से लगी रोक हटाना, रोजगार सुलभ कराने की दिशा में महत्वूपर्ण कदम है।

भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, छोटे किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाना, सरकारी निर्माण कार्यों में रु0 25 लाख तक के ठेकों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सुविधा देना, जैसे अनेक जनोपयोगी कार्य किये गये हैं।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा, उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना की गयी है। नये अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य बड़े संस्थानों की स्थपना की जा रही है।

दिल्ली से नोएडा मेट्रो रेल का परिचालन तथा ग्रेटर नोएडा तक रेल लिंक पर काम शुरू करवाना इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिनका प्रदेश की तरक्की पर निश्चय ही सीधा, सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

हमारी सरकार द्वारा महिलाओं, विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये ''महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना'' तथा ''सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना'' जैसी महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही हैं। ''सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना'' का लाभ वर्ष 2010-2011 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पालीटेक्निकों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में जनता पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाला गया है। विद्यमान कर व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाये गये हैं।

राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सूची, 2002 को संशोधित न किये जाने के कारण, ऐसे गरीब परिवारों, जो बी0पी0एल0 सूची, 2002 में सम्मिलित नहीं थे और मंहगाई के रहते अपना पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लागू की गयी और इसमें अनाच्छादित बी0पी0एल0 परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देने का प्रयास किया गया। योजना में रु0 300 प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता को रु0 400 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। यह धनराशि परिवार की महिला मुखिया को दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ताकि वह घरेलू आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सके।

सरकारी विभागों में नयी कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में हमारी सरकार ने शुरू से ही अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनके बेहतर नतीजे भी मिले हैं। प्रदेश की जनता को जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था से लाभान्वित करने के उद्देश्य से ''उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून'' को लागू करने का ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है।

इस कानून के प्रथम चरण में जनहित की ऐसी सेवाओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लोगों को दिन-प्रतिदिन रहती है। इस कानून के प्रभावी हो जाने से जनता को निर्धारित अवधि में सेवायें उपलब्ध होंगी। विचलन की स्थिति में आर्थिक दण्ड लगाये जाने का प्रावधान भी कानून में किया गया है।

इण्डो-नेपाल बार्डर से लगे प्रदेश के सात जनपद-पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के क्षेत्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। इन जनपदों के समग्र विकास हेतु उन्हें डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की भांति चयनित विकास सुविधाओं से चरणबद्ध ढंग से संतृप्त किया जायेगा तथा प्रथम चरण में सीमावर्ती विकास खण्डों में योजना क्रियान्वित की जायेगी।

इन्डो-नेपाल बार्डर की सुरक्षा हेतु सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये बजट में रु0 132 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है।

उत्तर प्रदेश को जंगलराज और गुण्डा टैक्स के माहौल से निकालकर ''कानून द्वारा कानून का राज'' देने का भरपूर प्रयास किया गया है। प्रदेश में विकास का एक सकारात्मक वातावरण व जन-सुविधाओं से भरपूर एक नया माहौल बना है। कानून-व्यवस्था से जुड़े ऐसे कई महत्वूपर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिये गये हैं व उपलब्धियां अर्जित की गयी हैं, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ राज्य में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु की गयी अनेक पहले इस बात की गवाह हैं।

मान्यवर,

सामान्य आर्थिक परिदृश्य एवं बजट के मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत करने के पूर्व, मैं इस सदन का ध्यान देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की ओर दिलाना चाहूंगा।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक का अभिवादन कमर तोड़ महंगाई के द्वारा किया गया। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों एवं किसान विरोधी मानसिकता के कारण रोजमर्रा की जरूरत की खाद्य सामग्री आम जनता की पहुंच से बाहर हो गयी है। महंगाई पर रोक लगाने की जगह केन्द्र सरकार द्वारा केवल यह बयान देकर कि यह समस्या क्षणिक है तथा कुछ दिनों में महंगाई दर नियंत्रण में आ जायेगी, यह समझ लिया गया है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गयी है, जबकि महंगाई की समस्या खत्म होने की जगह विकराल रूप धारण करती जा रही है। यह अत्यन्त दुःखद है कि केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार इसे छोटी समस्या बता कर पल्ला झाड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के ठोस कदम उठाये गये हैं। हमारी सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चावल,

दाल, खाद्य, तिलहन एवं खाद्य तेल पर स्टाक सीमा लगाई गई है। चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 31 मार्च, 2011 तक लागू की गई है। रियायती मूल्य पर प्याज, पीली मटर, चीनी एवं अरहर की दाल की बिक्री कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से की जा रही है। अप्रैल से दिसम्बर, 2010 तक प्रदेश में 30798 छापे मारे गये, 1227 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई, 486 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 1251 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया, 3964 राशन की दुकानों को निलम्बित किया गया, 2464 दुकानों के लाइसेन्स निरस्त किये गये तथा रु0 195 लाख की प्रतिभूति एवं रु0 1190 लाख की आवश्यक वस्तुयें जब्त की गईं।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

अब मैं आपके समक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति, वार्षिक योजना एवं बजट के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 5.2 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2007-2008 में प्रदेश की विकास दर 7.5 प्रतिशत रही। विश्वव्यापी मंदी की वजह से वर्ष 2008-2009 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार विकास दर 6.1 प्रतिशत रही। वर्ष 2009-2010 में प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत आंकलित हुई है।
- प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006-2007 में रु0 15865 से बढ़कर 2007-2008 में रु0 17602, वर्ष 2008-2009 में रु0 20004 तथा वर्ष 2009-2010 में रु0 23132 हो गयी है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष 2006-2007 में प्रदेश की योजना का आकार रु0 19000 करोड़ था, जो वर्ष 2007-2008 में बढ़कर रु0 25000 करोड़ हो गया। वर्ष 2008-2009 में योजना का आकार रु0 35000 करोड़, वर्ष 2009-2010 में रु0 39000 करोड़ तथा वर्ष 2010-2011 में रु0 42000 करोड़ अनुमोदित हुआ। इस प्रकार आधार वर्ष के सापेक्ष वार्षिक योजना वर्ष 2010-2011 के आकार में दो गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण हेतु अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाये गये। परिणामस्वरूप, अनुमोदित योजनाओं के सापेक्ष लगभग 98 प्रतिशत का व्यय किया गया है। वार्षिक योजना वर्ष 2011-2012 का आकार अभी योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है। अनन्तिम रूप से योजना का आकार रु0 45000 करोड़ मानते हुए बजट व्यवस्था की गई है।

बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु

- वर्ष 2011-2012 के बजट का आकार रु0 169416.38 करोड़ है जो वर्ष 2010-2011 के बजट से 10.6 प्रतिशत अधिक है।
- व्यय की नई मांगों के माध्यम से रु0 5153.16 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- बजट में अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत रु0 9722 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2010-2011 की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक है।

- कुल आयोजनागत व्यय रु0 47627.46 करोड़ प्रस्तावित है जिसमें राज्य योजना के लिए रु0 39654.88 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- बजट वर्ष में राजस्व बचत रु0 5635.04 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2010-2011 के बजट में रु0 554.40 करोड़ राजस्व बचत होने का अनुमान था।
- वर्ष 2011-2012 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97 अनुमानित है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से कम है। वर्ष 2010-2011 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 3.9 होना अनुमानित है।
- वर्ष 2011-2012 में राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 32 होने का अनुमान है, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में वर्ष 2011-2012 के लिए निर्धारित स्तर 46.9 प्रतिशत से कम है।

तेरहवां वित्त आयोग

इस सदन के समक्ष वर्ष 2010-2011 का बजट प्रस्तुत करते समय तक तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई थीं। आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार के कार्यवाही ज्ञापन सहित दिनांक 25 फरवरी, 2010 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गयी। भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में सहायता अनुदान एवं राज्य विशिष्ट अनुदान की मद में रु0 2567.97 करोड़ तथा नगरीय व ग्रामीण निकायों हेतु अनुदान रु0 1846.10 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। आपदा-राहत अनुदान की मद में रु0 308.50 करोड़ को सम्मिलित करते हुये बजट वर्ष में कुल रु0 4722.57 करोड़ की राशि प्राप्त हो सकेगी।

मान्यवर,

विभागवार उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण और उन पर चर्चा का अवसर मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विभागीय अनुदानों को प्रस्तुत करते समय प्राप्त होगा। मैं यहां पर वर्ष 2011-2012 के बजट में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगा-

सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के अन्तर्गत रु0 10084 करोड़ की बजट व्यवस्था समाज के विभिन्न दुर्बल एवं निशक्त वर्गों के कल्याणार्थ की गई है। यह वर्ष 2010-2011 की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक है।

- उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना से आच्छादित लाभार्थी परिवारों को दी जाने वाली मासिक सहायता की राशि रु0 300 को बढ़ाकर रु0 400 किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011-2012 में इस योजना हेतु रु0 1081 करोड़ की बजट व्यवस्था की जा रही है।

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु वर्ष 2010-2011 में रु0 175 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011-2012 में रु0 268 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 250 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में रु0 1440 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वर्ष 2011-2012 में रु0 1540 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 1084 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में रु0 1615 करोड़ की धनराशि से वृद्धजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2011-2012 में इस योजना के लिये रु0 1775 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के लिए प्रति परिवार रु0 30000 की सीमा तक अस्पताल में भर्ती और सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवायें, शल्यक्रिया जैसी चिकित्सा सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। वर्ष 2011-2012 में योजना हेतु रु0 131 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु एक लाख बीस हजार समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

महिला एवं बाल विकास

बजट वर्ष में महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिये रु0 4761 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2010-2011 की तुलना में 6.3 प्रतिशत अधिक है।

- महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का लाभ बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों को ही प्राप्त हो रहा है। बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों के अतिरिक्त महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में सम्मिलित लाभार्थी परिवारों को भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2011-2012 में एक लाख अस्सी हजार बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिये रु0 360 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बाल कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्री-स्कूल किट्स, मेडिसिन किट्स, वेतन, मानदेय, मशीन, साज-सज्जा आदि पर व्यय हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 2983 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पोषाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 2683 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना ''सबला'' के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार, प्रशिक्षण तथा अन्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2011-2012 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 109 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 587 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे सोलह लाख तीस हजार निराश्रित महिलायें लाभान्वित होंगी।

विकलांग कल्याण

- प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांगजन को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 365 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विकलांगजन के भरण-पोषण अनुदान योजना हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 259 करोड़ की व्यवस्था है

अल्पसंख्यक कल्याण

- पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में छत्तीस लाख पच्चीस हजार छात्र/छात्राओं को रु0 294 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये रु0 6 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 2011-2012 में रु0 50 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

बुनकर कल्याण

- बजट वर्ष में बुनकरों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य बुनकर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाओं की पहुंच के लिये आर्थिक तौर पर समर्थ बनाना है। इस योजना में बुनकर, उसकी पत्नी तथा दो बच्चों को कवर किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत पहले से ही विद्यमान सभी रोगों और नये रोगों की चिकित्सा की जा सकेगी और ओ0पी0डी0 के लिये भी पर्याप्त प्रावधान रखा जायगा।
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में पावरलूम के महत्व को देखते हुए आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास की योजना लागू की जायेगी, जिसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे पूर्णतः राज्य सेक्टर से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस निमित्त वर्ष 2011-2012 में रु0 दो करोड़ सत्रह लाख की व्यवस्था की गई है।

अवस्थापना

बिजली

विद्युत क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2011-2012 में रु0 8227 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 1267 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ऊर्जा नीति, 2009 घोषित की गयी है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं से 2000 मेगावॉट, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से 2130 मेगावाट, एम0ओ0यू0 रूट की परियोजनाओं से 450 मेगावॉट तथा केन्द्र सरकार की संस्था से क्रियान्वित परियोजनाओं से 1571 मेगावॉट विद्युत प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न क्षेत्रों से 31390 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।
- निवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में घाटमपुर, कानपुर में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वितरण व्यवस्था में सुधार की दिशा में कार्यवाही करते हुए 109 नये उप संस्थानों का निर्माण किया गया है तथा 130 उप संस्थानों की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ 457.15 सर्किट किलोमीटर लाईनों का कार्य पूर्ण किया गया।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में गैर विद्युतीकृत एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ तिहत्तर मजरों का विद्युतीकरण किया जायेगा।
- विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रदेश के चयनित शहरों में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में आगरा शहर में फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति की जा चुकी है।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में माह जनवरी, 2011 तक 2190 ग्रामों एवं 2645 मजरों को संतृप्त किया जा चुका है।
- माह दिसम्बर, 2010 तक 16362 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया है।

सड़क एवं सेतु

- वित्तीय वर्ष 2011-2012 में सड़क एवं सेतु के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव कार्यों हेतु रु0 6775 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2010-2011 की तुलना में 16.6 प्रतिशत अधिक है।

- ऐसे ग्राम, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, के समस्त असंतृप्त मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए रु0 808 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे 3500 असंतृप्त मजरों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 3400 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कराया जा सकेगा।
- ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मार्गों व लघु सेतुओं के निर्माण हेतु रु0 867 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे 2100 किलोमीटर लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 800 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जाएगा।
- ऐसे महत्वपूर्ण राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों, जिन पर यातायात घनत्व अधिक है, के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 1206 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे 1000 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
- राज्य राज मार्गों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के नये कार्यों के लिए रु0 290 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि विपणन सुविधाओं के विकास हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के नये कार्यों के लिए रु0 213 करोड़ की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

सिंचाई

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिये बजट वर्ष में रु0 5451 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल 254.15 लाख हेक्टेयर है। नहरों एवं राजकीय नलकूपों से 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 73,926 किलोमीटर लम्बी नहर प्रणाली विकसित है।
- मान्यवर, कांशीराम जी नलकूप परियोजना के अन्तर्गत नये कार्यों के लिए रु0 296 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की विभिन्न नहर प्रणालियों के निर्माण एवं उन्नयन के नये कार्यों तथा सिंचाई की अन्य नयी परियोजनाअें हेतु रु0 190 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी अवस्थापना

शहरी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत आवास, पेयजल, सीवरेज तथा नगर विकास की योजनाओं के लिये बजट वर्ष में रु0 5005 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक महत्व तथा बढ़ते हुए विस्तार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा लखनऊ के समग्र विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लखनऊ को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। अनेक महत्वपूर्ण स्थल जैसे डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डन,

मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, गौतमबुद्ध शान्ति उपवन आदि विकसित हुये हैं। परिणामस्वरूप, लखनऊ महानगर पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

- सघन आबादी तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में मल्टीलेविल पार्किंग, उद्यानों एवं पार्कों का विकास, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिये पैदल उपरगामी सेतु, मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनायें कार्यान्वित की गयी है।
- अवध की शान 'हजरतगंज' के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर हजरतगंज तथा आस-पास के क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण एवं पुनरुद्धार किये जाने पर लखनऊ की जनता द्वारा इस महान प्रयास का भरपूर स्वागत किया गया है। शहर में साफ सुथरे वातावरण और हरियाली के दायरे को बढ़ाने के लिए गोमती नगर विस्तार योजना में 500 एकड़ के खुले इलाके को विकसित किया गया और 100 पार्कों को खूबसूरत बनाया गया है।
- लखनऊ के समग्र विकास हेतु वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 564 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ताकि प्रदेश की राजधानी की गरिमा के अनुरूप सुनियोजित विकास को मूर्तरूप प्रदान किया जा सके।
- जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकता की परियोजनाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित ''मान्यवर श्री काशीराम जी नगर विकास योजना'' के लिये वर्ष 2011-2012 में रु0 148 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।
- ''आदर्श नगर योजना'' के लिए वर्ष 2011-2012 में रु0 39 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगरीय सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 49 करोड़ की बजट व्यवस्था है।
- आगरा पेयजल पूर्ति योजना के लिये वर्ष 2010-2011 में रु0 300 करोड़ के बजट के सापेक्ष वर्ष 2011-2012 में रु0 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संचालित जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के यू0जी0आई0 कार्यांश में प्रदेश के सात शहर कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा मथुरा सम्मिलित किये गये हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगरों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2010-2011 में नगरीय जल निकासी योजना प्रारम्भ करते हुए रु0 20 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2011-2012 में इस योजना के लिये रु0 39 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषणमुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 25 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

- इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के लिए रु0 125 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।
- वाराणसी नगर के विकास हेतु रु0 31 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आश्रयहीनों के लिए शेल्टर होम की स्थापना हेतु रु0 11 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवेलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 492 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे पन्द्रह हजार व्यक्तियों को आवास सहित मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायेंगी।
- स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों आदि के रख-रखाव एवं संचालन हेतु रु0 122 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीब व्यक्तियों हेतु प्रथम चरण (2008-2009 एवं 2009-2010) में 99,028 आवासीय इकाईयों का निर्माण कराया गया, जिसमें से 85,183 भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दे दिया गया है। द्वितीय चरण (2009-2010 एवं 2010-2011) में 42,489 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।
- योजना के तृतीय चरण में पचास हजार आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बजट वर्ष में योजना हेतु रु0 675 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- ''सबके लिए आवास'' योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में चालीस हजार भवनों एवं भूखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्गों के लिए नवम्बर, 2010 तक 34,349 भवनों का निर्माण तथा भूखण्डों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2011-2012 में यह लक्ष्य बढ़ाकर पचास हजार किया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक अवस्थापना-

मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दो मूलभूत आवश्यकतायें हैं। इस बजट में इन क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2011-2012 के बजट में क्रमशः रु0 19086 करोड़, रु0 6846 करोड़ तथा रु0 2146 करोड़ प्रस्तावित है जो सम्मिलित रूप से वर्ष 2010-2011 के बजट में प्राविधानित राशि रु0 23470 करोड़ से 19.6 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2011-2012 में असेवित बस्तियों में 5,000 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 1500 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।
- वर्ष 2011-2012 में 50,000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 35,000 एवं 11,000 अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की जाएगी।

- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा हेतु 454 कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2011-2012 में 292 विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जायेंगे।
- अम्बेडकर ग्रामों में स्थित 10,000 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 88 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- मध्याह्न भोजन योजना हेतु बजट में रु0 1607 करोड़ की व्यवस्था है।
- बजट वर्ष में 148 नये माडल स्कूलों की स्थापना हेतु रु0 13 करोड़ तथा सैनिक स्कूल, लखनऊ में आडिटोरियम के निर्माण हेतु रु0 13 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में कक्षा 11 की तीन लाख पचहत्तर हजार एवं कक्षा 12 की तीन लाख पैंतीस हजार इस प्रकार कुल सात लाख दस हजार छात्राओं को आच्छादित करने का लक्ष्य है, जिसमें अनुसूचित जाति की एक लाख पिचासी हजार छात्रायें सम्मिलित हैं। इस हेतु रु0 340 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 94 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बालिका विद्यालयों में छात्रावास के निर्माण हेतु रु0 85 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस हेतु बजट में रु0 108 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ में उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में की गयी है। विश्वविद्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा

- प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति की मांग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में पालीटेक्निकों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2010-2011 तक प्रदेश में 135 पालीटेक्निक निजी क्षेत्र में स्थापित हो चुके है, जिनकी प्रवेश क्षमता 33,490 है।
- सेण्टर आफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत चयनित 78 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में खोले गये 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट सब प्लान के अन्तर्गत खोले गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत बजट में रु0 4990 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- चिकित्सालयों एवं औषधालयों में औषधियों के लिये औषधि तथा रसायन की मद में रु0 381 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- बजट वर्ष में 6 संयुक्त चिकित्सालयों, 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एवं स्थापना प्रस्तावित है।
- राजकीय मेडिकल कालेजों के लिये रु0 680 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी व होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में इन्टर्नशिप कर रहे छात्रों के मासिक भत्ते को 12 वर्षों के पश्चात् रु0 1950 से बढ़ाकर रु0 7500 किया गया।
- संजय गांधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्यों हेतु रु0 110 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्यों हेतु कुल रु0 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- चिकित्सा विश्वविद्यालय में पी0जी0 की वर्तमान 108 सीटों में वृद्धि कर 185 सीटें किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बी0पी0एल0, विकलांग तथा विपन्न रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अब यह सुविधा संजय गांधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- डी0एम0 तथा एम0सी0एच0 की वर्तमान 23 सीटों को बढ़ाकर 59 सीटें किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किये जाने हेतु संस्थान में उपकरणों तथा वृहद निर्माण कार्यों के लिए रु0 125 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में वर्ष 1995 से पल्स पोलियो टीकाकरण के कई चरण आयोजित किये जा चुके है जिनके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। हम पोलियो उन्मूलन के लिये कृतसंकल्प है। प्रदेश के चार जनपदों वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ को पोलियो ग्रस्त बच्चों की करेक्टिव सर्जरी हेतु चयनित किया गया है।

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप

मान्यवर,

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों पर निर्भर है। कृषि प्रधान प्रदेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए हमने कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों की योजनाओं के लिये बजट व्यवस्था की है।

- कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये वर्ष 2011-2012 में रु0 4496 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2010-2011 की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010-2011 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए 524.11 लाख मीट्रिक टन और तिलहन के लिए 13.57 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2011-2012 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 538.25 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 14.36 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के लिए वर्ष 2011-2012 में रु0 615 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार हेतु रु0 57 करोड़ के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2010 तक 38 लाख बासठ हजार किसानों को आच्छादित करते हुए रु0 858 करोड़ की क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी गयी है।
- हमारी सरकार की प्राथमिकता गन्ना किसानों को बकाये गन्ना मूल्य का तत्परता से भुगतान कराने की है ताकि गन्ना किसानों का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। वर्तमान पेराई सत्र में 02 फरवरी, 2011 तक की स्थिति के अनुसार कुल देय गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।
- पिछले पेराई सत्र में रु0 13,250 करोड़ का रिकार्ड भुगतान गन्ना किसानों को हुआ जो इससे पूर्ववर्ती पेराई सत्र के सापेक्ष रु0 6,960 करोड़ अधिक है। फलतः गन्ना किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य पूरा हुआ।
- वर्तमान पेराई सत्र में संचालित 126 चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारम्भ हो गया है। अब तक 3481 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई हो चुकी है तथा इससे 310.42 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है।
- दलहनी फसलों के उत्पादन संवर्धन हेतु गन्ने के साथ अन्तर्फसली खेती को बढ़ावा देने के लिए रु0 50 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की गई है। भूमि में सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए रु0 8 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश में संकर बीजों के उपभोग को बढ़ावा देने की नयी योजना हेतु बजट में रु0 30 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- कृषि विपणन यार्ड के निर्माण एवं विकास हेतु रु0 88 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी की स्थापना हेतु रु0 10 करोड़ व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा विविधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु रु0 293 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

- फसली ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में रु0 3370 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक रु0 3042 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।
- किसानों को उर्वरक की ससमय पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक के अग्रिम भण्डारण हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 72 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन, तृतीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2011-2012 प्रथम सुधार वर्ष होगा। इस हेतु निर्धारित 20,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 361 ग्रामों में 23650 हेक्टेयर भूमि चिन्हांकित की गई है तथा बीहड़ सुधार कार्यक्रम हेतु निर्धारित 1,000 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1250 हेक्टेयर भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। योजनान्तर्गत बजट वर्ष रु0 177 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाया गया है। दुग्ध उत्पादकों के व्यापक हित में दुग्ध उपार्जन की गति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को रु0 101 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उदद्देश्य से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। पशुपालन की योजनाओं के लिये वर्ष 2011-2012 में रु0 475 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश मे बीस हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक प्रदेश में पन्द्रह हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2011-2012 में 37 नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 6133 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में 70 लाख परिवारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। बजट में राज्यांश के रूप में रु0 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में चार लाख पचीस हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु रु0 150 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि हेतु बजट में रु0 630 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 हेतु दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिसके निमित्त रु0 448 करोड़ की

बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे एक करोड़ साठ लाख मानव दिवस कार्य का सृजन होगा, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु पैंतीस लाख मानव दिवस कार्य सम्मिलित हैं।

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत 34 जनपदों हेतु रु0 636 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण अवस्थापना

- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु रु0 800 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 2249 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रु0 3000 करोड़ से सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जायेगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी0पी0एल0 आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित महामाया आवास योजना संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 550 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त पात्र बी0पी0एल0 आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित महामाया सर्वजन आवास योजना संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2011-2012 में रु0 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चार लाख आवास का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिये रु0 350 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को स्वच्छ शौचालय से संतृप्त करने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार एक लाख तीस हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा अन्य ग्रामों में बारह लाख तेरह हजार शौचालयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों हेतु रु0 175 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।
- ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में साठ हजार नये हैण्डपम्प, नब्बे हजार रिबोरिंग, एक लाख पचास हजार सोकपिट तथा छः सौ पाइप पेयजल योजनाओं के लिये रु0 677 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु चेक डैमों के निर्माण के नये कार्यों हेतु रु0 50 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मत्स्य विपणन अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन वर्ष 2011-2012 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 5.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने तथा पचास हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ-साथ पैंतीस लाख मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

समन्वित क्षेत्र विकास

बुन्देलखण्ड के त्वरित विकास के दृष्टिगत बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, कृषि उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बांदा में इंजीनियरिंग कालेज तथा एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना भी की जा रही है।

अम्बेडकरनगर में इंजीनियरिंग कालेज तथा एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है। आजमगढ़ में भी इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

पूर्वांचल क्षेत्र में विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिये अलग से भी रु0 291 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये रु0 109 करोड़ की व्यवस्था अलग से की गई है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रु0 62 करोड़ की लागत से 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जायेगा।

बुन्देलखण्ड की विशिष्ट योजनाओं के लिये रु0 1200 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक विकास

- अवस्थापना सुविधायें विकास प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कुंजी है। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है और अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाकर सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को विश्व-स्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने का संकल्प लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रभावी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप नीति बनायी गयी है।
- पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप नीति के अन्तर्गत विश्वस्तरीय प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क तथा पुलों के आने से प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा।
- निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना में बारा एवं करछना में तापीय विद्युत उत्पादन परियोजनायें, कानपुर एवं आगरा में इनपुट बेस्ड विद्युत वितरण फ्रैन्चाइजी का चयन, नौ शहरों में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत आठ पालीटेक्निक, छः आई0टी0आई0 की स्थापना, आगरा में इनर रिंग रोड का निर्माण, एक्सप्रेस-वे निर्माण, सड़क एवं रेलवे ओवरब्रिज नेटवर्क का उच्चीकरण, नगरीय विकास परियोजनाओं आदि की रु0 एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ करोड़ लागत की परियोजनायें चिन्हित की गयी हैं।
- प्रदेश में सड़क तथा बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से कई बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं जिनमें वर्ष 2010-2011 में रु0 9700 करोड़ का निजी पूंजी निवेश होने का अनुमान है।

- प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिये उद्यमियों को आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अनापत्ति प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण में 18 जिलों में ''निवेश मित्र'' व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।
- वर्ष 2010-2011 में माह नवम्बर, 2010 तक 22700 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई है, जिसमें रु0 2065 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा 119320 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वर्ष 2011-2012 हेतु 33,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे एक लाख तीस हजार व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हो सकेगा।
- मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को अधिक सार्थक बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना की अधिकतम ऋण सीमा रु0 5 लाख से बढ़ाकर रु0 10 लाख कर दी गई है जिससे बड़ी और सक्षम इकाइयों की स्थापना हो सके।

वन एवं पर्यावरण

- वन विभाग, अन्य राजकीय विभागों, विभिन्न संस्थाओं तथा आम जनता के सहयोग से वर्ष 2010-2011 में 80,530 हेक्टेयर क्षेत्र में 7.49 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।
- प्रदेश के 18 जनपदों में बैम्बू मिशन के अन्तर्गत बांस की विभिन्न प्रजातियों के रोपण से बांस के उत्पादन में वृद्धि कर ग्रामीण अंचलों में बांस से बनने वाली वस्तुओं पर आधारित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्धन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में 265 ग्राम वनों की घोषणा, वन प्रबन्धन एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से की गयी है।
- वनों के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों की स्थापना की गयी है। वन उत्पाद से होने वाले लाभ का अंश संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था से ग्रामवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल पूरी तरह बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या माओवादी घटना नहीं घटित हुई है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक पुलिस के 7200 से अधिक पद सृजित करते हुए 25 प्रतिशत बल की वृद्धि की गयी है। मिर्जापुर जनपद में ट्रेनिंग सेण्टर की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। नक्सलवाद के निदान हेतु नक्सल प्रभावित सीमावर्ती राज्यों से समन्वय कर एक समविष्ट कार्य योजना तैयार की गयी है।

विभिन्न राज्यों एवं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी (एन0आई0ए0) के समन्वय से आतंकवादी सूचनाओं के सम्बन्ध में ''डाटा बैंक'' अद्यतन किया जा रहा है। आतंकवादी हमलों से निपटने के लिये कमाण्डो बल भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, अनौरा, लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है।

राजस्व प्रशासन

- राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि एवं आवासहीन व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटन का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके आधार पर चिन्हांकित की गई समस्त भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व में दिलाये गये पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने का अभियान चलाया गया है।
- विधवा को, पुत्रों को समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति-पत्नी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में कुछ वर्ष पूर्व जो शुरूआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया है।
- उत्तराधिकार के वरीयताक्रम में विवाहित पुत्री को भी भाईयों एवं भतीजों के समतुल्य अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अविवाहित बहन को भी भाईयों और भतीजों के समतुल्य अधिकार दिया गया है। पितामही-पितामह को उत्तराधिकार हेतु अब तक एक श्रेणी में कर दिया गया है। अविवाहित पुत्री को पिता की कृषि भूमि में तथा माता द्वारा अन्य प्रकार से प्राप्त कृषि भूमि में भाईयों के साथ विरासत में सामान्य वरीयता प्रदान कर दी गई है।
- भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में पूर्व में अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रत्येक किसान, जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, को 33 साल के लिए रु0 बीस हजार प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी दी जायेगी जो भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। रु0 बीस हजार प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की वार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रतिवर्ष रु0 600 की निश्चित दर से वृद्धि की जायेगी। यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एकमुश्त रु0 2.40 लाख प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।

आपदा प्रबन्धन

- आपदा राहत कार्यों के लिये वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 405 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

न्याय प्रशासन

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 18 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपदों में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए रु0 106 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लम्बित वादों के निस्तारण हेतु सायंकालीन कोर्ट (ईवनिंग कोर्ट्स) चलाये जाने की योजना प्रस्तावित है जिसके लिए रु0 68 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के कतिपय न्यायालय भवनों को विरासत भवन घोषित कराकर उनके नवीकरण व विशेष मरम्मत हेतु रु0 12 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वूपर्ण योगदान है। उनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू-राजस्व आदि की वसूली होती है।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के राजस्व संग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) लागू होने के बाद कर राजस्व में आशातीत वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार द्वारा वैट की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण करने के साथ-साथ विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को युक्तिसंगत करने का प्रयास किया गया है।

वाणिज्य कर के लिए वर्ष 2010-2011 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 24,466 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011-2012 में रु0 32,000 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है।

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 6770 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011-2012 में रु0 8124 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है।

स्टाम्प एवं निबन्धन

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से वर्ष 2011-2012 में रु0 6994 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है।

परिवहन

परिवहन आयुक्त संगठन के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है, जिसके माध्यम से वाहन साफ्टवेयर संचालित कर वाहनों का पंजीयन, स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं कराधान सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

वाहन कर एवं माल तथा यात्रीकर से प्राप्ति हेतु वर्ष 2011-2012 में रु0 2330 करोड़ का अनुमान लिया गया है।

2011-2012 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2011-2012 के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियां

- वर्ष 2011-2012 में रु0 1,66,012.86 करोड़ की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में रु0 1,31,428.70 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां तथा रु0 34,584.16 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2011-2012 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 98,609.37 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 48,275.18 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय

- वर्ष 2011-2012 में कुल व्यय रु0 1,69,416.38 करोड़ अनुमानित है।
- कुल व्यय में रु0 1,25,793.66 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 43,622.72 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 2011-2012 के बजट में रु0 47,627.46 करोड़ आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2011-2012 में घाटा 3,403.52 करोड़ अनुमानित है।

राजस्व बचत

वर्ष 2011-2012 में रु0 5,635.04 करोड़ की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

वर्ष 2011-2012 में रु0 18,959.66 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।

लोक लेखा से समायोजन

वर्ष 2011-2012 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये रु0 3,900.25 करोड़ लोक लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2011-2012 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम रु0 496.73 करोड़ अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2011-2012 में प्रारम्भिक शेष रु0 751.10 करोड़ को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष रु0 1,247.83 करोड़ होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया।

मंत्रि-परिषद् के सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं।

मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री अनूप मिश्र और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2011-2012 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री के बजट भाषण में गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण मैंने सुना और पेज 34 के ऊपर जो गन्ने के ऊपर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है उसमें देखेंगे कि पिछले पेराई सत्र में रु0 13,250 करोड़ का रिकार्ड भुगतान गन्ना किसानों को हुआ जो इससे पूर्ववर्ती पेराई सत्र के सापेक्ष रु0 6,960 करोड़ अधिक है। ठीक है आपने आंकड़े दिये और यह अधिक हुआ भी है और हुआ इसलिए है कि गन्ना किसानों से संघर्ष किया और आपने मूल्य दिया क्या आप यह आश्वस्त करेंगे कि जो वर्तमान पेराई सत्र है 2010-2011 जिसमें आपने कहा है कि हमने बढ़ाकर और दिये हैं इस वर्ष गन्ना किसानों को पिछले वर्ष 6,960 करोड़ का बढ़ा हुआ भुगतान दिया क्या इस वर्ष भी बढ़ा हुआ भुगतान दे पायेंगे क्योंकि आपने अपने अनुसार गन्ने के दाम और बढ़ाये हैं। मान्यवर, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है अगर न समझ में आये तो दोबारा फिर स्पष्ट कर दूं।

आपने श्रेय लिया है कि 6,960 रुपया गन्ना किसानों को और अधिक दिया है पिछले सत्र में अब पेराई सत्र चल रहा है हर चीज के दाम बढ़े हैं तो क्या इस सत्र में भी आप इससे अधिक बढ़ाकर देंगे या इतना ही भुगतान करा पायेंगे किसानों को।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सामान्य बजट पर चर्चा होगी और उसमें बातें आयेंगी उसका जवाब दिया जायेगा। मान्यवर, इस समय यह नई प्रक्रिया कहां से शुरू हो गयी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। पूछ लीजिएगा, अभी गन्ना का बजट आयेगा, सामान्य बजट आयेगा, आपको बहुत से मौके हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने पिछले वर्ष की अपेक्षा गन्ने का दाम घटाया है बजाय बढ़ाने के और यह श्रेय ले रहे हैं कि हमने बढ़ाकर दिया है। कोई सरकार आज तक इस प्रदेश में ऐसी नहीं आई है जिन्होंने घटाया हो। 265 रुपये का भाव गन्ना किसानों ने लिया, 270 रुपये लिया और आपने इस साल क्या दिया ? अगर बढ़ाना था तो इसके ऊपर बढ़ाते। कम भी किया और श्रेय भी ले रहे हैं तो इससे यह स्थिति स्पष्ट है कि किसानों के साथ सरासर धोखा हुआ है इस बजट के माध्यम से।

माननीय लोकायुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से पूरे शासन के ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन की अपेक्षा किये जाने के सुझाव के क्रम में शासन द्वारा कोई कार्यवाही न की जाय और इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस प्रस्ताव को रखते हुए विनम्रतापूर्वक खास तौर से सभी दलीय नेताओं से आग्रह करते हुए यह खास तौर से सदन की गरिमा से जुड़ा है, सदन के विधायकों के अधिकार से जुड़ा है और मान्यवर, बहुत स्पष्ट प्राविधान है भारत के संविधान में कि चार स्तम्भों पर यह लोकतंत्र की नींव खड़ी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। मान्यवर, जब तक चारों स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते हैं कहीं कोई विभेद नहीं होता और यही लोकतंत्र भारत की पूंजी है कि आज भी यहां का लोकतंत्र पहले से ज्यादा मजबूत और उत्तरोत्तर सुदृढ़ होता जा रहा है। मैं इसको लाने के पीछे अपना मकसद स्पष्ट कर देना चाहता हूं एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए माननीय लोकायुक्त के प्रति उनके कार्यालय के प्रति एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एक भ्रम है वह दूर हो जाय। मान्यवर, जो विद्यालय रिकगनाइज्ड या जो विद्यालय रजिस्टर्ड है वह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं रह जाते वह प्रबन्ध समिति होती है जो एक तरह से कस्टोडियन होती है और वह चलाती है। यह संस्थायें स्वयं में एक व्यक्तिगत इकाई होती है। संस्थाओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है। संस्थाएं मुकदमा चला सकती है। प्रबन्ध समिति चुनाव द्वारा बदले जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त है या रिकागनाइज्ड है या ग्रान्ट-इन-एड में है मान्यवर, यह पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई है। विधान सभा क्षेत्र विकास निधि है उसमें यह प्राविधान है हम चाहें तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विकास के लिये धन दे सकते हैं। मान्यवर, एक सुझाव आया है लोकायुक्त कार्यालय से जो कल प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार हम मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जिसमें विधायकों का कहीं दूरदराज का भी सम्पर्क हो हम नहीं दे

सकते उनको कोई भी अगर सहायता करना चाहें। मान्यवर, जो हमारे क्षेत्र में है उससे हमारा सम्बन्ध और सम्पर्क तो रहेगा ही और अगर इस तरह से कर दिया जायेगा तो विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के हमारे अधिकारों का हनन होगा। मान्यवर, इसके लिये अभी कहा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कि 600 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था की गई है तो यह पूरी तरह पारित होता है इसी सदन से और यह सदन की सम्पत्ति बनता है और उसी के आधार पर सुझाव देने का अधिकार होता है। मेरा यह कहना है मान्यवर, कि परम्परा रही है देश की लोकसभा या विधान सभा कोई नियम बनाती है या कोई नियम के लिये आवंटन करती है तो विधायिका के किये गये कार्यों को, अगर न्यायपालिका उसकी नीति में, नियम में संशोधन भी करना चाहती है तो वह सुझाव नहीं देती। जो हम नियम बना देते हैं जो हम कानून बना देते हैं, माननीय लोक सभा या विधान सभा के बनाये कानून को किस तरह इन्टरप्रेट किया गया है यह अधिकार न्यायालयों को है। सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट और विभिन्न न्यायालयों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि वह इसे हमेशा आदर देते हैं। इसी तरह से और संस्थायें भी देती हैं। लेकिन मान्यवर, मैं मानता हूं कि यह सुझाव देकर, कि आप अपने कानून में परिवर्तन कीजिये, नियमावली में परिवर्तन कीजिये और स्वयं कहिये कि हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। यह गाइडलाइन हमें कोई और संस्था दे, इसे मैं विधायिका के अधिकार का हनन मानता हूं और विधायकों के अधिकार का हनन मानता हूं। इसलिये मान्यवर, मैं एक बहुत मासूम सा स्पष्टीकरण लाया हूं, बहुत ही साधारण है, कहीं किसी के प्रति न अवमानना है केवल एक भ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास है। मैं इसे पढ़ देता हूं। मैं सभी से आग्रह कर लेता हूं कि यदि उचित समझें तो इसे पारित कर दें।

माननीय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये कतिपय प्रकरणों के अन्वेषण के दौरान माननीय लोकायुक्त द्वारा शासन के ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन की अपेक्षा की गई है, जो उनके विधिक क्षेत्राधिकार से परे है और चूंकि माननीय लोकायुक्त शासन को तत्संबंधी नियमों में अथवा विधिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कोई सुझाव देने अथवा शासन से इस प्रकार की अपेक्षा करने की शक्ति धारित नहीं करते हैं अतः यह सदन प्रस्ताव करता है कि माननीय लोकायुक्त द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में शासन द्वारा कोई कार्यवाही न की जाये और इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें। मान्यवर, मैंने सिर्फ एक आग्रह किया है इसके माध्यम से मैं विधायिका के सम्मान, विधायिका की गरिमा, विधायकों के अधिकार की रक्षा के लिये प्रस्ताव लाया हूं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसको सभी की सहमति मिलनी चाहिये, सभी का आदर मिलना चाहिये। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। मान्यवर, हम लोकायुक्त के प्रति सम्पूर्ण आदर का भाव रखते हैं। मैं समझता हूं कि न कोई हमें गाइडलाइन दे सकता है या हमें विवश कर सकता है कि हम अपनी नियमावली बदलें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव की पूरी भूमिका, उसका पूरा सन्दर्भ, लोकायुक्त कार्यालय द्वारा क्या कहा गया, शासन का क्या मत है, क्या आवश्यकता है, यह सब विधिक पहलू की जानकारी न तो मुझे है और न मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष कल नहीं थे तो उनको भी नहीं होगी। यह बात सही है कि विधान सभा कोई कानून बनाये, कोई नियम बनाये

विधायकों के हित के लिये, क्षेत्र के विकास के लिये, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कोई अन्य संस्था करे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। लेकिन लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है, एक गरिमामय संस्था है, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों पर नियंत्रण करने का अधिकार रखने वाली संस्था है। इसलिये जहां तक तिवारी जी ने कहा है, उससे असहमत होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन जब तक सारी बातों को जान न लिया जाय, तब तक पूरी तरह से सहमत होना भी संभव नहीं है। मान्यवर, हम अपने अधिकार की रक्षा करें यह तो ठीक है लेकिन हम अपने अधिकार का दुरुपयोग करें, इस पर भी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। विधायक निधि बहुत ही सार्थक, बहुत ही उपयोगी, विकास के लिये व्यवस्था है लेकिन इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि इसका अनेक प्रकार से कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया गया है जिसके कारण से विधायकों की छवि भी बिगड़ी है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर कोई अग्रिम कार्यवाही करने से पहले आप दलीय नेताओं की एक बैठक बुला लें। उसमें कार्य मंत्रणा समिति के मा0 सदस्यों को बुला लें और मा0 मंत्री जी को भी बुला लें। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ मा0 सदस्य इस निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे पूरे सदन की छवि बिगड़ गई है, मैं चाहता हूं कि इस पर भी अंकुश लगाने का काम हम इसी समय करें। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि यह निधि समाप्त हो या इस निधि पर अंकुश लगे क्योंकि अधिकांश विधायक इस निधि के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा हो, आज कुछ लोगों के कारण से वातावरण बिगड़ रहा है, सदन की छवि बिगड़ रही है। सब सदस्य ऐसे नहीं हैं काफी मा0 सदस्य अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के कारण से सदन की छवि बिगड़ रही है। मैं उदाहरण के लिये कहूं इस बात को हर सदस्य जानता है लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है कि इस विधायक निधि का 20 से 25 प्रतिशत धन केवल निर्माण एजेन्सियां ले रही है। जिस एजेन्सी को बनाया जायेगा वही तीन-चार प्रतिशत अपना फिक्स कर ले रहा है। क्योंकि उन्हें ही इस्टीमेट पास करना है जो इस पर आपत्ति करता है उसका इस्टीमेट ही नहीं बन रहा है। इस तरह की जो बुराइयां पनप रही है मान्यवर, इसी समय इन सारे बिन्दुओं पर विचार करके माननीय लोकायुक्त को आवश्यक जवाब देने के लिये प्रस्ताव लायें और जो बुराइयां पैदा हुई हैं जिसके कारण पूरे सदन की छवि बिगड़ रही है उन बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिये भी आवश्यक प्रस्ताव आये। यह सन्दर्भ आया है इस पर कोई अंकुश लगे, दूसरा लगाये, लगवाये, यह मुझे स्वीकार नहीं है लेकिन एक बार मान्यवर, सभी दलीय नेताओं की बैठक बुला लें, मा0 मंत्री जी को बुला लें और सारे प्रकरण पर विचार कर लें तब इस प्रस्ताव पर विचार करें, यह मेरा आग्रह है। बिना पूरी जानकारी के हम प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ है।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, मैं मा0 प्रमोद तिवारी जी के इस प्रस्ताव से सहमत हूं। जहां तक सवाल हमारे अधिकारों का है, लोकायुक्त के यह अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह विधान सभा की गाईडलाइन को बदलने के लिये निर्देश दें। अगर सम्बन्धित नियमावली में कोई बदलाव लाना है तो वह बदलाव यह सदन लाये सरकार लाये लेकिन बाहर से आकर मा0 लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से यह बाहर का मामला है।

डॉ0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी एक प्रस्ताव सदन के समक्ष लाये हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि विधायकों के सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति मा0 तिवारी जी सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं। जो विषय आज की तारीख में है विधायक निधि या क्षेत्र विकास निधि, मान्यवर, इसको लेकर अक्सर विधायकों के ऊपर तरह-तरह के आरोप लगते रहते हैं। मैं बिहार सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूं और बिहार में यह क्षेत्र विकास निधि समाप्त कर दी गई है और इस निधि को समाप्त करने का हर तरफ से स्वागत किया गया। निधि क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है लेकिन वहीं पर हमारी यह चिन्ता भी होनी चाहिये कि यदि इस निधि का दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग होने की वजह से मा0 तिवारी जी मैं यह कह रहा था कि कल नेता प्रतिपक्ष नहीं थे हमारे संज्ञान में नहीं है। लोकायुक्त एक संवैधानिक संस्था है और अगर लोकायुक्त के द्वारा कोई सुझाव आया हुआ है तो वह हमारे आपके ऊपर मैन्डेटरी नहीं है। सुझाव के ऊपर दलीय नेता बैठ करके उसके जो विभिन्न पहलू है उन पर विचार करके निर्णय ले सकते हैं क्योंकि जो गाइड लाइन्स बनती है क्षेत्र विकास निधि को खर्च करने की, उस गाइड लाइन्स के बाद में यहां पर विस्तार से चर्चा नहीं होती है, वह गाइड लाइन्स अलग से बनती है इसलिये मेरा भी मानना यही है कि यदि लोकायुक्त का सुझाव आया है तो उस पर अलग से दलीय नेताओं की बैठक करके उस पर निर्णय लिया जाना चाहिये।

श्री अब्दुल कलाम-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट अभी यहां पढ़ा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बुनकरों की हालत बहुत खराब हो गई है उनके कारोबार बन्द पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जब चर्चा होगी तब अपनी बात बोलियेगा। अभी जो यहां तिवारी जी का प्रस्ताव आया है उस पर अपने विचार रखें।

श्री अब्दुल कलाम-

मान्यवर, बुनकरों की हालत बहुत ही खराब है, सूती फैक्ट्रियां बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी तो आप विधिवत बोलिये, मैं पक्षधर हूं आप बुनकर समस्या के बारे में बोलियेगा। अभी अगर आप तिवारी जी के प्रस्ताव के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। मा0 प्रमोद तिवारी जी ने हमारी विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त है उसके संदर्भ में लोकायुक्त ने ग्राम्य विकास विभाग को एक पत्र लिखा है कि आप गाइड-लाइन्स को संशोधित कर दीजिये और जिस तरह से संसद का है उसी तरह से विधान सभा का भी बनायें। उसी पर तिवारी जी एक प्रस्ताव लाये हैं क्या लोकायुक्त महोदय को जो हमारी गाइड लाइन्स विधान सभा के द्वारा बनी है, कैबिनेट द्वारा पास है उसमें संशोधन कराने के लिये निर्देश देने का अधिकार है या नहीं, केवल इतनी बात है।

विधायक निधि का दुरुपयोग होना, विधायक निधि का खत्म होना, आप कोई प्रस्ताव लायें चर्चा कर लें पवित्रता उसकी बना दें। यहां केवल प्रस्ताव आया है कि क्या इस गाइड लाइन्स में लोकायुक्त को संशोधित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। केवल एक लाइन का प्रस्ताव है। विधायक निधि का कितना दुरुपयोग हो रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है उसके विषय में अगर हमारे बहुत से विद्वान साथी चिन्तित हैं तो वह लायें।

श्री इकबाल महमूद-

लोकायुक्त का प्रस्ताव है या आदेश है ?

श्री अध्यक्ष-

एक निर्देश आया है कि गाइड लाइन्स में संशोधन करिये।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, यह तो सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप है तथा मा0 विधायकों की गरिमा से जुड़ा हुआ है और यह अवमानना की परिधि में भी आता है। मा0 लोकायुक्त का सम्मान है, संवैधानिक पद है, लेकिन जहां तक विधायिका का सवाल है, यहां नियम बनते हैं और पारित होते हैं इसलिये तिवारी जी का प्रस्ताव विचारणीय है इस पर विचार किया जाना चाहिये।

डॉ0 आर0ए0 उस्मानी-

मा0 प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बिल्कुल ठीक है। विधायक निधि का पूरा सदुपयोग हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, उसका कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी संस्था हाउस को निर्देश नहीं दे सकती है इसलिये इसको पास किया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है माननीय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये कतिपय प्रकरणों के अन्वेषण के दौरान माननीय लोकायुक्त द्वारा शासन के ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन की अपेक्षा की गई है, जो उनके विधिक क्षेत्राधिकार से परे है और चूंकि माननीय लोकायुक्त शासन को तत्संबंधी नियमों में अथवा विधिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कोई सुझाव देने अथवा शासन से इस प्रकार की अपेक्षा करने की शक्ति धारित नहीं करते हैं अतः यह सदन प्रस्ताव करता है कि माननीय लोकायुक्त द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में शासन द्वारा कोई कार्यवाही न की जाये और इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 फरवरी, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना डॉ0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में पेयजल की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की जनपद मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा मेसर्स राज बिल्डर्स को बकाया पन्द्रह लाख रुपये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डॉ0 राजेन्द्र सिंह की जनपद आगरा में पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद वाराणसी नगर में सीवर जाम तथा ओवर फ्लो से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री छत्रपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों एवं जले फुंके ट्रांसफार्मरों को बदलने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की किसान मित्रों को मानदेय भुगतान कराने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ में बन्द महिला चिकित्सालय जो किराये पर चल रहा था उसको पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भवाल खेड़ा की न्याय पंचायत भवाल खेड़ा, पैना बुजुर्ग, शाहगंज, जमुही के बुजुर्गों को दो वर्ष से नियमित पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के सी0एच0सी0 महमूदाबाद सी0एच0सी0 रामपुर, मथुरा, सी0एच0सी0 पहला तथा अन्य पी0एच0सी0 में अंशकालिक दाइयों को तीन वर्ष से मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी की मा0 सदस्य को मिल रही धमकियों को दृष्टिगत रखते हुये एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री लालजी यादव की जनपद सिद्धार्थनगर के बॉसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चार घन्टे बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में नवजात शिशु एवं प्रसूता चिकित्सालय के ऊपर अति संक्रामक टी0बी0 चिकित्सालय बनाये जाने के जन विरोधी एवं स्वास्थ्य विरोधी निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम भोपा एवं विकास खण्ड मोरना स्थित तालाबों की सफाई एवं खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।

स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।

जनपद महामायानगर में विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में पेयजल की खराब गुणवत्ता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल चौधरी-

[जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ 'डार्क' घोषित विकास खण्ड है। उपरोक्त दोनों विकास खण्डों के ग्राम-मजरों में पेयजल की गुणवत्ता मानकों के विपरीत है। ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे द्वारा जनपद के अधिकारियों एवं शासन के अधिकारियों को लगातार इन दूषित पेयजल वाली आबादियों को टी0टी0एस0पी0 योजना से संतृप्त कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी भी सादाबाद विकास खण्ड की लगभग 102 एवं सहपऊ विकास खण्ड 163 बस्तियां इस योजना से वंचित हैं।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा मेसर्स राज बिल्डर्स के बकाया पन्द्रह लाख रुपये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग द्वारा मौहम्मदपुर मांडल नाले पर कार्य कराये जाने हेतु निविदायें वर्ष 2006 में मांगी गई थीं, जिसमें मैसर्स राज बिल्डर्स की निविदा स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत होने के पश्चात् अनु0 सं0 95ईई/2006-07 धनराशि 3370056.00 अनु0 सं0 96ईई/2006-07 धनराशि 1494452.00 व अनु0 सं0 97ईई/2006-07 धनराशि 1971994.00 राज बिल्डर्स से किया गया था। उक्त निविदाओं में लगभग 68.00 लाख रुपये का कार्य कराये जाने का अनुबन्ध किया गया था। मेसर्स राज विल्डर्स द्वारा समय सीमा अवधि में उक्त कार्यों को पूरा करके दिया और अपने बकाया भुगतान हेतु औपचारिकताएं पूरी करके बिल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2006-07 से अभी तक मैसर्स राज बिल्डर्स का भुगतान लगभग 15-00 लाख रुपया (पन्द्रह लाख रुपया) का विभाग द्वारा नहीं किया गया है और कार्यदायी संस्था को अवशेष भुगतान की धनराशि न देने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मैसर्स राज बिल्डर्स को उनके बकाया लगभग 15-00 लाख रुपया (पन्द्रह लाख रुपया) का भुगतान कराये जाने हेतु सम्बन्धित सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद आगरा में पालीटेक्निक कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद के वि0खं0 क्षेत्र फतेहाबाद टेक्टनीकल शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर पोलीटेक्नीक कालेज की स्थापना जनहित में लोकमहत्व की दृष्टि से अति आवश्यक है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद वाराणसी नगर की सीवर जाम तथा ओवरफ्लो से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, इस समय वाराणसी में पार्षदों का सर्वदलीय धरना नगर निगम प्रांगण में चल रहा है, जिसके अनशन में बदले जाने की घोषणा हो गई है। इस समय सम्पूर्ण वाराणसी नगर सीवर जाम तथा ओवरफ्लो की समस्या से ग्रस्त है, विभिन्न जगह सड़कों पर सीवर का गन्दा पानी जमा है, जिस पर महिलायें, बच्चे तथा समस्त राहगीर चलने को बाध्य है। बारम्बार सफाई करने की विभिन्न जगहों की मांग के बाद भी सफाई की त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है। जनता अपने को बहुत विपन्न व असहाय महसूस कर रही है। जनता का यह असंतोष आगे किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त समस्या के त्वरित निदान हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों एवं जले फुंके ट्रान्सफार्मरों को बदलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री छत्रपाल सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी जनपद बरेली के क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों तथा खराब विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

बहेड़ी विधान सभा अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल सेंमीखेड़ा तथा उ0प्र0 सहकारी कताई मिल हरसूनगला व केसर इण्टर प्राइजेज बहेड़ी आदि मिले हैं तथा लगभग 100 राइस मिलों से आच्छादित इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मात्र 8 घण्टे की है जो इस औद्योगिक क्षेत्र के लिये न केवल अपर्याप्त है बल्कि कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। आये दिन जर्जर व पुरानी विद्युत लाइनों के टूटने से दुर्घटनायें होती हैं, ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं। खराब विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की असमर्थता जताकर स्थानीय अधिकारी पीड़ित उपभोक्ताओं से माफी मांगते रहते हैं। पड़ोसी उत्तराखण्ड में इस क्षेत्र के किसान व मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका विद्युत आपूर्ति की भी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के जर्जर विद्युत लाइनों, जले एवं फुके ट्रान्सफार्मर को बदलने तथा कम से कम 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान मित्रों को मानदेय भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

[महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि किसान मित्र योजना सन् 1993 में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही थी। पता नहीं किन परिस्थितियों में इस योजना को उ0प्र0 शासन द्वारा बीच-बीच में बिना किसी पूर्व सूचना के इस योजना में कार्यरत किसान मित्रों के मानदेय का भुगतान रोक दिया जाता है। जबकि किसान-मित्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्व की भांति करता आ रहा है।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि सन् 2007-2008 में किसान मित्रों के मानदेयों का भुगतान 16 माह तक लगातार किया गया लेकिन सन 2009-10 में केन्द्र द्वारा मानदेय बजट की धनराशि उप कृषि निदेशक को प्राप्त होने के बावजूद भी किसान मित्रों का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इससे किसान मित्रों में घोर निराशा हो रही है। प्रशासन द्वारा किसान मित्रों की उपेक्षा का मूल कारण यह है कि कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जो धनराशि आती है उसकी जानकारी किसान मित्र किसानों को दे देते हैं। जिससे प्रशासक सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान की धनराशि को आपस में बन्दर बांट नहीं कर पाता। अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्रों के बकाया मानदेय 2009-10 के भुगतान हेतु शासन के पत्र संख्या 2524/122-2010 दिनांक 23-7-2010 द्वारा अनुदान संख्या-11 सामान्य मद में धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है फिर भी इलाहाबाद जनपद के 1425 किसान मित्रों का वेतन मात्र 4 माह का दिया गया है बाकी बकाया है का भुगतान नहीं हो पाया है।

अतः लोक महत्व के निश्चित प्रश्न पर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल किसान मित्रों के बकाया वेतन (मानदेय) भुगतान किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ में बन्द महिला चिकित्सालय जो किराये पर चल रहा था उसको पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नये भवन में स्थापित कर दिया गया है और पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन वर्तमान में खाली है जो कि सरकारी जमीन पर है। पूर्व में सिकन्दराराऊ में महिलाओं की चिकित्सा हेतु महिला चिकित्सालय किराये के मकान में चल रहा था जिसे अब बन्द कर दिया गया है जिससे महिलाओं की चिकित्सा अब नहीं हो पा रही है। अब महिला चिकित्सालय की सुविधा अलीगढ़ जोकि 46 कि0मी0 दूरी पर है और एटा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

35 कि0मी0 दूर तथा हाथरस 32 कि0मी0 दूर है, इसलिये महिलाओं को चिकित्सा हेतु अब सिकन्दराराऊ से 32 से 40 कि0मी0 की दूरी तय करने पर ही उपलब्ध हो सकती है। काफी समय से सिकन्दराराऊ की जनता द्वारा सिकन्दराराऊ के पुराने स्वास्थ्य भवन में महिला अस्पताल को पुनः चालू किये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक जिला प्रशासन एवं शासन की उदाशीनता के कारण महिलाओं की चिकित्सा हेतु महिला चिकित्सालय को पुनः चालू नहीं किया जा रहा है। जिससे सिकन्दराराऊ के निवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के इस प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिकन्दराराऊ के पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में महिला अस्पताल खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल खेड़ा की न्याय पंचायत भावल खेड़ा पैना बुजुर्ग, शाहगंज, जमुही के बुजुर्गों को दो वर्ष से नियमित पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावल खेड़ा की न्याय पंचायत (1) भावल खेड़ा (2) पैना बुजुर्ग (3) शाहगंज (4) जमुही के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश लोगों में वृद्धावस्था पेंशन 6 माह से 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बांटी गई है जो वृद्धजन मात्र 300 रुपये माहवार में अपना गुजारा करते हैं उनको इतना धन भी नियमित न मिले, तो निश्चय ही उनके सामने भुखमरी का संकट है, पेंशन न मिलने के लिये कौन जिम्मेदार है यह भी चिन्हित होना चाहिये।

इसी प्रकार ब्लाक ददरौल के घुसगवां न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में भी अधिकांश वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन पिछले एक वर्ष से अधिक समय से नहीं मिली है, किन कारणों से पेंशन का भुगतान नहीं हो सका यह भी खुलासा होना चाहिये।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों ब्लाकों की न्याय पंचायतों के ग्रामों के वृद्धजनों को पेंशन वितरण करवा दें।]

जनपद सीतापुर के सी0एच0सी0 महमूदाबाद, सी0एच0सी0 रामपुर मथुरा, सी0एच0सी0 पहला तथा अन्य पी0एच0सी0 में अंशकालिक दाइयों को तीन वर्ष से मानदेय न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर में सी0एच0सी0 महमूदाबाद, सी0एच0सी0 रामपुर मथुरा, सी0एच0सी0 पहला/अन्य पी0एच0सी0 में कार्यरत अंशकालिक दाइयों को उनके काम के बदले विगत तीन वर्षों से मानदेय नहीं दिया जा रहा है जबकि आज भी वह अपना कार्य कर रही हैं। उक्त दाइयों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के मानदेय न मिलने से उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं उन लोगों में काफी रोष व्याप्त है तथा आन्दोलित हैं।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से शीघ्र मानदेय दिलाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

मा0 सदस्य को मिल रही धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 आर0ए0 उस्मानी-

[महोदय, मैं अति लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 55 श्रीनगर विधान सभा से मैं डॉ0 आर0ए0 उस्मानी विधायक हैं। दिनांक 19 जनवरी, 2011 को मेरी पत्नी के मोबाइल नं0-9415234003 पर मोबाइल नं0 9045637470 से काल आई, तथा 20-1-2011 को मेरी पत्नी के इसी नम्बर पर 6335361131 से काल आई काल करने वाले ने धमकी दी है जिसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 24-1-2011 को कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज कराई गई है। किन्तु अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पूर्व भी दिनांक 24-2-2001 को कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में दर्ज कराई गई है। किन्तु अभी सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है इससे पूर्व भी दिनांक 24-2-2008 तथा दिनांक 10-3-2008 को हजरतगंज, लखनऊ कोतवाली में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया था तथा लखीमपुर कोतवाली में भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई थी, जिसमें अभियुक्त जमानत पर छूट चुके हैं जिसमें मुझे तथा मेरे परिवार को जान-माल का खतरा बना हुआ है। मुझे एक्स श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए एक्स श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की मांग तथा उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चार घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव-

[महोदय, मैं अति लोकमहत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान का आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसी जनपद-सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है बिजली कभी कभी 4 घण्टे की सप्लाई होती है और अभी कुछ भी नहीं मिल पाती है। बांसी शहर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कामर्शियल बिजली की सप्लाई होती है और बिजली शहर के लोगों को मिलती ही नहीं है। खेशरहा ब्लाक में 8-10 घण्टे बिजली की सप्लाई देते हैं और इस तरह से बांसी बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है शहर आस पास क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई न के बराबर होती है जिसमें क्षेत्रीय जनता परेशान रहती है उनके फसल की सिंचाई आदि का कार्य बाधित हो जाता है। बच्चों के शिक्षण कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में बिजली की सप्लाई कम से कम 12-14 घण्टे की आवश्यकता है। इस तरह से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित एवं आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सदन की कार्यवाही रोककर वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर में नवजात शिशु एवं प्रसूता चिकित्सालय के ऊपर अति संक्रामक टी0बी0 चिकित्सालय बनाये जाने के जन विरोधी एवं स्वास्थ्य विरोधी निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[गोरखपुर में एक क्षय-रोग (टी0बी0) का अन्तरंग चिकित्सालय बनाया जाना प्रस्तावित है, इसके लिये प्रथम चरण में रु0 5 करोड़ अवमुक्त भी कर दिये गये हैं। लेकिन अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समस्त चिकित्सीय सिद्धान्तों की अवहेलना करके, गोरखपुर महानगर में निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने के बावजूद यह चिकित्सालय गोरखपुर के दो मंजिली महिला चिकित्सालय के ऊपर तीन मंजिलों के रूप में स्थापित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह नवजात शिशुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ है। नवजात शिशुओं की क्षय रोग के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती है और प्रसूता एवं नव प्रसूता महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम होती है। क्षय रोग के हर 4 में से 1 मरीज अति संक्रामक होता है और ऐसे में यदि शासन के इस अविवेकपूर्ण एवं मान्य तथा तद्स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों के बावजूद टी0बी0 चिकित्सालय बनाये जाने से नवजात शिशुओं या नव-प्रसूता महिलाओं में क्षय रोग की बीमारी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी शासन की होगी।

दुःखद तथ्य यह है कि क्षय-रोग चिकित्सालय के निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध होने के बावजूद यह निर्णय लिया जा रहा है। गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी मूल्य के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने की लिखित सहमति दे चुका है और शासन के संज्ञान में यह तथ्य होने के बावजूद न जाने किन कारणों से यह निर्णय लिया गया है।

गोरखपुर महानगर में ही चारु चन्द्र दास मेमोरियल टी0बी0 महिरंग चिकित्सालय के पास सोनौली रोड पर राजेन्द्र नगर के आगे मुख्य मार्ग पर करीब 6 एकड़ जमीन उपलब्ध है। एक समिति इसका संचालन करती है, जिसके अध्यक्ष मण्डलायुक्त गोरखपुर है तथा सचिव एक टी0बी0 चिकित्सक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। दोनों ने ही समाचार पत्रों में सार्वजनिक बयान दिया है कि यदि शासन इस जमीन पर 100 विस्तर के टी0बी0 चिकित्सालय के लिये जमीन मांगती है और उसका नाम चारु चन्द्र मेमारियल जिला टी0बी0 चिकित्सालय करती है तो वे अपनी जमीन निःशुल्क शासन को देने के लिये तैयार है। लालफीताशाही के इस दौर में शासन से चारु चन्द्र दास ट्रस्ट के अध्यक्ष मण्डलायुक्त गोरखपुर को पत्र लिखकर निःशुल्क जमीन लेने की कार्यवाही करने की जगह पर महिला चिकित्सालय के उपर ही टी0बी0 चिकत्सालय बनाने का निर्णय जन विरोधी है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सरकार को सदन में वक्तव्य रखने के लिये निर्देशित किया जाय।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम भोपा एवं विकास खण्ड मोरना स्थित तालाबों की सफाई एवं खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती मिथिलेश पाल-

[जनपद मुजफ्फरनगर के निम्नलिखित कार्य कराया जाना आवश्यक है।

1-ग्राम भोपा में ग्राम के बीच से दूबी तालाब है जिसकी खुदाई सफाई व पानी की निकासी नरेगा से नहीं कराई जा सकती, क्योंकि तालाब गहरा है, मशीन से उक्त कार्य कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त तालाब की खुदाई व सफाई व पानी की निकासी जनहित में कराया जाना आवश्यक है। पानी की निकासी न होने से जनहानि हो सकती है।

2-विकास खण्ड-मोरना के ग्राम अथाई में ग्राम के बीच स्थित तालाब की खुदाई व सफाई मशीन द्वारा कराया जाना जरूरी है, तालाब का गन्दा पानी ग्रामवासियों के घरों में भर जाता है। अतः जनहित में उक्त तालाब की खुदाई व सफाई कराने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त जनहित के कार्यों को अविलम्ब कराये जाने की मांग करती हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 फरवरी, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखत 6 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रमोद तिवारी तथा डॉ0 आर0ए0 उस्मानी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 में प्रावधान होने के बावजूद विधान सभा के उपवेशनों की संख्या कम होने के विषय में है। दूसरी सूचना डॉ0 राजेन्द्र सिंह की 'भारत का संविधान-176 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-19(3) के अनुसार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नियमानुसार चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की माननीय विधान मण्डल सदस्यों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन दिये जाने विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-1

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा जारी शासनादेश, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 में संशोधन करके पहली विधान सभा से ही उक्त पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री जोखू लाल यादव की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-9 (1) के अन्तर्गत विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-14 में प्राविधान होने के बावजूद विधान सभा के उपवेशनों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम-300 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया। पहले भी इस विधान सभा में इस प्रकार का औचित्य का प्रश्न उठाया गया था मैं सोचता था कि यह सरकार, नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे और सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस सदन को नियमानुसार चलायेंगे। इस नियमावली का पालन करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है और सत्तापक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जी इसको अपने तरीके से यहां परिभाषित कर लेंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। मैंने अपनी नोटिस में विशेष रूप से जब से यह सरकार आई। तबसे कितने-कितने दिन सदन चला, इसका मान्यवर, मैंने उल्लेख किया है। मान्यवर, मई 2007 में जब से यह सरकार आई है तब से पिछले साल तक किस-किस वर्ष में सदन का सत्र कितने-कितने दिन सदन चला, मैं बताना चाहता हूं। मई, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक में 22 दिन मात्र सदन का उपवेशन हुआ। वर्ष 2008 में 22 दिन, वर्ष 2009 में 13 दिन, वर्ष 2010 में 20 दिन ही सदन का उपवेशन हुआ। मान्यवर, नियमों में यह व्यवस्था है कि सत्र सामान्यतया 90 दिन चलेगा और 3 सत्र होंगे। आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। मान्यवर, एक तो अधिवेशन ही समाप्त कर दिया गया। जिस परिस्थिति में भी समाप्त किया गया हो लेकिन टोटल मिलाकर जब से यह सरकार आई है मात्र 77 उपवेशन इस सदन के हुए। मान्यवर, बहुत से अनुत्तरित प्रश्न, बहुत सी ऐसी चर्चायें, जिनमें जनहित इनवॉल्व है। बहुत से ऐसे निर्णय जो माननीय सदन के माध्यम से होने चाहिये थे, मान्यवर, वह इस सदन की बैठकें कम होने की वजह से नहीं हो पाये। एक वर्ष में 90 दिन की बैठकें तो छोड़िये पूरे 4 वर्ष के उपवेशन मिलाकर सदन की बैठकें कुल 77 दिन चलीं। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, अगर आपकी पीठ से यह निर्णय हो जाय तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता को उसके सवालों का जवाब भी मिल जायेगा और सदन की सार्थकता भी पूर्ण हो जायेगी। मान्यवर, आज सदन की सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। मान्यवर, आखिर यह जो हमारा पार्लियामेन्टरी सिस्टम, एसेम्बली सिस्टम है जिसमें डे-टू-डे सरकार की एकाउन्टेबिलिटी हो उसको देखते हुए यदि दो तीन बार सदन की बैठकें हो जायं तो उसमें कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा न ही इसमें ऐसी कोई वित्तीय क्षति होगी। मान्यवर, हमारा औचित्य के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकार को निर्देशित करें कि इस नियमावली के नियमों का पालन किया जाय। मान्यवर, सदन से जो अपेक्षा की गई है नियमावली के नियम-14 में, उसका पूर्ण रूप से पालन कराते हुए सदन के तीन उपवेशन हों और यह बैठकें 90 दिन की हों जिससे बहुत से सवालों का उत्तर मिल सके और हमारे माननीय सदस्य जो

अपनी बात रख पाने से वंचित रह जाते हैं उनको भी अपनी बात रखने का अवसर मिल सके। मान्यवर, आपने मुझे नियम-300 के अन्तर्गत इस औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्योंकि सारी बातों को माननीय सुरेश खन्ना जी ने रख दिया है, मैं उनको दोहराकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस नियमावली के नियम-14 की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यदि आप देखें नियम-14, इसको संशोधित कर दिया गया है। 3 सत्र की बात नहीं रह गई। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के अलावा अब यह कहा गया है कि अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, यह बाद में विचार-विमर्श करके जोड़ा गया कि यथासंभव दो माह के अंतराल से कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। यानि कि अब 6 सत्र होंगे। दो माह के पश्चात् यथासम्भव 10 दिन के लिये और उसके दो महीने बाद फिर 10 दिन के लिये और उसके दो महीने बाद फिर 10 दिन के लिये। इस तरह से दो-दो महीने के अंतराल पर सत्र होंगे तो 6 सत्र होने चाहिये। मान्यवर, बड़ी चिन्ता का विषय है, मान्यवर, मेरे सामने वर्ष 1937 से लेकर वर्ष 2010 तक के आंकड़े हैं कि कौन से वर्ष में सदन कितने दिन चला लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। मैं वर्ष 1980 से विधान सभा का सदस्य चुनकर आ रहा हूं। मैं वर्ष 1980 से ही शुरू करता हूं। 1980 में 48 दिन, 1981 में 43 दिन, 1982 में 50 दिन, 1983 में 48 दिन, 1984 में 45 दिन, 1985 में 41 दिन, 1986 में 47 दिन, 1987 में 32 दिन, 1988 में 43 दिन, 1989 में 40 दिन मान्यवर, 1980-90 के बाद से, मान्यवर, शनैः शनैः गिरावट हुई है। 1989 के बाद से लगातार गिरावट आई है। 1990 में 35 दिन, 1991 में 23 दिन, 1992 में 42 दिन, 1993 में 6 दिन, 1994 में 37 दिन, 1995 में 27 दिन, 1996 में राष्ट्रपति शासन लागू रहा इसलिये बैठक नहीं हुई। 1997 में 25 दिन, 1998 में 35 दिन, 1999 में 26 दिन, 2000 में 26 दिन, 2001 में 32 दिन, 2002 में 30 दिन, 2003 में 15 दिन, 2004 में 28 दिन, 2005 में 37 दिन, 2006 में 37 दिन, 2007 में 32 दिन, 2008 में 22 दिन, 2009 में 13 दिन, 2010 में कुल 20 दिन, तो मान्यवर, अगर आप देखें तो 1989 के बाद से से लगातार गिरावट आ रही है। इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं मान्यवर, सदस्यों के सामने जो समस्यायें हैं उनको रखने के लिये आपके हर संभव प्रयत्न के बाद, आप पूरा सहयोग देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी समय नहीं मिलता है। तो आज यह लाने का सिर्फ यह आशय है कि 90 दिन अगर सदन न भी चले तो 10-10 दिन दो महीने के अन्तराल पर चले तो दो महीने की समस्यायें होगी वह 10 दिन में उठ जायेगी। इकट्ठा भी नहीं होगी अगर आज हम उठाना चाहें तो साढ़े पांच महीने पौने छः महीने की समस्यायें पूरी तरह से पुरानी पड़ गई हैं। मेरा आग्रह है कि दो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माह के अन्तराल में प्रत्येक दो महीने में दस दिन का सत्र अवश्य बुलाया जाए। बजट सत्र में आवश्यक हो तो ज्यादा बुला लिया जाए। मैं समझता हूं कि इसमें किसी की स्वेच्छा नहीं है यह नियमावली है। नियमावली का नियम-14 स्पष्ट है, इसका पालन हो।

*डॉ0 आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-300 के ऊपर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय-4 के नियम-14 का पालन न किये जाने की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कम से कम चार दिन का समय होगा तथा सामान्य बजट पर चर्चा के लिये कम से कम पांच दिन होगा एवं प्रत्येक विभागवार कम से कम एक-एक दिन प्रत्येक विभाग की चर्चा होगी। किन्तु वर्ष 2011 के प्रथम सत्र का जो कार्यक्रम है उसमें उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है लिहाजा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के अध्याय-5 के नियम-19 एवं अध्याय-4 के नियम-14 के नियमों का पालन करते हुए सत्र को उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य संचालन नियमावली 1958 का पालन करते हुए सदन को चलाने की मांग करता हूं। प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन उपवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अंतराल पर कम से कम दस बैठकें कार्यदिवस का अधिवेशन होगा। बैठकें कम होने के कारण जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है तथा प्रदेश की अनेकों गम्भीर समस्यायें सदन के संज्ञान में नहीं आ पाती हैं। जिससे उनका निराकरण नहीं हो पाता है। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार जबसे यह विधान सभा गठित हुई है 7 मई, 2007 से लगातार, बैठकों की संख्या घट रही है। 2007 में मात्र 22 दिन बैठकें हुई। 2008 में भी 22 दिन बैठकें हुई। 2009 में सिर्फ 13 दिन ही बैठकें हुई, 2010 में 20 दिन हुई। जबकि 90 दिन बैठकें एक वर्ष में होना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस औचित्य के प्रश्न को उपस्थित करते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, आज का ही एजेण्डा देखें तो पूरा कार्यक्रम इसमें छपा है और एजेण्डा में छपे हुए कार्यक्रम के अनुसार एक मार्च तक का कार्यक्रम छपा है। उससे पहले भी पूरा कार्यक्रम छपकर कई बार माननीय सदस्यों को मिलता रहा है। लेकिन यदि बैठक नहीं हो पाई या पूरे दिन के लिये बैठक स्थगित कर देनी पड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन है ? मान्यवर, कौन है, उसका जिम्मेदार ? सदन इसलिये बुलाया जाता है कि जो बिजनेस है, उसके साथ-साथ क्षेत्र और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उनको उठाया जाए। उनको उठाने के बजाय हाईलाइट होने की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। हाईलाइट तो सभी होंगे मान्यवर, जब समस्यायें उठायी जायेंगी और कदाचित मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सी ऐसी समस्यायें, बहुत सी ऐसी बातें माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये जाने के बाद सरकार के संज्ञान में आती है, मैं इस चीज को मानता हूं और उस पर कार्यवाइयां भी होती हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जब यह हो रहा हो कि हमको उठाना ही नहीं है, हमारा नाम आ जाए, हमारा पेपर में नाम आ जाए। मान्यवर, सदन को चलाने का एक तरीका है, आपके संरक्षण में सदन चलता है, आप उस तरीके से सदन को चलाइये, लेकिन मान्यवर, आप इसी सत्र में देखियेगा, भले ही आप कहें, महसूस आप भी करते है। बैठक की जो तारीख निश्चित है, दिन निश्चित है, उन तारीखों में विधिवत् बात क्यों नहीं आ पाती, उसमें कौन व्यवधान पैदा करता है, सरकार पैदा करती है या आप लोग पैदा करते हैं ? सदन नहीं चलाने देंगे ? शोर-शराबा होगा, व्यवस्थित नहीं होगा तो सदन चलेगा कैसे ? उसकी जिम्मेदारी मान्यवर, किसकी है ? जिम्मेदारी जहां तक जितनी सरकार की है, उतनी ही विपक्ष की है और दोनों की सहमति से सदन चलता है। यह कह देना की हाउस चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, हां सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। दोनों के सहयोग से मान्यवर, आपके संरक्षण में यह सदन चलता है। मान्यवर, नियमावली से बाहर न हम हैं और न रहेंगे, अगर नियमावली में कही यह है कि 90 दिन चलना अनिवार्य है तो माननीय सदस्यगण पढ़कर सुना दें। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ अव्यवस्था फैलाने पर जाना चाह रहा हूं और मान्यवर, जो आपकी व्यवस्था होगी, वह शिरोधार्य है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, जो बात आई है और सही कहा है कि जिम्मेदारी सबकी है, अकेले सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो प्राविधान है, जो परम्परा रही है, उस पर इतना आश्वासन आ जाए, वर्तमान बजट सत्र चल रहा है, इसमें महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन सामान्य चर्चा हो जाए, बजट पर 4 दिन की सामान्य चर्चा हो जाए, अनुदानों पर 22 दिन की चर्चा हो जाए, इतना आश्वासन हो जाए कि इतने दिन चर्चा के लिये मिलेंगे तो हम लोग बिल्कुल शान्ति से सुनेंगे, शान्ति से काम भी करेंगे, बस इतना आश्वासन हो जाए। सदन को बुलाने की जिम्मदारी तो मान्यवर, आपकी है, सरकार की सिफारिश से ही महामहिम राज्यपाल जी सदन को बुलाते हैं, संचालन करना आपका काम है, आग्रह करना हमारा भी दायित्व है। बस इतना आश्वासन हो जाये कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन सामान्य चर्चा होगी, बजट पर 4 दिन की सामान्य चर्चा होगी और अनुदानों पर 22 दिन की चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, अभी सरकार की तरफ से बताया गया कि कार्यक्रम देख लें। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कार्यक्रम देख लिया, कुल 14 दिन का यह कार्यक्रम है, अब इसमें 22 दिन, 4 दिन और 5 दिन, यह तो सीधे-सीधे 31 दिन बन गये, तो यह हमने देख लिया। माननीय अध्यक्ष जी की पीठ से व्यवस्था हो जाए, विपक्ष पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रहा है, कोई बाधा नहीं है। सदन बुलाना माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की जिम्मेदारी है, आखिरी बजट है, सारी समस्यायें आ जायें। मान्यवर, पिछले वर्ष कुल 20 उपवेशन हुए, उस पर सरकार कह रही है कि कार्यक्रम देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप लोग आपस में सहयोग ले लें।

डॉ0 आर0ए0 उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी, 31 मार्च तक सत्र चलाने का कार्यक्रम घोषित कर दें, यह व्यवस्था हो जाए, पूरा सहयोग करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से माननीय गन्ना मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह तो हमारी बात का मजाक और उपहास उड़ाने वाला है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं, माननीय गन्ना मंत्री जी की बात में पूरा मिठास था आप समझ नहीं पाये।

(हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियमावली में दो बातें विशेष रूप से दी हैं एक तो यह कि तीन सत्र होंगे और दो-दो महीने के अन्तराल के बाद 10-10 दिन का सत्र बुलाया जायेगा। आपने सत्र बुलाया कब ? यहां पर सत्र बुलाने का अवसर कब दिया ? मान्यवर, यह सही है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है लेकिन सत्तापक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। जितनी देर और सदन चलाना चाहें हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन सवाल है कि यह सदन बुलाया जाये। सदन बुलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार पहले निर्णय करके सदन आहूत करने के लिये रिक्वूजीशन भेजती है लेकिन वह तो बुलाया नहीं है। अगर 6 महीने की संवैधानिक बाध्यता न होती तो यह सदन भी नहीं बुलाया जाता। यह तो मजबूरी है, जो आपका उत्तर आया है वह उत्तर संतोषजनक नहीं है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप सत्तापक्ष को कम से कम यह निर्देशित करें कि जो नियमावली है उसका अगर अक्षरशः पालन न हो तो सामान्य रूप से आंशिक पालन तो हो। बजट के लिये जितनी बैठकें जितने उपवेशन निर्धारित हैं क्या उतने दिन के लिये सत्र आहूत किया गया है। यह कम से कम 24 दिन होना चाहिये। जब आपने स्वयं कार्यक्रम जारी किया तो यह नियमावली का अपने आप में स्वयं उल्लंघन है। पहली तारीख को बजट पास कराकर सदन खत्म कराने की सूचना आपने भेज दी है। आप स्वयं इस नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि पीठ से आप निर्देशित करें कि हर दो महीने के बाद सदन आहूत किया जाये और बजट के लिये जितने दिन निर्धारित है वह बजट के लिये जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रमोद तिवारी, डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी जी को सुना और इस पर माननीय गन्ना मंत्री जी को भी सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है। अतः अग्राह्य की जाती है। इसके बाद भी मैं संविधान और नियमावलियों का पालन और सम्मान करते हुए यह

कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सत्र चलाया जाये तो निश्चित रूप से सत्तापक्ष और विपक्ष को कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सुविधा होगी।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-19(3) के अनुसार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नियमानुसार चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे नियम-300 के अन्तर्गत सूचना पर बोलने का मौका दिया। अभी जो चर्चा हो रही थी उसी का एक तरह से आगे का नियम है। मान्यवर, भारत का संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के नियम-19(3) में दिया है कि अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा। लेकिन हमने अभी जो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश देखी है उसमें 08 व 09 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के लिये निर्धारित किया गया है। इसके लिये बहुत कम समय निर्धारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आ गई है।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं चाहता था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और आय-व्ययक पर चर्चा के लिये जो समय निर्धारित है उतना समय दिया जाये जिससे क्षेत्र की समस्याओं और अन्य समस्याओं पर विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आ चुकी है। आपके वरिष्ठ सदस्य यह बातें उठा चुके हैं।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप हम सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पर निर्णय लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह बातें पहले आ चुकी हैं। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

माननीय विधान मण्डल सदस्यों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन दिये जाने विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 में संशोधन करके पहली विधान सभा से ही उक्त पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम-300 के अन्तर्गत इस सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बड़ी दुखद बात है कि सरकार ने इस विधान सभा में कई बार

उठाने पर और बड़ी विनम्रता से आपने इस प्रकरण को कृपापूर्वक संज्ञान में लिया और इसे लागू कराने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा कि मा0 भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं को या जो महिला सदस्य थीं, उनके पतियों को पेंशन देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माध्यम से लागू हुई। लेकिन मान्यवर, हम बड़े दुख के साथ, बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहते हैं, श्रीमन् यह जो आदेश लागू हुआ, यह 5 मार्च, 2010 से लागू किया गया है, श्रीमन् जबकि यह पन्द्रहवीं विधान सभा मई, 2007 में अस्तित्व में आई थी। अब यह प्रश्न उठता है कि जब पन्द्रहवीं विधान सभा के वे सदस्य, जो दिवंगत हो गये और इस सत्तापक्ष के भी हुए और विपक्ष के भी हुए। जब उनकी विधवाओं को यह सरकार पेंशन नहीं दे पा रही है तो हमारी मांग तो 1952 से है कि पूर्व विधायकों को जो गरीब विधवायें हैं या महिला विधायक हैं या उनसे सम्बन्धित उनके पतिदेव हैं, जो कहीं चाय की गुमटी चलाते हैं, अपना जीवन-यापन बड़ी गरीबी से गुजर-बसर कर रहे हैं, कहीं साइकिल पंचर बनाते हैं, कहीं सर्विस स्टेशन चलाते हैं। प्रायः अखबारों में समाचार-पत्रों में आता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात शार्ट में कहें।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अदब से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कुल विधवाओं, पात्र लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत कम होगी और उस जमाने के लोगों के लिये यह मांग मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि 1952 से लेकर 2007 तक जो मा0 विधान मण्डल के सदस्य थे या जो महिलायें थीं उनके जो पतिदेव थे या जो पात्र हैं। 1952 से लेकर जो बचे हुए हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है इसमें बहुत ज्यादा धन नहीं लगेगा। हम विस्तार से नहीं जाना चाहते कि सरकार क्या-क्या काम कर रही है ? लेकिन यह गम्भीर प्रकरण है। सदन से जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिये हम मांग करते हैं कि आप इस पर स्वयं संज्ञान लेकर के सरकार को निर्देश दें, सरकार आश्वस्त करे और सरकार की तरफ से जवाब आये। यह तो बहुत विडम्बना है, बड़ी गलत बात है कि इस तरह के शासनादेश जारी कर दिया गया। 2007 में पन्द्रहवीं विधान सभा अस्तित्व में आई, आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में आये और आप अपने ही दिवंगत विधायकों की विधवाओं को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिये मान्यवर, हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे और बहुत ही अदब से कहना चाहेंगे कि आप सरकार को निर्देश दें कि 1952 से जो पहली विधान सभा अस्तित्व में आई तब से पेंशन दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आरिफ अनवर हाशिमी साहब को सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। हाशिमी साहब ने जिस बात पर इंगित किया उस समय के सन्दर्भ में, मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-9(1) के अन्तर्गत विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने औचित्य के प्रश्न पर हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पन्द्रहवीं विधान सभा का गठन विगत 2007 के मई महीने में हुआ और आज लगभग 4 वर्ष के करीब होने जा रहा है लेकिन मान्यवर, जो सदन के अन्दर संवैधानिक पद है, उसके तहत जिस पद पर आप बैठे हैं, यह अध्यक्ष का पद भी एक संवैधानिक है। मान्यवर, इस सदन के अन्दर नेता सदन का एक पद है।

वह कुर्सी पर विराजमान होते हैं, और उसी क्रम में मान्यवर, नेता विरोधी दल का भी एक पद होता है, जिस पर नेता विरोधी दल आरूढ़ होते हैं। इसी क्रम में मान्यवर, कहना चाहता हूं कि 4 वर्ष सरकार के बीत गये हैं, अभी उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद-178 का उल्लंघन भी होता है और उपाध्यक्ष के न होने पर सदन का काम भी विनियमित होता है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का भी उल्लंघन होता है। इससे पहले मान्यवर, चर्चा थी कि उपवेशन कम होते हैं। उसमें सरकार और विपक्ष दोनों की बातें सुनने में आई लेकिन जहां तक हमने इसको पढ़ा है, देखा है और हम लोगों के अधिकारों का संरक्षण देते हैं, हमारे संरक्षक है। मान्यवर, यह सरकार या हम लोगों से कहीं ज्यादा यह आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह पद कब तक रिक्त रहेगा। मान्यवर, इस पर निर्णय आपको लेना है, सरकार तो संवेदनहीन है तमाम सारे मुद्दों पर हमें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रही है और इसमें सरकार आड़े हाथ आती भी नहीं है। अब हमारी पीड़ा है कि एक तरफ आभार भी आपका प्रकट करते हैं और दूसरी तरफ खेद भी प्रकट करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर पदारूढ़ हैं कहीं न कहीं हमे लगता है कि आप कहीं सत्तापक्ष के और सरकार के मान्यवर, आपमें इच्छा शक्ति है लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि आप पर भी दबाव है जिसके कारण आप उपाध्यक्ष पद का रिक्त पद जो है, उस पर निर्वाचन नहीं चाहते हैं। इसीलिये हमारा आपसे आग्रह है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के आप संरक्षक हैं जिस पर मान्यवर, अगर आप ही विचार नहीं करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि यह एक खेद का प्रकरण होगा और इसलिये हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है और हमारा निवेदन है कि इस पद के निर्वाचन के लिये कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि आप पर दबाव है। इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह विषय सदन में पहले भी कई बार आया है और उपाध्यक्ष के पद चुनाव का विषय है, यह विधान सभा अध्यक्ष का भी होता है अभी मेरे भाई जोखू लाल यादव जी ने जो कहा उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि सरकार का हमारे ऊपर दबाव नहीं है। इसमें हमारी पूरी निष्पक्षता

और पारदर्शिता है। सत्तापक्ष और विपक्ष हमारे लिये दोनों बराबर हैं। कहीं-कहीं कुछ परिस्थितियां रही हैं जिनके कारण ऐसा नहीं हो सका है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीनीकरणीय क्रय दायित्व के माध्यम से हरित ऊर्जा का विकास) विनियमावली, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामाक आयोग द्वारा बनाई गई ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीनीकरणीय क्रम दायित्व के माध्यम से हरित ऊर्जा का विकास) विनियमावली, 2010'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के वार्षिक लेखे (स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के वार्षिक लेखे (स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि खाता) को दि वेयर हाउसिंग ऐक्ट 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए(3) की उपधारा (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1335/ग्यारह-9(1)/ 08, उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (63) 2010, दिनांक 10 सितम्बर, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1335/ग्यारह-9(1)/ 08, उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश (63) 2010, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।
†† छापे नहीं गये।
† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या-1475/90-सं0-1-2010-77सं0-2005, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23 क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3401/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010†

*वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3401/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3460/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010†

*वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3460/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4191/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010†

*वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4191/14-2-2010-343(एल)-2001, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-78 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 तथा 11 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 फरवरी, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 फरवरी, 2011 से 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गयी।

निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 07 फरवरी, 2011 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 08 फरवरी, 2011 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायं।

3-दिनांक 10 तथा 11 फरवरी, 2011 को सदन के उपवेशन न हों।

4-दिनांक 05 फरवरी, 2011 से दिनांक 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2011

05 शनिवार 06 रविवार	बैठक नहीं होगी।
07 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
08 मंगलवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
09 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
10 गुरुवार 11 शुक्रवार 12 शनिवार 13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार 15 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
16 बुधवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
17 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
18 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-असरकारी दिवस।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।

22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-असरकारी दिवस।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी।
28 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।

<u>मार्च, 2011</u>

01 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा, आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-14 लेता हूं।

राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये निःशक्तजन (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, की धारा-13 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये निःशक्तजन (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, की धारा-13 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

द क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने विषयक संकल्प

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-47 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है और देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को परिभाषित करता है, में यह व्यवस्था है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा;

और, चूंकि, समय-समय पर निजी नैदानिक अधिष्ठानों के विरुद्ध जन-सामान्य को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने में निर्धारित मानकों का पालन न किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से सम्बन्धित, सम्बन्धित नैदानिक अधिष्ठानों द्वारा जन सामान्य को चिकित्सीय सेवायें मानक के अनुरूप प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिये कोई विधान/नियम नहीं है जो उससे सम्बन्धित और अनुषांगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करता हो;

और, चूंकि, राज्य के नैदानिक अधिष्ठानों को जन-सामान्य को समुचित, समयानुकूल एवं मानकों के अनुरूप उपचार आदि की सेवायें प्रदान किये जाने के लिये जनहित में एक व्यापक विधि बनाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

और, चूंकि, संसद द्वारा कतिपय राज्यों के लिये उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में ''द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट-2010 (अधिनियम संख्या-23 सन् 2010)'' पारित एवं अधिनियमित किया जा चुका है और जो उपर्युक्त उपबन्ध के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प द्वारा अंगीकार कर उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है;

और, चूंकि, यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाई गई उक्त विधि को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाय;

अतः यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा ''द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 (अधिनियम संख्या-23 सन् 2010)'' को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु अंगीकार करता है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह संकल्प के रूप में प्रस्तुत विषय है इस ऐक्ट के प्राविधानों से सदन सहमत होगा। लेकिन एक विधेयक इस सदन में आना चाहिये इसे इस संकल्प के माध्यम से नहीं आना चाहिये। यह समवर्ती सूची का विषय है और राज्यों को इस पर विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर इसे आप एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है हम लोग उसका अध्ययन कर लें और बेहतर प्राविधानों का सुझाव दे दें। इसलिये मैं यह आग्रह करूंगा कि इसे एक विधेयक के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया जाय एक संकल्प के रूप में नहीं। अगर इसे इसी रूप में करना है तो पहले हम लोगों को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिये और इसके विधेयक की प्रति हम लोगों को दी जानी चाहिये ताकि हम लोग जान सकें कि आखिर उस विधेयक में है क्या, उसके बाद इसे यहां पर संकल्प के रूप में लायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मौलिक बात है जिसको पास करने जा रहे हैं उसकी ए0बी0सी0डी0 भी हमें पता नहीं केवल संकल्प आया, नेक इरादों का आया होगा लेकिन कम से कम इतना मौका तो मिल जाय हमें कि हम इसको देख लें।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह पिजन में भी नहीं है और यह हम लोगों को दिया भी नहीं गया है यह महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर हो भी तो इतनी जल्दी इसको पढ़ भी नहीं सकता है कोई। इसकी प्रशंसा भी हो सकती थी लेकिन हमें इतना अवसर तो मिले कि हम इसको पढ़ लेते।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, जो ऐक्ट लाया गया है भले यह मरीजों के हित में लाया गया हो उसके लाभ के लिये लाया गया हो लेकिन ''द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010'' यह सीधे तौर पर विधान सभा के पटल पर रखा गया है और इस ऐक्ट के बारे में कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करता हूं कि इस ऐक्ट का अवलोकन करने का अवसर दिया जाय माननीय सदस्यों को उसके बाद जो उसमें आवश्यक संशोधन हो, उन संशोधनों का समावेश करने के बाद ही इस ऐक्ट को विधान सभा से पारित कराने की कार्यवाही की जाय।

*डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, ''द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010'' संकल्प के रूप में लाया गया है। भारत सरकार ने हर प्रदेश को यह भेजने का काम किया है लेकिन यह विषम और अलग-अलग स्थिति का देश है। हर प्रदेश में कुछ न कुछ अलग-अलग परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश को जो यह द क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेन्ट ऐक्ट है इस ऐक्ट में क्या है और हम कैसे बेहतर चिकित्सा अपने क्षेत्र में दे सकते हैं क्योंकि हमारा प्रदेश अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि यह पूरे देश में यह इस तरह का ऐक्ट होगा तो इसमें उत्तर प्रदेश अपने यहां से क्या संशोधन चाहेगा। क्या चिकित्सक के हित में, क्या मरीजों के हित में क्या आम जनता और नागरिकों के हित में प्रदेश संशोधन ला सकता है। मैं चाहूंगा मान्यवर, कि इस ऐक्ट को पहले सदन में पेश किया जाय ताकि उस पर चर्चा होने के बाद जो संशोधन हो सकते हो उसके अच्छे संशोधन के बाद भारत सरकार को भेजने का काम हो न कि सीधे सीधे सदन में संकल्प के रूप में रखा जाय। मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, एक मिनट दे दें। मान्यवर, किसी भी विधेयक को हम संकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसमें सीधा लिखा हुआ है संकल्प का रूप-संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि शासन के किसी कार्य अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाय या कोई संदेश दिया जाय या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, अनुरोध अथवा प्रार्थना की जाय इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि किसी ऐक्ट को किसी संकल्प के रूप में किसी विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी का अनुरोध है मेरा, यह महत्वपूर्ण विधेयक है हम चाहते हैं कि यह डाक्टर्स के लिये और साथ-साथ मरीजों के लिये भी हितकर हो और इसमें यदि कोई ऐसा प्राविधान है जो मरीज या डाक्टर्स के हित में न जाय तो इसमें चर्चा कर ली जाय। इसलिये मान्यवर, आज इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाय जिससे कि पहले हम 'द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010' के बारे में इसको देख लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, एक विधेयक बना है जिसका नाम है ''द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 भार'' अधिनियम, इसको भारत सरकार ने पत्र लिखा है, हर प्रदेश को लिखा होगा, हमारे प्रदेश को भी है कि इसको पहले आप अंगीकार कर लें एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने सदन में आज उसको अंगीकार करने के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी एक प्रस्ताव लाये हैं और ऐक्ट तो बना ही है इसका अधिनियम तो बना ही है उसी का प्रस्ताव लाये हैं।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह तो सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। भारत सरकार बहुत से ऐक्ट बनाती है। आज हम यही संकल्प ले लें कि भारत सरकार जिस भी विषय पर, जो भी ऐक्ट बनायेगी हम उसको सदन में बहस के बिना हमेशा लागू करते रहेंगे। एक निर्णय आज ले लीजिये यही निर्णय भारत सरकार के सारे एक्ट्स के बारे में हम लोग यहां स्थाई रूप से लागू कर देते हैं। यह तो कोई विषय नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, कि ऐक्ट बनता है और अगर बिना विधान सभा में बहस हुए हम उसे अंगीकार करने का दायित्व रखते हैं तो भारत सरकार को हमसे पूछने की क्या जरूरत है और यह प्रावधान होने की क्या जरूरत है कि यह एक्ट राज्यों में भेजा जायेगा और यहां के विधान मण्डलों में इस पर बहस होगी और फिर वहां से एक राज्यस्तरीय कानून बनेगा। यह तो कोई विषय नहीं हुआ, कि भारत सरकार के ऐक्ट को हम बिना जाने, बिना समझे, बहस किये ही पास कर दें। हो सकता है कि हम इससे बेहतर करके वह सब कुछ न कर पायें और सीधे अंगीकार कर लें तो फिर हमें लिखकर भेजना चाहिये कि भारत सरकार के सारे ऐक्ट आज के बाद से हमें वैसे ही मान्य होंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है। चूंकि इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाय, इतना ही किया है। अधिनियम तो पहले से बना ही है। इसमें कोई संशोधन करने की बात नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अधिनियम प्रदेश सरकार के पास है और निश्चित ही होगा क्योंकि अगर भारत सरकार ने अधिनियम प्रदेश सरकार के पास भेजा है तो प्रदेश सरकार के पास होगा। उसकी केवल कापी कराकर माननीय सदस्यों को देने की बात है। माननीय सदस्यों की भावना को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए अगर उस अधिनियम की प्रति को दो दिन के अन्दर बंटवा दिया जाय तो आज कोई अन्तिम दिन तो है नहीं। इससे एक भावना रह जायेगी कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अन्यथा यह गलत परम्परा पड़ जायेगी कि जिस अधिनियम को हम जानते नहीं, उस अधिनियम को हमसे पास कराया जा रहा है, पारित कराया जा रहा है और स्वीकार कराया जा रहा है। अगर अधिनियम को दो दिन में रि-प्रिन्ट कराकर के उसकी प्रतियां इस सदन के सदस्यों को वितरित करा दें तो क्या हर्ज हो जायेगा, इससे एक स्वस्थ परम्परा भी बनी रहेगी। इसमें क्या आपत्ति है सरकार को ?

श्री अध्यक्ष-

एक अधिनियम, 2010 में बना है वह हमारे यहां शासन में भी होगा। उसी को अंगीकार करने के लिये सरकार प्रस्ताव ला रही है कि इसे भी यहां अंगीकार किया जाये। यदि इस अधिनियम में कोई संशोधन होता, कोई नई धारा निकालना या बनाना होता तो हम इसे सदन में लाते और तब माननीय सदस्यों को उसकी एक प्रति भी देते। यह तो संसद ने एक अपेक्षा किया है कि अधिनियम इस तरह का बना है और प्रदेश सरकार भी उसको अंगीकार कर लें। उसी का यह प्रस्ताव लाये हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सोमवार को ला दीजिये हमें कोई आपत्ति नहीं है।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, चूंकि संसद द्वारा कतिपय राज्यों के लिये उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऐक्ट, 2010 पारित एवं अधिनियमित किया जा चुका है और उसको विधान मण्डल के दोनों सदनों से अंगीकार कराने के बाद पारित कराया जा सकता है तो हम एक ऐसी चीज को अंगीकार कर रहे हैं जिसके बारे में हमको ए0बी0सी0डी0 किसी चीज की जानकारी नहीं है तो इसमें माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको फिलहाल स्थगित किया जाय और अधिनियम की कापियां हम लोगों को वितरित कराई जाये और हम लोगों के भी संशोधन प्रस्ताव उसमें आमंत्रित किये जायें। यह आपसे मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मुझे एक आपत्ति और है। मुझे लगता यह है कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट, अधिनियम प्रदेशों को लागू होता है वह एक साधारण बहुमत की संख्या के प्रदेशों द्वारा स्वीकार किया गया है। यह अधिनियम, 2010 में हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सरकार ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया लेकिन सरकार का अधिनियम आधे राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसके कारण से यह इसे जल्दी में स्वीकार कराना चाहते हैं। कहीं यह कारण तो नहीं है। सरकार का जो यह दोष है उसको छिपाने के लिये और केन्द्र सरकार को यह कहने के लिये कि साहब हमने भी स्वीकार करा लिया चलिये दो दिन बाद सोमवार को इसे ले आइये।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है और स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय को केवल भारत सरकार के अध्यादेश को हम अंगीकृत करने के नाम पर स्वीकार कर लें कहीं कोई इसका औचित्य नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि मैंने संकल्प में ही उद्धरण किया। हमारा जो संविधान है इसके अनुच्छेद-252 को देख लें। दो या अधिक राज्यों के लिये उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की

शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना- (1) यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से जिनके सम्बन्ध में संसद को अनुच्छेद-249 और अनुच्छेद-250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करें और यदि उन राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तद्नुसार विनियमन करने के लिये कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिये विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा जो तत्पश्चात् अपने विधान मण्डल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है। यानि कि बाद में भी अंगीकार कर लेता है तो वह लागू होता है। मान्यवर, अधिनियम, 2010 में भारत सरकार ने बनाया और अधिनियम सभी जगह उपलब्ध है लाइब्रेरी में भी है और सभी जगह पर है तो ऐसी स्थिति में हम उसको अंगीकार करने के लिये संकल्प लाये और मान्यवर, इसी सदन में 22 जुलाई, 1998 को भी इसी तरह से संसद के बनाये हुए अधिनियम को हम लोग अंगीकार किये थे। मान्यवर, इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है, अधिनियम पहले से था और सभी जगह पर उपलब्ध है लाइब्रेरी में भी है हमारे माननीय सदस्य को उसकी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये थी। एजेण्डा निश्चित रूप से सुबह ही मिल गया होगा और जब एजेण्डा मिलने के बाद कोई जानकारी हासिल करनी थी तो कर सकते थे। मान्यवर, यह प्रदेश के हित में है और प्रदेश के हित में इसे अंगीकार करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमारी विधान सभा द्वारा इसी तरह से पहले भी किया जा चुका है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अंगीकार करने का जो संकल्प हमने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक तरह से चिढ़ाने का काम किया है। इसका क्या मतलब है कि लाइब्रेरी में देख लेते, दिल्ली से मंगाकर देख लेते।

श्री लालजी वर्मा-

अगर हमारी किसी बात से नेता, भारतीय जनता पार्टी को दुःख पहुंचा हो तो मैं उसके लिये खेद व्यक्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप बहुत योग्य हैं लेकिन कभी-कभी आप उस पद की गरिमा के विपरीत बोल जाते हैं। बात तो चल ही रही थी आपने कह दिया कि आप देख लेते। इसका मतलब कि हम लोग निकम्में हैं नहीं देखे, यही मतलब हुआ न। हम लोग निकम्में हैं, हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग अक्षम हैं नहीं देखे। आप ही योग्य हो तो बता दो, आपके स्वास्थ्य मंत्री बता दें कि उसमें क्या

है। मान्यवर, अगर इन सभी बातों पर कोई वेल में आकर धरना देने लगे तो कहेंगे कि व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारी भावना का आदर करें। मैं कह रहा हूं कि यदि सोमवार को आ जायेगा तो कौन सी संवैधानिक अव्यवस्था पैदा हो जायेगी। आप उस अधिनियम को वितरित करा दें तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है, कौन सी अव्यवस्था पैदा हो रही है, कौन सी सरकार गिर रही है। एक चुनौती दे दिया आपने कि आप लोग देख क्यों नहीं लिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं चुनौती नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरे किसी शब्द से अगर किसी तरह का कष्ट हुआ है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैंने कोई चिढ़ाने की नीयत से कोई बात नहीं कही है। अगर माननीय नेता भा0ज0पा0 को ऐसा लगा हो तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''चूंकि, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-47 में जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से सम्बन्धित हैं और देश के शासन के मूलभूत सिद्धान्तों को परिभाषित करता है, में यह व्यवस्था है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और चूंकि, समय-समय पर निजी नैदानिक अधिष्ठानों के विरुद्ध जन-सामान्य को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने में निर्धारित मानकों का पालन न किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, और, चूंकि, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से सम्बन्धित नैदानिक अधिष्ठानों द्वारा जन-सामान्य को चिकित्सीय सेवायें मानक के अनुरूप प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिये कोई विधान/नियम नहीं है जो उससे सम्बन्धित और अनुषांगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करता हो, और, चूंकि, राज्य के नैदानिक अधिष्ठानों को जन-सामान्य को समुचित, समयानुकूल एवं मानकों के अनुरूप उपचार आदि की सेवायें प्रदान किये जाने के लिये जनहित में एक व्यापक विधि बनाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है, और, चूंकि, संसद द्वारा कतिपय राज्यों के लिये उनकी सहमति से तथा उन राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के अनुसरण में 'द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 (अधिनियम संख्या-23 सन् 2010)' पारित एवं अधिनियमित किया जा चुका है और जो उपर्युक्त उपबन्ध के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प द्वारा अंगीकार कर उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है, और, चूंकि, यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाई गई उक्त विधि को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाय;

अतः यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद-252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा 'द क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट-2010 (अधिनियम संख्या-23 सन् 2010)' को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु अंगीकार करता है।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011†

*उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

नोट :-† दिनांक 8-3-2011 के असाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011[†]

*राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लेने के पहले मैं दो प्रस्ताव लाना चाहता हूं।

नोट :-[†] दिनांक 8-3-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 8 फरवरी, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं उक्त राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त राज्य समन्वय समिति में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 8 फरवरी, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं उक्त राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त राज्य समन्वय समिति में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 8 फरवरी, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन

करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 8 फरवरी, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं। उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अभी राज्य समन्वय समिति के सम्बन्ध में दो लोगों को नामित करने का अधिकार आपको दिया गया है। मेरा आग्रह है कि कल हम लोगों को बता दें कि राज्य समन्वय समिति क्या है ?

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 फरवरी, 2011 को नियम-311 में प्राप्त 6 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु चुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना इसमें एक सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमिता सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री माधो पासवान, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री संजय कपूर, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिव बालक पासी, श्री राम सेवक, श्री अजय पाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री श्याम किशोर शुक्ला, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री शिवगणेश लोधी, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह की है, इसी के साथ दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सतीश महाना, डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की है, तीसरी सूचना श्री आर0के0 चौधरी और श्री राधेश्याम गुप्ता की है इन तीनों सूचनाओं को एक साथ संकलित कर लिया गया है क्योंकि यह एक ही विषय से सम्बन्धित है, प्रदेश में बालिकाओं/महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डॉ0 वकार अहमद शाह, डॉ0 आर0ए0 उस्मानी, श्री रियाज अहमद, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री आलोक कुमार, श्री इरफान सोलंकी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा निर्गत मोअल्लिम उर्दू डिग्री धारकों को बी0टी0सी0

के समकक्ष मान्यता प्रदान करते हुए नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, चौधरी सत्यपाल सिंह, डॉ0 अनिल चौधरी, डॉ0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, श्रीमती मिथलेश पाल, श्रीमती विमलेश सिंह की जमुना एक्सप्रेस-वे के लिये भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर व गोण्डा में सिंचाई के लिये बिजली की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना डॉ0 आर0ए0 उस्मानी की विधायक को मिल रही जान से मारने की धमकी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की महमूदाबाद शहर में लड़कियों एवं लड़कों के लिये अलग-अलग महाविद्यालय संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में हैं सातवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद लखीमपुर के आरक्षी प्रभुदयाल की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र संजीव कुमार को पुलिस सब इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली विधवा पेंशन में हो रहे घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना डॉ0 पी0के0 राय, श्री दीनानाथ कुशवाहा की जनपद देवरिया के ग्राम खाड़ेछापर में सतनाम् बाबा की हुई हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस की गोली से हुई मनोज पाल की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। डॉ0 आर0ए0 उस्मानी, श्री जोखूलाल यादव, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री जोखूलाल यादव, श्री लालजी यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, डॉ0 आर0ए0 उस्मानी की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं। (श्री प्रमोद तिवारी व डॉ0 वकार अहमद शाह के एक साथ बोलने पर)

तिवारी जी आपकी और वकार साहब दोनों की सूचनाएं शलाका में है। शलाका के आधार पर तिवारी जी पहली आपकी है और दूसरी वकार साहब की है। अब यह बोलने के लिये खड़े हो गये हैं तो इन्हें ही बोल लेने दीजिये।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, बड़ी तात्कालिक और ज्वलन्त समस्या से आज करीब हजारों उर्दू मोअल्लिम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किये हुए हैं।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट, हुकुम सिंह साहब जरा कुछ बोल रहे हैं। इन्हीं का तो लिया है वो बोलेंगे अभी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पहले वो ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

हां, हां वही तो।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो फिर यह कहां से आ गये।

श्री अध्यक्ष-

दस मिनट बाद आप ही का लिया जायेगा वकार साहब।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, तिवारी जी, आप बैठ जाइये। कभी-कभी तो हम खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्रम निर्धारण में पहली सूचना कानून व्यवस्था पर तिवारी जी की और दूसरी सूचना उर्दू मोअल्लिमों के बारे में वकार साहब की थी। लेकिन वकार साहब ने शुरू कर दिया।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। मान्यवर, यह ज्यादती है। हजारों उर्दू टीचर सड़क पर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी डिग्री को मान्यता नहीं मिल रही है मान्यवर।

(सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट, जरा सा। एक निवेदन है। क्रम में तो माननीय तिवारी जी, ओम प्रकाश जी और चौधरी जी आप लोगों की कानून व्यवस्था पहले पर थी और दूसरी सूचना वकार साहब की है। लेकिन अब आधी बात तो इनकी हो गई।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, एन0सी0टी0आई0 से परमीशन मिल चुकी है लेकिन यह सरकार पूरी तरह से उन गरीब टीचर्स के साथ ज्यादती कर रही है मान्यवर, और हद तो यह हो गई कि 5-2-2010 को केन्द्र सरकार द्वारा मोअल्लिम उर्दू डिग्री की बाध्यता उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लाने के बाद भी इन लोगों की भर्ती प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई जबकि शिक्षा मित्रों के लिये प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्वयं पैरवी कर केन्द्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया। मान्यवर, इससे यह भावना जागती है कि यह उर्दू मोअल्लिम शब्द जो हैं माइनारटी के मुसलमान हैं इसलिये सरकार इस पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है और बाकी लोगों पर ध्यान दे रही है। हाईकोर्ट के आदेशों का, कई मंत्रियों का आश्वासन इस सरकार की जो मुख्य मंत्री जी हैं उनका इलेक्शन से पहले भी ऐलान था कि हम उनको करेंगे इसके बावजूद भी सड़कों पर उन पर लाठियां पड़ रही हैं, वो भूखों मर रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके यहां खाना नहीं बन रहा है और वो सड़कों पर दवा इलाज के अभाव में मर रहे हैं। सरकार कब तक इस तरह का अमानवीय काम करती रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर अपना बयान दें और इसके साथ-साथ आप निर्देशित करें कि एक समयबद्ध तरीका बता दें कि आप इतनी तारीख तक इनको इस पद पर नियुक्त किया जायेगा।

श्री रियाज अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, उर्दू मोअल्लिम टीचर्स के बारे में वकार साहब ने जो बात रखी है उसके बारे में मुझे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से उर्दू मोअल्लिम टीचर्स को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता देने की बात स्वीकार कर ली है और यह उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ चार साल से लगातार धोखा करती चली आ रही है। बजाय इसके उसको लागू कराने के उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी। जब उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि मोअल्लिम टीचरों को बी0टी0सी0 के समकक्ष रखा जाए। जो बी0टी0सी0 नहीं हैं शिक्षा मित्र उनसे हमारा यह कहना नहीं है कि उनको न रखा जाए उन्हें भी रखा जाए। लेकिन उर्दू मोअल्लिम के लड़के जो पिछले चार सालों से मारे-मारे घूम रहे हैं लाठियां खा रहे हैं, खून भी बहाया जा रहा है, उसके बावजूद सरकार की उदासीनता इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अल्पसंख्यकों के साथ, जो भी हो रहा है, उसमें सरकार पूरी तरह से भागीदार बन रही है। हमारा आपसे यह अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित पीठ से करें कि कम से कम मोअल्लिम को बी0टी0सी0 के समकक्ष मान्यता दे दी जाए।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

महोदय, मैं आपके माध्यम से अति अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा निर्गत मोअल्लिम उर्दू डिग्री वर्ष 1997 से पूर्व की वैधता एवं बी0टी0सी0 उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति किये जाने की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिनांक 13-8-1994 को तत्कालीन उ0 प्र0 सरकार ने जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा निर्गत मोअल्लिम उर्दू प्रशिक्षण को बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष शासनादेश निर्गत कर लगभग 8000 उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां की, दिनांक 11 अगस्त, 1997 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम का बहाना लेते हुए तत्कालीन सरकार ने उक्त प्रशिक्षण की बी0टी0सी0 से समकक्षता निरस्त कर दिया। जबकि दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1997 से नियुक्त उक्त डिग्री धारक उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया जो वर्तमान समय में भी मिल रहा है तथा दिनांक 2-8-03 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तरांचल सरकार से भी दिनांक 11-8-97 से पूर्व मोअल्लिम उर्दू प्रशिक्षण को बी0टी0सी0 के समकक्ष वैध माना और 11-8-97 से पूर्व सभी डिग्री धारकों को उर्दू अध्यापक के पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं। इन उर्दू अध्यापकों को रखे जाने हेतु केन्द्र सरकार ने उ0प्र0 सरकार को पत्र के माध्यम से सुझाव दिया एवं दिनांक 3-6-2010 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने केन्द्र सरकार से मिले पत्र के आधार पर 1997 से पूर्व डिग्री धारकों की नियुक्ति की सिफारिश भी की। दिनांक 14-7-2010 को मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका सं0-3222/05 में नियुक्ति हेतु आदेश दिया। समय-समय पर सरकार के मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हो पायी है। इन शेष बचे हुए डिग्री धारकों को शीघ्र ही भर्ती किये जाने हेतु कई बार विधान भवन का घेराव इनके द्वारा किया गया तथा पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन किया गया, इन पर पुलिस द्वारा लाठियां भी चलाई गईं जिसमें दर्जनों पुरुष एवं महिलाएं घायल भी

हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही हैं। उ0 प्र0 सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिसके कारण प्रशिक्षित लोगों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। आम जनमानस मैं घोर असन्तोष व्याप्त है। अतः इस जनहित के प्रकरण पर आपके माध्यम से सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-56 के इस नोटिस पर जो पहले नियम-311 में दी गई थी आपने उस पर बोलने का अवसर दिया क्योंकि यह प्रदेश की अकलियतों से जुड़ा मामला है। आप विधिवत् अवगत हैं। मान्यवर, कि रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने बनवाई उसमें मुस्लिम माइनारटीज की हालत बद से बदतर है। वह बुरी तरीके से इस प्रदेश में पिछड़े हुए हैं यहां तक कि इन रिपोर्टों में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अकलियत जो मुसलमान हैं मुस्लिम समाज के लोग दलित से भी बद से बदतर जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। बड़े दुख के साथ आपसे अर्ज करना पड़ रहा है कि जो उर्दू मोअल्लिम जिसमें चूड़ीदार पाजामा, शेरवानी कुर्ता और दाढ़ी वाले मुसलमान उत्तर प्रदेश की विधान सभा और लखनऊ में तमाम जगहों पर धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। मान्यवर, इस कदर बेरहमी से उनके साथ प्रशासन पेश आया और उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इन गरीब मुसलमान टीचरों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में भी समाजवादी पार्टी में ज्यादा मुस्लिम विधायक हैं और मुसलमानों के एक बड़े तबके ने इनको वोट दिया है, तब चुनकर आये हैं। लेकिन सामने बैठी जो सरकार है, जबसे यह सरकार चुनकर आयी है, मुसलमानों के लिए, इन उर्दू टीचरों के लिए न कोई योजना है और न यह मुसलमानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं और आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूं कि उर्दू मुअल्लिम टीचरों की भर्ती कराने का आप निर्देश दें। इसी के साथ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ''बने हैं अहले हवस, मुद्दई ही मुन्सिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुन्सिफी चाहें।'' आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जावेद अन्सारी एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही संवेदनशील विषय पर जो अविलम्बनीय है और लोकमहत्व का भी है, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, उर्दू जुबान इस मुल्क की जुबान है, इसी मुल्क में यह जबान पैदा हुई, परवान चढ़ी और बदकिस्मती यह रही कि उर्दू जुबान को किसी न किसी साजिश के तहत् एक वर्ग विशेष की जुबान बनाकर इसे जोड़ दिया गया और जबसे इस तरह की साजिश पैदा हुई, उर्दू जानने वालों और उर्दू बोलने वालों के साथ नाइंसाफी बढ़ती चली गयी। मैं इस विषय की गम्भीरता पर सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि उर्दू भाषा किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और अगर इस बात को समझा जाता तो फिराक गोरखपुरी, चकबस्त, कृष्ण बिहारी नूर यह तमाम ऐसी सख्शियतें रहीं हैं, उन्हें नजरअन्दाज नहीं किया जाता। पहले भी बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी से मुअल्लिम की डिग्री धारकों को समबद्धता दी गई तो उसके बाद तकरीबन 8 हजार उर्दू शिक्षकों के नाम पर उर्दू

वालों की नियुक्तियां की गईं और उन्हें रोजी-रोटी से जोड़ने का काम किया गया। लेकिन तबसे लेकर आज तक 1997 के बाद से जितने भी यह उर्दू डिग्री धारक रहे हैं, वह लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय जाने के बाद तक। मा0 उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, निर्देश दिया, उस निर्देश के बावजूद भी सरकार ने इनकी नियुक्तियां नहीं कीं। उनको वह इन्साफ नहीं मिल सका जो इन्साफ उन्हें दिया जा सकता था। इसलिए मैं बहुत कुछ न कहते हुए, सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू वालों के साथ भी इन्साफ होना चाहिए। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में यदि यह भी आते हैं तो उनके भी हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए और निश्चित रूप से उनके प्रति भी इन्साफ होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, किसी कोर्स को बी0टी0सी0 के समकक्ष मानने का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम बना है और मान्यवर, उस अधिनियम के तहत जिन कोर्सों को उसके समकक्ष माना जाता है, उसको माना जाता है। आप जो लिख रहे हैं, पूरी तरह से माननीय सदस्यों ने कहा, पूरा विस्तार से कहा, यह कोई आज का प्रश्न नहीं है, लम्बे समय से चल रहा है कि इनको बी0टी0सी0 के समकक्ष माना जाए। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि इसको बी0टी0सी0 के समकक्ष मानें। जहां तक उसी के बहाने अल्पसंख्यक की बात किया है, उनके हितों का प्रश्न है, हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो कार्य किया है, आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसी भी सरकार ने वह काम नहीं किया। मान्यवर, 100 मदरसों को हमने अनुदान लिस्ट में लाने का काम किया और उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य अगर राज्य सेक्टर में कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और उर्दू जुबान के लिए इससे बड़ा कार्य और कोई नहीं हो सकता। आज हमारी सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी अपनाकर उसके लिए धन देने का काम किया है। मान्यवर, निश्चित रूप से नियमों के अनुसार ही कार्यवाही होगी। मान्यवर, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह सरकार मुस्लिम विरोधी है, यह दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैं और मेरा दल इस मुद्दे पर सदन का बहिर्गमन करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर डॉ0 वकार अहमद शाह व अन्य माननीय सदस्यों को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः अग्राह्य की जाती है।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं पर हो रहे बलात्कार एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं तीन आयी थीं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय तिवारी जी की और इसी से सम्बन्धित माननीय श्री राधेश्याम गुप्ता जी की थी। मैंने इन तीनों सूचनाओं को क्लब किया और प्रथम में माननीय तिवारी जी को सुनने का निर्णय लिया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सुबह से प्रमोद तिवारी जी बहुत विषय उठा चुके हैं इनको थोड़ा विश्राम की आवश्यकता थी। मान्यवर, इनके सिर पर भार बहुत ज्यादा है, संकल्प भी यही लाते हैं, संशोधन भी यही लाते हैं, कभी-कभी इनको थोड़ा विश्राम भी दिया जाये और थोड़ा अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका मिले।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह थोड़ा विश्राम कर लें, मैं जब विश्राम के लिए चला जाऊं तो यह आराम से बोल लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है जिसे उठाते हुए मुझे बहुत वेदना है, कष्ट है और मैं इसे आलोचना के लिए नहीं उठा रहा हूं बल्कि दुख के साथ उठा रहा हूं। मान्यवर, जिस समाज में नारी का इस तरह अपमान हो। मान्यवर, एक नारी के अपमान पर तो महाभारत हो गयी और कौरवों का नामोनिशान मिट गया। मौजूदा सरकार के राज में तो न जाने कितनी नारियों की अस्मत लूटी जा रही है। मान्यवर, अगर इसी तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा तो इस सरकार का इतिहास में नामलेवा कोई नहीं बचेगा। मान्यवर, ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाओ किसी से बात करो तो कहना है कि आजकल उत्तर प्रदेश में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं। मान्यवर, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मान्यवर, हमारी पहचान धीरे-धीरे एक ऐसे बलात्कारी प्रदेश के रूप में उभर रही है जहां कानून का राज नहीं है बल्कि जंगल का राज स्थापित हो गया है। जहां सरकार का इकबाल नहीं है, जहां सरकार का कोई जलाल नहीं है कि अपराधी डरें और नारियों की अस्मत लूटने से पहले उन्हें सरकार का भय हो। मान्यवर, शासन और प्रशासन के स्तर पर जो लापरवाहियां बरती गयीं जो कोशिश की गयी अपराधियों को बचाने की, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मान्यवर, तथ्य के रूप में मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। मान्यवर, बांदा में एक पिछड़े वर्ग निषाद समुदाय की शीलू नाम की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है। मान्यवर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नियमानुसार जब किसी सम्मानित विधायक का नाम लेना होता है तो उसकी सूचना देनी होती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्थानीय विधायक पर आरोप लगा। क्या सच्चाई है, क्या नहीं है यह तो सी0आई0डी0 की रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया, सी0आई0डी0 ने पाया कि हां बलात्कार हुआ है और बलात्कार के दोषी हैं। दोषी हैं या नहीं इसका फैसला न्यायालय करेगा। मान्यवर, सरकार ने बड़ी गलती की है। मान्यवर, जिस बालिका के साथ बलात्कार होता है वह तो जेल के सींखचों में बन्द हो जाती है। एक-दो-तीन

दिन नहीं बल्कि लगभग महीने भर बन्द रहती है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा ने और जस्टिस अग्रवाल साहब ने सोमोटो संज्ञान लेते हुए 15 जनवरी तक उसे छोड़ने का आदेश दे दिया और मुकदमा अपने सामने मंगा लिया। लेकिन मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सा शासन प्रशासन है कि जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है शीलू, उसे एक मोबाइल की चोरी पे आप जेल की सींखचों में बन्द कर देते हैं और जिस पर बलात्कार का आरोप लगता है, वह लखनऊ राजधानी में प्रेस वार्ता करता है। कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर, शासन प्रशासन ने वह भूल कर दी, वह कलंक मिटाना मुश्किल हो जायेगा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आयी, जो तथ्य छन के आये हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वहां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जाते हैं, हमारे विधायक विवेक सिंह जी आते हैं, मान्यवर, वहां पर जाकर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है कि मुकदमा वापस लिया जाय। क्या पुलिस अधीक्षक का दायित्व है, दोषियों को दण्ड देना या पुलिस अधीक्षक का दायित्व है किसी दोषी को बचाना और अब तक क्या कार्यवाही हुयी उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ, मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा। मान्यवर, जो शीलू पीड़ित हैं, कल हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी वहां गये थे। उसने अपनी सुरक्षा के लिये अपने भाई के नाम एक बन्दूक के लाइसेन्स का आवेदन किया, इतनी असुरक्षित है वो कि अपनी सुरक्षा के लिये अपने भाई के लिये हथियार के लाइसेन्स की मांग करे।

यानि कहीं न कहीं सरकार उसमें सुरक्षा की भावना पैदा करने में आज की तारीख में पूरी तरह असमर्थ है। लेकिन मान्यवर, इतना याद रखिये कि जब इतिहास लिखा जायेगा और इस घटना के बारे में कहा जायेगा तो यह दृष्टान्त दिया जायेगा कि जिस अबोध बालिका के साथ बलात्कार होता है, वह जेल की सींखचों में होती है और जिस पर आरोप लगता है, वह राजधानी में होता है। ये एक ऐसा संयोग है मान्यवर, जिसके लिये सरकार को इस घटना ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। मान्यवर, मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की कई रूलिंग है, उच्च न्यायालय की की कई रूलिंग हैं, न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि अगर पीड़िता अपने दुख को कहती है और कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो बहुत ज्यादा सबूत की जरूरत नही पड़ती है, उसके बयान को मान लेना चाहिए। इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि उसके साथ ज्यादती हुयी है क्योंकि भारतवर्ष में सामान्यतया कोई नारी, कोई महिला अपने ऊपर बलात्कार जैसे घृणित आरोप को सार्वजनिक तब तक नहीं करती, जब तक पीड़ा बहुत आगे न बढ़ जाय। मान्यवर, यह बात यहीं नहीं रुकती है, बात जरा सा आगे बढ़ें, आप तो झांसी में भारती नाम की लड़की थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है और जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है तो वह दुख पीड़ा में आग लगा लेती है और शायद यह हमारे चेहरे पर, सम्पूर्ण सदन पर, सम्पूर्ण सरकार पर, सम्पूर्ण व्यवस्था पर एक झन्नाटेदार तमाचा है मान्यवर। कल ही उस लड़की की आग से जूझते हुये मौत हो गयी। उसकी मौत ढेर सारे सवाल छोड़ गयी है कि हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिये लोग जो पीड़ित हैं वे अपने आप को मौत के गले लगा रहे हैं। मान्यवर, सुल्तानपुर यहां एक मुस्लिम लड़की रकीजा खातून से बलात्कार होता है और वो अपनी सुरक्षा के लिये और अपराधियों को दण्डित करने

के लिये बार-बार पुकार रही है। कल जब हमारे महासचिव श्री राहुल गांधी जी जब गये तो उनके सामने भी उसने दोषियों को सजा देने के बारे में अनुरोध किया, फरियाद की। मान्यवर, फतेहपुर जैसे लग रहा है कि एक बाढ़ सी आ गयी है बलात्कार की, कानून से किसी को डर ही नहीं है। सारिका नाम की एक लड़की थी, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। मैं उस बहादुर लड़की को सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं उसने अपनी अस्मत की रक्षा के लिये संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि बलात्कार का प्रयास करने वाले दबंगों ने, बलात्कार का प्रयास करने वाले अन्यायियों ने उसके हाथ पैर काट दिये, नाक पर चोट पहुंचायी और आज वह हैलेट अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। मान्यवर, इससे ज्यादा पीड़ाजनक और दुखद बात और क्या होगी मान्यवर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर कि कहानी यहीं नहीं रुक जाती है। अपने रायबरेली में, कल ही लालगंज में फिर उसका नाम शीलू, दो उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। मान्यवर, वह बीमार थी मान्यवर, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बड़ी घोषणायें कर लो बजट में, बड़ी घोषणायें कर लो सरकार की उपलब्धियों की। लेकिन यह जो प्रकरण मैंने उठाये हैं मान्यवर, आज हर मां-बाप अपनी बेटी की सुरक्षा के लिये, हर पति उसे यह लगता है कि अगर उसकी पत्नी कामकाज पर जाती है तो वह सुरक्षित लौटकर आयेगी या नहीं। बहुएं जाती हैं कामकाज पर वह सुरक्षित लौटकर आयेंगी कि नहीं आयेंगी। मान्यवर, इसीलिये कुछ लोग मजबूर होकर विधान सभा के सामने आत्मदाह करने के लिये प्रयास करते हैं, मजबूर हो जाते हैं। क्या सरकार का इकबाल समाप्त हो गया इसलिए कहीं न कहीं से इन बलात्कारियों को एक संदेश सा चला गया है कि तुमको छूट है, तुम निद्वन्द हो, तुम जो चाहे करो, कानून तुम्हारे लिए नहीं है। मान्यवर, क्या यह सरकार पूरी तरह असफल नहीं हो गई है नारियों के सम्मान को सुरक्षा को देने के लिए। मान्यवर, यह सारे प्रश्न है। जिन पर मैंने इस प्रकरण का उठाया है। मुझे खुशी है इस बात की मान्यवर, की आपने पूरा समय दिया इस प्रकरण का सुनने के लिए। इस प्रकरण को सबसे पहले हमारे दल के सदस्य विवेक सिंह ने उठाया था। मैं चाहता हूं क्योंकि यह उनके जनपद का प्रकरण है इसलिए मेरे बाद 2 मिनट उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी दो-दो लोगों को अभी सुनना है। उसके बाद कोई अन्य सदस्य नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दो मिनट सुन लीजिए, बस।

श्री अध्यक्ष-

विवेक सिंह दो मिनट में बोलिए।

*श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं आपको और मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, इतना विभत्स काण्ड और बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रख रहा हूं। आपके बीच कि जब 28 तारीख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को जब मैं जेल में गया और महिला बैरक में गया तो वह अबोध बालिका ठण्ड के मारे कांप रही थी और उस लड़की ने जब अपनी व्यथा 30-40 मिनट बताई मीडिया में छप रहा था। जब मैं जेल के बाहर आया तो तमाम पत्रकार वहां मौजूद थे, मैंने वहां पत्रकारों को बताया कि उसने कहा है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। 29 तारीख को मुझे अचानक जनता की तरफ से टेलीफोन सा आया कि बांदा का पुलिस अधीक्षक जेल के अन्दर डेढ़ बजे से बन्द है और जेल के अन्दर बन्द शीलू को धमका रहा है। तत्पश्चात् मैं जेल पहुंचा जेल में मैंने रंगेहाथ एस0पी0 को पकड़ा और उसने कहीं इन्ट्री नहीं की थी और जेल के अन्दर बिना इन्ट्री किये हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और राज्यपाल भी नहीं जा सकते हैं और तत्काल एस0पी0 वहां से भागे, मैंने जेल रजिस्टर में निरीक्षण दर्ज किया है और चाहे तो रजिस्टर को तलब करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी तक हमने सुना था कि पुलिस कब्जा करा रही है कि पुलिस लूट करा रही है लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि पुलिस न्यायिक व्यवस्था में बाधा डालते हुए। जबकि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट और बिना जज के इजाजत के जेल के अन्दर कोई पुलिस अधिकारी तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके साथ कोई मजिस्ट्रेट न हुआ हो। आई0ओ0 भी जायेगा वहां तो उसको जेलर के साक्ष्य में बयान दर्ज करना होगा। मान्यवर, बड़ी लम्बी कहानी है यह सारे अखबारों में चैनल्स में आई है। महिला आयोग से लेकर तमाम लोग गये हैं और मुझे इस बात का बहुत रंज है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि काण्ड हुआ है और विधायक को निलम्बित किया है लेकिन बांदा के बड़े-बड़े कदावर मंत्री यहां बैठे हुए हैं। 22-23 लालबत्ती वाले हमारे क्षेत्र में हैं लेकिन किसी ने भी यह हिमाकत नहीं की कि गरीबों की लूटी हुई इज्जत के लिए उस लड़की के दरवाजे पर चले जाते और उससे बात कर लेते।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, हिमाकत का मैं इनसे अर्थ जानना चाहता हूं।

*श्री विवेक कुमार सिंह-

मैं नहीं जानता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अगर अर्थ मालूम नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। यह असंसदीय है। अर्थ नहीं मालूम है तो अर्थ मालूम कर लें। हिमाकत का अर्थ क्या होता है मैं इसका अर्थ इनके मा0 नेता जी से जानना चाहता हूं। किसने अधिकार दे दिया इन्हें हिमाकत शब्द बोलने का। यदि मान्यवर, आपने यह अधिकार दिया है तो मैं बैठ जाता हूं। सीखना चाहिए समझना चाहिए तब बोलना चाहिए। अपशब्द नहीं बोल सकते हैं आप मा0 मंत्रियों को।

श्री विवेक कुमार सिंह-

यह अपशब्द नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बिल्कुल अपशब्द है यह मैं कह रहा हूं। आप हिमाकत का हिन्दी ट्रान्सलेशन कर दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो मत बोलिए, जो जानते हैं वह बोलिये, निरीक्षण किया ये किया वो किया। ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें। इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री विवेक कुमार सिंह-

आपको अफसोस हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

क्षमा मांग रहे हैं, चलिए खत्म हुई यह बात।

श्री विवेक कुमार सिंह-

उस लड़की को भी पुचकार आये होते, जितना तेज आज यहां बोल रहे हैं और आगे भी तेज बोलियेगा, यह भाषायें जो बोली जा रही हैं, उसको जनता सुन रही है और देख रही है, आगे आने वाले वक्त में आपको जवाब देगी।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्रदेश की जनता के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है, हम कितना ही विकास करा लें, कितने ही भवनों का निर्माण करा लें, लेकिन अगर प्रदेश में जन-जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो न तो हमारे विकास का कोई महत्व होगा और न ही हम आगे बढ़ पायेंगे और इस विषय को हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मान्यवर, मैं अगर इधर बैठा हुआ हूं तो उसका आशय यह नहीं है कि केवल आरोप लगाकर के अपनी संतुष्टि कर लूं, लेकिन मेरा यह धर्म भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि जो स्थिति प्रदेश की है और मैं जो देख रहा हूं, जो प्रदेश की जनता देख रही है उसको आपके सामने, माननीय सदन के सामने रख सकूं, मान्यवर, क्या यह सही नहीं है कि पिछले लगभग चार वर्ष होने जा रहे हैं अगर इसमें हम लोगों ने चिन्ता व्यक्त की होती, कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था सही हो, अपराधों पर नियंत्रण हो तो समीक्षा करके कम से कम एक जानकारी की होती,

(कुछ सदस्यों के आपस में बातें करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं, आप लोग शान्त रहें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने पहले ही शुरूआत की थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के हमें इस विषय पर चिन्तन करना चाहिए, मेरा आशय भी यही था अगर चिन्ता हमने की होती, अगर समीक्षा इस बात की होती कि प्रदेश में जितने हत्याएं हुई हैं, बलात्कार की घटनायें हुई हैं, लूट हुई है, डकैती हुई है, कितनी घटनाओं में वहां के स्थानीय पुलिस या उनके सुपरवाइजरी आफीसर्स उन हत्याओं को,

उन घटनाओं को इन्वेस्टीगेशन के बाद में, जांच करने के बाद में खोजने में सफल हुए हैं। मान्यवर, दिक्कत यह आ गई कि बहुत तेजी दिखाते हैं जांच में और तेजी दिखाते-दिखाते जो असली मुल्जिम हैं वह गायब हो जाते हैं, उनकी जगह नकली पेश कर दिये जाते हैं, इसलिए उनके हौसले बुलन्द हो जाते हैं, इस पर चिन्ता नहीं व्यक्त की गई। मान्यवर, मैं उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनके बारे में अभी जिक्र आया लेकिन परेशानी तो है मान्यवर, यह दिल में दर्द तो इस बात का है, गये या नहीं गये यह अलग बात है, लेकिन अगर एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार हो और उस नाबालिग बच्ची पर केवल एक मोबाइल की चोरी का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है और वह 21 दिनों तक जेल में बन्द रहीं, आखिर आप पूरे देश में क्या संदेश देना चाहते हो, 21 दिनों तक जेल में बन्द रहने के बाद जब न्यायपालिका बीच में आती है, तब उस लड़की को छोड़ा जाता है। मान्यवर, जब न्यायपालिका के आदेश होते हैं तो अधिकारी इस होड़ में लग जाते हैं कि इसका श्रेय न्यायपालिका को न मिले, श्रेय प्रदेश सरकार को मिले और प्रदेश की मुखिया का नाम लेकर कहा जाता है कि बहन जी ने आदेश दिया, तुरन्त उसको छोड़ दिया जायेगा, 21 दिन से यह आदेश क्यों नहीं दे दिया गया था, क्या यह जानकारी नहीं थी, इसलिए उन अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है कि ज्यूडीशियली भी जाय, न्यायपालिका भी कहीं जाय, यह विधान सभा और विधान मण्डल भी कहीं जाय, जहां से आदेश होता है, वहां से आदेश होता, भले ही गलत हों, भले ही न्यायोचित न हो, उन्हीं का पालन करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।

मान्यवर, क्या कारण था, अभी अलीगढ़ की अगर परसों की घटना आप देखें मान्यवर, पूरा देश देख रहा था कि एक महिला अपने पति की हत्या का प्रकरण लेकर के माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहती थी, उसके परिवार वाले भी साथ आये थे, हम लोकतंत्र के माध्यम से चुनकर के यहां पर आये हैं, डेमोक्रेसी का मतलब केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं है मान्यवर, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आगे भी जनता का विश्वास हमारे प्रति बना रहे और जनता अगर जनप्रतिनिधियों के पास नहीं आयेगी तो कहां जायेगी, नौकरशाही पर अगर विश्वास होता तो उन तक आने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब प्रदेश की मुखिया के पास लोग जाते हैं तो बगैर उनकी बात सुनने के उन पर लाठी चार्ज होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस महिला के बाल पकड़ कर के पुलिस अधिकारी खींच रहे थे, घसीट रहे थे सड़क के ऊपर और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मान्यवर, यह गलत हो या सही हो, लेकिन अगर कोई अपनी शिकायत लेकर के आता है मान्यवर, मैं आप सबका ध्यान इसलिए चाह रहा हूं कि शायद एक आध हमारी बात आपके मन तक पहुंच सके। मान्यवर, एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि हमारे यहा के तीन बार सांसद रहे हैं अमरपाल सिंह जी उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गयी वह सड़क पर जा रहे थे और उनकी हत्या हो गयी। कहा गया कि यह रोड होल्ड अप की घटना है। उसमें पुलिस प्रशासन के बयान बराबर बदलते रहे कभी कहा गया कि हत्यारों के तार वहां से जुड़े हैं फिर बयान आया कि यहां से नहीं फलां जगह से जुड़े हैं। मेरा कहना है कि तार कहीं से भी जुड़े हों आप देखो तो सही कि कहां से जुड़े हैं। आप उन हत्यारों को पकड़ो तो सही। मान्यवर, आज इतनी बड़ी हत्यायें हो चुकी हैं आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, मुल्जिम निर्भीक होकर घूम रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कोई आदमी घर से बाहर जाकर अपना काम करना चाहे तो वह सुरक्षित नहीं है।

मान्यवर, नोएडा में गौतमबुद्ध नगर विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर प्रोफेसर की पत्नी की हत्या कर दी जाती है। उसमें लूट भी होती है हत्या भी होती है और कार्यवाही जीरो है और मान्यवर, कितनी घटनाओं को मैं यहां पर सुनाऊं जो घटित हो चुकी हैं और कार्यवाही अब तक कुछ भी नहीं है। मान्यवर, हाथरस सादाबाद में एक ही परिवार के पांच लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी। मुजफ्फरनगर में गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के घरों में आग लगा दी गयी। उसमें पांच आदमी कुल मिलाकर मारे गये और काफी लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं। हरदोई में प्रियंका नाम की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो गयी। कानपुर में दिव्या काण्ड हो गया। कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुरादनगर में दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी जाती है। कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, इसी 24 जनवरी को लखनऊ में मल्लौर में आरती नाम की 17 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला होता है। कोई कार्यवाही नहीं। मान्यवर, कहां तक इन घटनाओं को मैं गिनाऊं।

मान्यवर, मैं आज जानना चाहता हूं सरकार से आखिर आपको क्या हो गया है। क्यों इतनी घटनायें आये दिन हो रही हैं। लगता है कि आपका इकबाल बिल्कुल समाप्त हो गया है। आज स्थिति यह है कि पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं है। फिर इन सब बातों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आपको किसी की जवाबदेही तो बनानी ही पड़ेगी। केवल जनता में यह मैसेज देने के लिए कि फलां अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है फलां को एडवर्स इण्ट्री दे दी गयी है उससे जनता को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। आप जनता को अच्छा मैसेज दें और घटनाओं का गुण दोष के आधार पर फैसला करें और हत्यारों को पकड़े। मान्यवर, आप जानते हैं कि जिन परिवारों में इस तरह की घटनायें घटती हैं वह परिवार किसी को दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। पूरे जीवन भर उसके माथे पर एक कलंक लग जाता है। यही नहीं आपके अधिकारियों की हत्या हो जाती है, लखनऊ में एक सी0एम0ओ0 की हत्या कर दी जाती है उसके तीन महीने बाद यह बात प्रकाश में आती है कि इसमें दो तीन लोगों को आपने पकड़ा है। आपने किसी को सजा भी दिलायी है। आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसमें आप किसी को भी सजा नहीं दिला पायेंगे। जितने अपराध करने वाले लोग हैं चाहे वह बैंकों में घटित घटनाओं के मामले हों या लूट के मामले हों, वह खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने एक तरह से समझौता सा कर लिया है। सबका महीने में इतना पैसा बंधा है कि इतने अपराध करेंगे। आज वह पुलिस अधिकारी उसके आगे कुछ सोच नहीं रहे हैं। अगर सोच रहे होते तो हत्याओं की घटनाओं पर निश्चित रूप से अंकुश लगता और हत्यारे पकड़े जाते। महीने की रोकड़ बंधी हुई है वह मिलते रहना चाहिए बस यही बात रह गयी है अब। हर अधिकारी यह कहने लगा कि सब जानते हैं कि इतना पैसा ऊपर पहुंचाना है तो फिर क्या होगा। हर अधिकारी खुलकर यह कहने लगा है जनता के सामने कि पैसा ऊपर भिजवाना है ऐसे अधिकारियों को जो यह दलील देते हो और दलील देकर पूरी सरकार को बदनाम करते हो आज उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। क्या पता नहीं है इनको पता है मान्यवर, लेकिन पता होने के बाद भी अपना बच्चा है कोई बात निकलती है हो जाती है यह अपने बच्चे वाला खुमार आ गया मन में तो नियंत्रण कहा रह गया उन पर। आज मैं चुनौती देता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, माननीय सिंचाई मंत्री भी यहां पर बैठे हैं अधिकारी इतना स्वछन्द हो गया है जिले का, सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हैं मोबाइल सबके पास में है

अपने-अपने एस0पी0 को मोबाइल करके देखिये कितने उठाते हैं विपक्ष की बात छोड़िये, आजाद हो गये वह जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं रहा और जनप्रतिनिधि सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है जनता से और जनता आती है इनके पास में और इनके पास आती है और यह उसका समाधान नहीं कर पाते हैं तो कहां जाय वह। यह जो घटनाएं हुई हैं, रोजाना माननीय मुख्य मंत्री जी कहीं जाती है तो जो घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं जब स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिल पाता है उनको निराशा हो जाती है तो जो सबसे बड़ा प्रमुख है इस प्रदेश का उसी के पास तो जायेंगी और जायें तो वहां तक जाने नहीं देता है कोई। एक जमाना वह भी था जब मुख्य मंत्री जाते थे घेर लेती थी जनता उनको, सुनते थे उनकी बात जा करके आज बजाय उनकी फरियाद सुनने के उन पर लाठियां बजती हैं, उनके बाल खींचे जाते हैं उनको जेल मिल जाती है मान्यवर, तो मनोबल अधिकारियों का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उनके मन में सोच आयेगी कि नहीं आयेगी हम कुछ भी कर लें सुनने वाला कोई है नहीं यहां पर इस सोच को बदला जाय अपनी प्राथमिकता बदली जाय तभी कुछ समाधान हो पायेगा।

मान्यवर, मैं बड़े दुख और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं करता। आज दशा बहुत चिन्तनीय है, दुर्दशा हो चुकी है मान्यवर, हम 35 साल से राजनीति कर रहे हैं बहुत दिन से इस विधान सभा में बैठ रहे हैं लेकिन तब दुख होता है कि मेरे पास कोई दुखियारी आये और मैं अधिकारियों से सम्पर्क करना चाहूं तो कहेंगे कि दौरे पर है और अगर कहीं लैण्डलाइन मिला लिया तो एक जवाब है कि साहब दो घण्टे बाद आयेंगे तो मैं बात करा दूंगा। वह दो घण्टे कभी आते ही नहीं क्योंकि उनके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि यह विधान सभा औपचारिकता मात्र रह गयी है यह प्रश्न हमारे औपचारिकता मात्र रह गये हैं। मान्यवर, यह सरकार भी बैठी है और आप भी बैठे हैं मेरा अनुरोध है कि अगर इस सदन के सदस्यों के माध्यम से जनता की रक्षा करनी है तो कम से कम यह अंकुश अधिकारियों के ऊपर लगना चाहिए। मेरे पास पूरी सूची है संसदीय कार्य मंत्री जी मैं चाहूंगा कि इसे आपके पास पहुंचा दूं इसको मैं यह भी चाहूंगा कि इस सूची के आधार पर कितने मामलों में, कितने प्रकरणों में जांच हुई कितनों में गिरफ्तार हुये और कितनों में चार्जशीट दाखिल हुई तो आपके सामने एक आइना आ जायेगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था आज क्या कह रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपसे कि बढ़ते हुए अपराधों पर नियंत्रण करने का संकल्प लिया जाय और तो संकल्प काफी आ गये आज यह भी संकल्प आ जाय कि पूरा सदन इस बात का संकल्प करे और प्रदेश सरकार आश्वस्त करे कि जो कुछ हो गया आगे हम इन बढ़ते हुए अपराधों को नियंत्रण करके रहेंगे और जनता को सुख शांति से जीने देंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब दो मिनट में अपनी बात रखें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि 2 मिनट में अगर हम पूरे कानून व्यवस्था पर चर्चा करें तो वह हो नहीं पायेगा। जो देश भर के अन्दर हो रही हत्या लूट, बलात्कार, चोरी चेन स्नैचिंग है अगर इन सारी घटनाओं को एकत्रित करके बोलना प्रारम्भ कर दूंगा तो कठिनाई हो जायेगी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी जो प्रमुख बातें थी वह हमारे आदरणीय नेता जी ने बताई। मैं केवल इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपको मालूम है आप भी व्यथित हैं चर्चा में आपके साथ भी जब बातचीत होती है तो आप भी इस बात में पूरा कंसर्न रखते हैं और इस बात को मानते हैं कि कठिनाई है। मान्यवर, आप भी इस बात को मानते हैं और सरकार को भी इस बात को मानना चाहिए अगर नीचे वाले अपराध कर रहे हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगाना सरकार का काम है। मान्यवर, मैं कानपुर की केवल कुछ घटनाएं बता रहा हूं। मान्यवर, 2010 में जो कानपुर में घटनाएं हुई हैं वह बता रहा हूं हत्या 21 एवरेज है 2 का, शीलभंग 105, अपहरण 212, दहेज उत्पीड़न 425, बलात्कार 33, छेड़छानी 143, दहेज हत्या 86, चेन लूट 311 इतनी मान्यवर, एक जिले के अन्तर्गत हत्याएं हो रही हैं। मान्यवर, पिछले दिनों जो कानपुर में दिव्या हत्या काण्ड हुआ उसकी चर्चा सभी लोगों ने की। उसकी चर्चा सभी लोगों ने की। मान्यवर, शर्मनाक बात है। सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो सरकार दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास करने लगी। इसके बाद जब राजनैतिक दलों का दबाव पड़ा तो मजबूर होकर इन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की।

मान्यवर, अभी कल ही की घटना है, कानपुर में बिन्दगी से आयी हुई एक नाबालिग लड़की के नाक और कान काट लिये गये। मान्यवर, यह तो हम पुराणों और इतिहास में पढ़ा करते थे कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ऐसा किया करते थे। लोकतंत्र में सरकारों के रहते हुए इस प्रकार की घटना हो जाये, मान्यवर, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। मान्यवर, यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ, मैं वर्ष 2010 की बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह सिलसिला शुरू हुआ नीलम बलात्कार काण्ड से, जब मैंने आपकी अनुमति से इस मामले को यहां पर उठाया था और सरकार ने इस मामले में अधिकारियों का जो वक्तव्य था, उसे पढ़कर सुना दिया था। मान्यवर, सत्ता और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं, हम सब लोग सरकार के रूप में हैं। ऐसा नहीं है कि आप संख्या में ज्यादा आ गये तो आप सरकार हो गये और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आपसे ज्यादा जिम्मेवारी है। मान्यवर, उस समय भी, जिस समय हमने यह बात कही थी आपको अगर अधिकारियों का वक्तव्य पढ़ना था तो दिव्या काण्ड में भी जो आपने वक्तव्य पढ़ा था तो वह झूठा था और गलत था। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानपुर महानगर में तीन महीने पहले अग्रवाल परिवार की तीन महिलाओं की एक ही साथ दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी। यह दिन में 3 बजे की घटना है। घर में उनकी हत्या कर दी गयी और उसमें कोई पकड़ा नहीं गया। एक जबरदस्ती निर्दोष को पकड़कर बन्द कर दिया गया, उनके परिवार के लोगों ने भी यह कहा कि यह व्यक्ति घटना में शामिल नहीं था। मान्यवर, आज जनता का सरकार से विश्वास उठ चुका है। आज महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया, क्योंकि चेन स्नैचिंग की घटनायें बहुत हो रही हैं। महिलाओं ने सोचा कि अब नकली पहनकर चलेंगे। इसी से सम्बन्धित मैं आपको एक घटना बता रहा हूं कि लुटेरों ने एक महिला की चेन छीन ली और जब उनको पता चला कि यह नकली है तो उन्होंने वापस आकर उसको मारा और कहा कि नकली पहनती हो। तो मान्यवर, आज यह स्थिति है और अपराध के कारण पूरा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। मान्यवर, कैसी सरकार है। मान्यवर, आप उसके जिम्मेवार है या नहीं, यह हम कहने के लिये तैयार नहीं है लेकिन जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार

है और अगर सरकार उसको संरक्षण देती है तो परोक्ष रूप से आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को जिनके बारे में माननीय सदस्य ने बताया है, हम किसी घटना की जानकारी करने के लिये यदि फोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि वह व्यस्त है। हत्या जैसी घटना मान्यवर, उनके लिये छोटी-मोटी बात है। इतनी जघन्य घटनायें कानपुर महानगर में हो रही हैं और पूरे प्रदेश में हो रही हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को, जिनके रहते हुए यह हत्यायें हो रही हैं, उनको आप सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें। उनका तो जैसे सिर्फ पैसा वसूली करने का काम रह गया है। मान्यवर, मेरे पास बड़ी लम्बी सूची है सारे जिलों की अपराध की सूची है, अगर मैं सब जिलों की सूची पढ़ना प्रारम्भ कर दूंगा तो जितने दिन का सदन है शायद उतने दिन उसमें लग जायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, आपके मन में भी चिन्ता है, वही सदन की चिन्ता है और आप अपनी उस चिन्ता को सरकार को मानने के लिये बाध्य करें, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे माननीय नेता जी ने जो बात कही है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं तो केवल एक घटना तक अपने आपको सीमित रखूंगा। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि नियम-56 में ग्राह्यता पर आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह पहली फरवरी की घटना है। आई0टी0बी0पी0 के द्वारा बरेली में बेरोजगारों की भर्ती करने के लिये लोगों को आमंत्रित किया गया था। मान्यवर, आई0टी0बी0पी0 के अधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने समय रहते प्रशासन को पूरी सूचना दे दी थी लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोकल इंटेलीजेंस इस बात का आंकलन करने में पूरी तरह से असफल रहा कि कितने लोग इस भर्ती में शामिल होने वाले है। यहीं से इस बात की शुरूआत होती है। मान्यवर, लाखों लोग एक फरवरी को बरेली में एकत्र हुये और जब आई0टी0बी0पी0 के सामने यह प्रकरण आया तो उन्होंने फौरन इसकी तारीख बढ़ा दी। जब कभी भी इस प्रकार की भर्ती चाहे वह सेना में हो, पुलिस में हो, पी0ए0सी0 में हो या किसी भी प्रकार की फोर्स में हो तो निश्चित रूप से मान्यवर, हड़कम्प जरूर मचा। वर्ष 2009 और 2010 में ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे वह बुलन्दशहर का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे चन्दौली का हो, प्रतापगढ़ को हो। जहां-जहां भी यह भर्तियां हुयी, ऐसी घटना जरूर हुयी कि कोई न कोई अप्रिय घटना जरूर घटी तो इसका पूर्व संज्ञान अगर लिया जाता प्रशासन के द्वारा तो शायद यह घटना टल जाती। मान्यवर, लाखों लोग बरेली में एकत्र हो गये और उनको भगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने लाठी चलायी, इसकी फोटोग्राफी भी हुई। मान्यवर, हिमगिरी एक्सप्रेस बरेली से चलकर सीधे लखनऊ रुकती है उसका शाहजहांपुर स्टापेज नहीं है। यह ट्रेन बरेली से लगभग साढ़े तीन बजे 1 तारीख को छूटती है और उसमें हजारों लोग गाड़ी के अन्दर और छत पर बैठ गये। शाहजहांपुर में स्टेशन के पास एक छोटा सा लकड़ी का पुल है जो कि कम्प्रेटिवली नीचा है। अगर रेलवे वाले पूरी तरह से सक्रियता और तन्मयता दिखाते तो जो ऊंचा पुल आधा बना हुआ है वह यदि पूरा बन जाता तो शायद यह दुर्घटना नहीं होती। लोग ट्रेन की छतों पर बैठे थे और वह उस लकड़ी के पुल से टकरा गये। नतीजा यह हुआ कि उसमें से 30-35 लोग गिर गये और बहुत बुरी तरीके से उनको हेड इंजरी हुई। उसमें से अभी तक की सूचना के हिसाब से

19 लोगों की जाने चली गयी। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में 15-16 लोग भर्ती हुए, उसमें से 11 लोग रिफर होकर लखनऊ आये और उसमें से भी चार लोगों की मौत हो गई। अगर समावेश किया जाये तो बरेली से जिस समय ट्रेन चली थी उस समय पुलिस वाले डंडा चलाने के बजाय अगर यह तय कर लेते कि जब तक परीक्षार्थी उतर नहीं जायेंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी या फिर बरेली से वायरलेस करके ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवाया जाता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती।

मान्यवर, आज भी एक व्यक्ति रत्नेश कुमार मांझी पुत्र श्री शिव शंकर मांझी का पता नहीं चल रहा है। बरेली तक की तो जानकारी मिलती है लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ इसका कोई अता-पता नहीं है कि वह इस दुनिया में है भी या नहीं। मान्यवर, मेरा कहने का मतलब है कि यदि इस पर सक्रियता बरती जाती तो शायद यह घटना नहीं होती। हम विशेष रूप से सरकार का और संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वह गरीब और बेरोजगार 30-35 वर्ष के नौजवान लोग थे नौकरी के लिए गये थे और सोचा था कि रोजी-रोटी ले करके लौटेंगे। मान्यवर, फौज में जो भर्ती होने जाते हैं वह बड़े घरों के बच्चे नहीं होते वह गरीब घरों के बच्चे होते हैं। लेकिन वह बच्चे घर नहीं लौट सके बल्कि उनके घरों में लाशें आईं। 15 लोगों का पोस्टमार्टम शाहजहांपुर में हुआ, चार लोगों का लखनऊ में हुआ और मान्यवर, सरकार की संवेदनशीलता देखिये कि ऐसे बच्चों के परिवारवालों को एक रुपया भी देने की घोषणा नहीं की गई जिससे कि उनके परिवार वालों के आंसू पोछे जा सकें। मान्यवर, मेरी सरकार से मांग है कि इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपये और जो घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपये देने की व्यवस्था सरकार करे। आपने इस महत्वपूर्ण घटना पर हमें बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने की अनुमति दी। उप नेता भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय रखा है उसमें मैं अपने को जोड़ते हुए अपनी बात कहता हूं। मान्यवर, मैं गोरखपुर से विधायक हूं और सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर, एक फरवरी को मा0 मुख्य मंत्री जी गोरखपुर-देवरिया की यात्रा पर गयी थीं। एक बच्ची उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी बहन की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी। स्थानीय सी0ओ0 ने उसे मिलने से रोक दिया लड़की ने उनसे मिलने का प्रयास किया और स्थानीय सी0ओ0 के रोकने पर उसने सी0ओ0 को थप्पड़ मार दिया। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उस सी0ओ0 को थप्पड़ खाते हुए देखा। माननीया मुख्य मंत्री जी ने उसे बुलाया और उस बच्ची से उसकी बात सुनी कि घटना क्या है। 26 नवम्बर को उसकी छोटी बहन प्रियंका एक बारात में गयी थी, वह 8 से 9 साल की थी। बारात से लौटते समय 4 लड़कों ने उसका अपहरण किया और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। 26 नवम्बर से लेकर के मुख्य मंत्री जी के वहां जाने तक अर्थात् दिसम्बर व जनवरी पूरे दो महीने बीत गये। उस लड़की के चाचा स्थानीय ब0स0पा0 इकाई के अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी की पूरी की पूरी स्थानीय इकाई ज्ञापन पर ज्ञापन देती रही कि उसका बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद उसकी हत्या हुई है इसलिए अपराधियों को दण्डित किया जाये। दो

महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और सी0ओ0 इस बात का दबाव बनाता रहा कि समझौता कर लो। दूसरी घटना देवरिया में ही रामपुर कारखाना है वहां पर एक पटनवहा स्थान है, वहां एक बाबा रहते हैं। वह एक छोटी सी जमीन पर खेती-बाड़ी करते हुए एक मंदिर बना रहे थे और उन्होंने एक बड़े मंदिर को खड़ा कर लिया था। एक ब0स0पा0 के नेता ने जमीन कब्जा करने की नीयत से रात में उनकी हत्या करायी और उनको जला दिया। जब वह जलाये जा रहे थे और जलाकर लोग भाग रहे थे तो स्थानीय लोगों ने तीन लोगों को पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। जिन्हें पुलिस के हवाले किया उनके हाथ जले हुए थे और माननीय अध्यक्ष जी जो लोग रंगे हाथ पकड़े गये उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं हुआ बल्कि जिन लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया उनके विरुद्ध उस बाबा की हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। स्वाभाविक रूप से वहां आक्रोश हुआ, पूरी जनता सड़कों पर आ गयी और पूरे थाने को घेर करके आन्दोलन चला। पुलिस को गोली चलानी पड़ी और एक नौजवान बच्चे की मौत हो गयी। मैं ये दो घटनायें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि यह सारी व्यवस्था हमारी कहां जा रही है ? ब0स0पा0 के नेताओं के दबाव में हत्याओं, बलात्कारों को दबाने की कोशिश हो रही है। इससे स्थिति और बिगड़ रही है अब स्वयं ब0स0पा0 के नेता के परिवार में किसी की हत्या व बलात्कार हो जा रही है तो पुलिस केवल समझौता कराने जा रही है। उसे अब यह भी खौफ नहीं रह गया है कि मा0 मुख्य मंत्री तक ब0स0पा0 के नाते अगर सूचना जायेगी तो हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी या नहीं। मैं सिर्फ इन दो घटनाओं को आपकी संज्ञान में लाता हुआ इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था की जो खराब होने की स्थिति है, पुलिस की पूरे तंत्र के अन्दर जो भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट व्यवस्था पनपी है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा इस सूचना पर सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये, यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। मा0 ओम प्रकाश सिंह खड़े हुए हैं।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास आपकी कोई सूचना नहीं है। जो सूचीबद्ध है उसमें आपकी सूचना नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं इन घटनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस सदन की स्वर्णिम युग भी देखे हैं और आज का युग भी देख रहा हूं। मैं एक शब्द कह रहा हूं कि आज यह पन्द्रहवीं विधान सभा अपने जीवन काल के स्वर्णिम इतिहास में एक बहुत बड़ा कलंक अपने दामन पर ले ली है और यह प्रकट करता है कि यह प्रदेश और प्रदेश की राजनीति अपराध की जकड़ में कितनी आ रही है। विधान सभा सचिवालय से हमें 3 फरवरी, 2011 तक के जो रिकार्ड प्राप्त हुए उसके अनुसार 13 विधायक विभिन्न अपराधों में जेल में है। मैं उन विधायकों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं। एक समय

था 1975 में कि पूरा विपक्ष जेल में था। वह इमरजेंसी का समय था, वह राजनीतिक बन्दी थी। राजनीतिक बंदी होते रहते हैं। कोई आन्दोलन होगा, बहुत सारे लोग जेल में चले जायेंगे। जो सरकार होगी वह बन्द कर देगी और जेल भरो आन्दोलन में बहुत सारे लोग जेल में चले जाते हैं लेकिन इस विधान सभा का इतिहास कलंकित हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं। मधुमिता हत्याकाण्ड का अभियुक्त इसी विधान सभा का सदस्य है, शीतल शोध छात्रा का अपराधी जेल में है। शीलू बलात्कार केस का अपराधी जेल में है। शशी का शव भी बलात्कार के बाद गायब कर दिया गया वह जेल में है। महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार करने के मामले में एक दो नहीं 6 लोग जेल में हैं। मैं बलात्कार को हत्या से ज्यादा बड़ा अपराध मान रहा हूं। क्योंकि बलात्कार जिस महिला के साथ हो जाता है, जिस नाबालिग कुंवारी लड़की या महिला के साथ बलात्कार हो जाता है वह जीवन भर घुट-घुट कर जीती है। मौत शायद उसके लिए अच्छी होगी। आखिर यह लोग क्यों आये। यह विधान सभा में पहुंचे कैसे। इसलिए मैं चाहूंगा कि उत्तर देते समय अपराध गिनाये जायेंगे संख्या कम बताई जाएगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या इसके पहले महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार, जलाए जाने के मामले में इतने विधायक जेल में बन्द थे ? नहीं बन्द थे।

मान्यवर, एक अखबार में लिखा है कि यू0पी0 में लव, सेक्स और धोखा। उदाहरण मधुमिता का उदाहरण शशि का और उदाहरण कविता चौधरी का, उदाहरण शीतल चौहान का, बदायूं कि ज्योति शर्मा का शीलू का इस चरित्र के लोग विधान सभा में आ रहे हैं। ऐसे चरित्र के लोग जो भोगी हैं, दुष्कर्मी हैं, चरित्रहीन हैं ऐसे लोगों को विधान सभा में लाने की जिम्मेदारी कोई लेगा भी कि नहीं कोई इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं ? जब विधायक ऐसे लोग जो दुराचारी, दुष्कर्मी और भोगी लोग हैं जो महिला को भोग की सम्पत्ति मानते हैं मैं तो इस मत का हूं कि इस विधान सभा की समस्त महिलाओं को ऐसे लोगों को विधान सभा में आने पर विरोध जताना चाहिए तभी लगेगा कि जनजाग्रति आ रही है। ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया जाता है। दुख इस बात का है कि ऐसे अपराधी लोग आज जिस पार्टी में है उस पार्टी के सदस्य बने हुए हैं फिर भी पार्टियां कहती हैं कि मैं अपराधियों को संरक्षण नहीं देता मैं राजनीति से अपराधीकरण को दूर करना चाहता हूं। यह कौन सा दोहरा मापदण्ड है। मैं अपराधियों को संरक्षण देने का पक्षधर नहीं हूं। अगर किसी अपराध के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो ऐसे अपराधी को क्यों नहीं पार्टी से निकाल दिया जाता है। एक दो सदस्य कम हो जाने से किसी पार्टी की शक्ति नहीं कम हो जाती है। जिनका मैंने उल्लेख किया वह चार एक पार्टी में चार दूसरी पार्टी में और पांच निर्दलीय सदस्य हैं। तो यह अपराधियों के प्रति उदारता क्यों है। जब अपराधियों को लाने की पूरी व्यवस्था की जायेगी तो अपराध बढ़ेगा ही फिर पुलिस साथ में होगी पहले भी साथ में थे कन्नौज में एक व्यक्ति का सर कलम कर दिया गया जो उस समय की सरकार थी उसने हमारी नहीं सुनी वह इतिहास सभी जानते हैं। वह मामला भी इसी विधान सभा में उठा था। जब हम अपराधिक प्रवृत्ति के हो जायेंगे, अपराधियों को संरक्षण देकर विधान सभा में लायेंगे जिसमें हम पुलिस का सहयोग लेंगे तो पुलिस का दुरुपयोग अधिकारियों का दुरुपयोग अपराध का मूल कारण है। इसलिये मैं उन सभी नेताओं से समझता हूं जिन्होंने टिकट दिये हैं, वो नैतिक जिम्मेदारी लें या तो प्रायश्चित करें, शर्म करें या इस्तीफा दे तब ठीक है अन्यथा जैसा सदस्यों ने कहा कि हम संरक्षण भी

देते रहे हैं। अब शीलू काण्ड में दो पक्ष हैं। कौन देगा उसके जीवन का एक महीना ? जो निर्दोष होकर के एक महीने जेल में बन्द थी। एक महीने वह घुट-घुट कर कैसे मरी होगी, कैसी जिई होयेगी कि हमारे साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ और हम जेल में भी हैं। उस अमूल्य जीवन को उसके जीवन के उस एक महीने की स्वतंत्रता को कौन देगा ? कोई है प्रायश्चित ? नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग नहीं जानते थे ? यह छिपाने की अपने विधायकों के दुष्कर्म, दुराचार को छिपाने का प्रयास चल रहा है इस सरकार में वह है कारण अपराधों के बढ़ाने का। मान्यवर, मैं इसीलिए चाहूंगा कि आप कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायें और अपराध बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से बलात्कार। आज प्रदेश में कोई जिला, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां अखबारों में रोज सुबह बलात्कार की घटनाएं पढ़ने को न मिलती हों। मान्यवर, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहा अत्याचार, यह असभ्य समाज का लक्षण है। दुराचारी समाज दुराचारी हो रहा है इसका यह प्रतीक है और मान्यवर, इसलिये इस समाज की इज्जत के लिये और यह जो सदन कलंकित हुआ है पन्द्रहवीं विधान सभा ऐसे सदस्यों के आने के कारण से इसकी रक्षा कीजिये। मैं पुनः आग्रह करता हूं नेताओं से कि ऐसे सदस्यों को अपने दल से निकालिये। इतना ही कहते हुए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं बोलूं ?

(श्री संजय कपूर के व संसदीय कार्य मंत्री के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्रम टूट गया है। सभी दल के लोग बोल चुके हैं। अभी आगे नोटिसें हैं उन पर बुलवाया जायेगा। अभी गुप्ता जी से बाद में बुलवाया जायेगा।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है। यह युवक रोजगार सेवक सहदेव दो दिसम्बर को यहां धरना देने आया था तब से यह लापता है आज दो महीने हो गये हैं। उसके मां-बाप का रो-रो के बुरा हाल है। मैंने स्वयं भी व्यक्तिगत तौर पर इसके बारे में कहा लेकिन आज तक कोई पता नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह रुकें तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी वो फर्स्ट गीयर में हैं, अभी कहां रुकेंगे।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, आज दो महीने हो गये हैं उसका कोई अता-पता नहीं है। शासन में कई बार अवगत कराया गया। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कई बार मिलने आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, दो महीने हो गये हैं, उसका कोई अता-पता नहीं है इसके पिता-माता का रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना लखनऊ की है 6-12-2010 को इसकी एक एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है जब यहां पर कानून

व्यवस्था का यह हाल है तो प्रदेश का आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन को इस नौजवान बच्चे का पता लगाने के आदेश देने की कृपा करें अपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने संज्ञान में ला दिया है। यह घटना है, विधान सभा के सामने धरने की है। इसको दिखा लिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में न्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त एवं विकासयुक्त समाज की स्थापना एवं कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने के लिये वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण इस शासन की प्रमुख वरीयता है। मान्यवर, इसी संकल्प के कारण राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा अपराध का जो आंकड़ा क्राइम इन इण्डिया 2009 का अभी आया है और उसमें अपराध दर के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वह इस देश में 34वें स्थान पर है। मान्यवर, महिला सम्बन्धी अपराध में केवल तीन प्रदेश ऐसे हैं जहां हमसे कम अपराध हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी इतना बता दें कि किस प्रदेश में कितने विधायक बलात्कार के मामले में जेल में बन्द हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

बता रहे हैं महिलाओं के सम्बन्ध में जो अपराध हैं उसमें उत्तर प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश और अन्य प्रदेशों में से तीसरे स्थान पर है जहां कम अपराध हैं। बाकी सारे प्रदेशों में मान्यवर, उत्तर प्रदेश के एक-दो प्रदेश हैं जहां उत्तर प्रदेश और वहां की बराबर दर है बाकी सारे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से अपराध दर ज्यादा है। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बहुत जोर-शोर से इस बात को उठाया। उत्तर प्रदेश में मान्यवर, अपराध दर वर्ष 2009 में 11.9 थी। आन्ध्र प्रदेश में 30.7, गुजरात में 13.9, हरियाणा में 21.9, यह महिला सम्बन्धी अपराध है। हरियाणा में 21.9, मध्य प्रदेश में 22.3, महाराष्ट्र में 13.8 और दिल्ली में 23.8 राजस्थान में 26.2 और भारत का औसत दर महिलाओं के सम्बन्ध में जो है वह 22.1 है। मान्यवर, इनके युवराज न तो दिल्ली जाते हैं न हरियाणा जाते हैं और न राजस्थान जाते हैं। मान्यवर, जब इनके समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो 17-18 जनवरी को करैली में, इलाहाबाद में, छात्रावास में अपराधी जाते हैं और अपराधी छात्राओं को पसन्द करते हैं और उनको ले जाते हैं अपराध करते हैं। तब इनके युवराज को और इनको देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अपराधी घूमते रहे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, दिल्ली में तमाम ऐसी घटनायें हैं जेसिका लाल की तमाम ऐसी घटनायें हैं जहां इनको दिखाई नहीं पड़ता है। वहां इनको जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में, चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पर आरोप लगा है हमने तुरन्त उनको मंत्रि-परिषद् से हटाने का काम

किया है और मान्यवर, यहां पर उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों ने जब हमने पार्टी से उनके पिता को टिकट नहीं दिया तो यहां पर विधान सभा में उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों ने उनको टिकट देकर लोक सभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। मान्यवर, हमने उनको उस अपराध के चलते टिकट नहीं दिया तो एक पार्टी जिसने आरोप लगाया था उसने उनको संरक्षण देने का काम किया। मान्यवर, इस तरह की जितनी भी घटनायें हैं जिस तरह से पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी की घटना है, हमने तो पार्टी से भी निकालने का काम किया और साथ ही साथ मान्यवर, अपराध दर्ज करके जिस दिन मान्यवर,

(शोर)

12-1-2011 को लड़की का बयान आता है और लड़की के बयान के तुरन्त बाद एफ0आई0आर0 दर्ज होती है उसमें जो भी अधिकारी हैं अपर पुलिस अधीक्षक उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया गया, आपने करैली में किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया था ? माननीय राजूपाल विधायक का दौड़ा-दौड़ाकर मारने का काम किया गया था और मारने वाले लोग घूमते रहे उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, निश्चित रूप से हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है एक भी ऐसी घटना बताइए जिसमें कार्यवाही नहीं हुई है जो भी संज्ञान में आया जो भी संज्ञान में घटनायें आई हैं उसमें जांच कराने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कार्यवाही करने का काम किया है मान्यवर.... (शोर)

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

सत्य प्रकाश जी आप बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

फर्जी बोलने की जरूरत नहीं है जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसको इस आधार पर बख्शने का काम नहीं किया जाएगा कि वह विधायक हैं कि सांसद हैं या मंत्री हैं अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रतिशत 94.1 प्रतिशत रहा है। अन्य अभियोगों के निस्तारण का प्रतिशत 91.9 प्रतिशत रहा है। मान्यवर, हमने तो पूरी तत्परता के साथ जिन-जिन घटनाओं का उल्लेख किया है अब इस आधार पर नहीं कि अनावश्यक रूप से किसी के खिलाफ बात कही जाएगी। बिना दोष के केवल राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए किसी के खिलाफ बात करने का काम किया जाएगा और उनकी सल्तनत को हराकर कोई विधान सभा में पहुंचने का काम किया हो और झूटा फंसा दिया जाए तथा उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाए तो ऐसी जगहों पर निश्चित रूप से जहां वह निर्दोष होगा, कार्यवाही नहीं होगी लेकिन मान्यवर, जहां भी कोई दोषी होगा, इस आधार पर उसे बख्शने का काम नहीं किया जायेगा कि वह विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं। मा0 ओम प्रकाश जी की जो चिन्ता है, निश्चित रूप से हमने कार्यवाही की है, हमने उनको अलग करने का काम किया है। मान्यवर, जो सबसे ज्यादा

घड़ियालू आंसू बहाते हैं उन लोगों ने भी उस तरह का काम किया है। माननीय तिवारी जी और कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बात करते हैं, मुझे तो कई ऐसी घटनाएं याद हैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस दौड़ा-दौड़ा कर और नंगा घुमा कर और किस तरह का अत्याचार किया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई थी ? मुझे याद है। निश्चित रूप से मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक अपराध की स्थिति है, नियंत्रण में है। मैं कुछ और आंकड़े बताना चाहता हूं। प्रदेश सरकार ने अपराधों पर नियंत्रण करने की कार्यवाही की है और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उसका परिणाम है कि हत्या में 6 प्रतिशत की कमी आई, वर्ष 09 के मुकाबले वर्ष 2010 में, बलवा में 3 प्रतिशत की कमी आई, गृह भेदन में 6 प्रतिशत की कमी आई, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत की कमी आई, दहेज हत्या में 7 प्रतिशत की कमी आई और बलात्कार में 17 प्रतिशत की कमी आई है। इस तरह से मान्यवर, जो कार्यवाही हुई है, उसी का यह परिणाम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण। इसमें पहले कि आपकी रूलिंग आए, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है अगर वह अलग-अलग जानना चाहते हैं तो मैं सब पर बता दूं कि क्या कार्यवाही हुई है। मान्यवर, कहीं भी किसी भी दोषी को छिपाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है और जो भी जांच में आया है और जो भी दोषी पाया जायेगा, उसे छोड़ा नहीं जायेगा। उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण के माध्यम से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हमारे मा0 नेता के लिए युवराज शब्द का प्रयोग किया है। मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वह हमारे निर्वाचित सांसद हैं, कोई युवराज नहीं है बल्कि जनता से निर्वाचित लोकप्रिय नेता हैं। अगर आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है तो हम और अच्छा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपापूर्वक इसको कार्यवाही से निकाल दें, इस पर हमारी पार्टी घोर आपत्ति व्यक्त करती है।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिसके कारण यह सहमें और डरे हुए हैं सही बात है, इनकी चिन्ता जायज है, उन्हीं के नेतृत्व में लोक सभा के चुनाव में इन्हें नम्बर-3 पर पहुंचा दिया था, जब यह सरकार में खुद थे। आगामी विधान सभा चुनाव में भी कहीं अता-पता नहीं चलेगा, यह पाप आपके सर पर चढ़कर बोलेगा। रही बात आंकड़ों की तो जब मुकदमें लिखे नहीं जायेंगे, चाहे आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट मंगा लीजिए, चाहे जो आंकड़े मंगा लीजिए, यही तो सारे दल के नेताओं ने कहा है कि यहां अपराध होते हैं और जो निर्दोष होता है वह तो जेल के अन्दर बन्द होता है और जो दोषी होता है, वह राजधानी में होता है। तो मान्यवर, जब आपके यहां अपराध लिखे नहीं जाते हैं, इसके लिए सरकार की न तो नीति है, न नीयत है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल पूरे दिन के

लिए सदन से बहिर्गमन करता है क्योंकि यह महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, जिसमें पूरी तरह से सरकार शामिल है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दहेज हत्या में 2009 के मुकाबले 7 प्रतिशत की कमी आई, बलात्कार में 2009 के मुकाबले 2010 में 17 प्रतिशत की कमी आए, छेड़खानी में 17 प्रतिशत की कमी आई और महिला उत्पीड़न में 8 प्रतिशत की कमी आई।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आपने जिन विधायकों को निकालने की बात कही है वह सब विधान सभा सचिवालय के रिकार्ड में आपकी पार्टी के सदस्य आज भी हैं, 03 फरवरी को भी है। इसलिए अखबार में निकालने की घोषणा, घोषणा नहीं है। इसलिए यहां लिखकर दीजिए कि निकाल दिया। जब यहां से पार्टी लिस्ट में नाम कटेगा तब निकाला हुआ माना जाएगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में इनका बयान पूरा गुमराह करने वाला है और अपराधी विधायकों को संरक्षण देने वाला है इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी को और अन्य माननीय सदस्यों को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। अतः इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सच बात सुन नहीं सकते इसलिए भागेंगे। यह रोज प्रेस मीडिया में हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि बहन कुमारी मायावती जी के मुख्य मंत्री रहते हुए प्रदेश में अपराधियों के हौसले अच्छे नहीं हो सकते, उनको निश्चित रूप से जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और निश्चित रूप से आज बहन कुमारी मायावती जी के मुख्य मंत्री रहते हुए किसी भी अपराधी को बख्शने की कार्यवाही नहीं की जा रही है चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हो।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश की जनता भी जान रही है कि अपराधियों का हितैषी कौन है। अपराधियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली कौन पार्टी है। यह सब उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। इसलिए यह आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। इसलिए वह अच्छी तरह से जानती है कि

समाजवादी पार्टी का जो वजूद है वह अपराधियों की बदौलत है। मान्यवर, जहां तक कार्य-स्थगन का सवाल है यह कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री आरिफ अनवर हाशमी सहित कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह तो अन्य लोगों की नोटिस थी तो आप क्यों परेशान हैं। जब आप लोग नोटिस ही नहीं लगाये हैं। आपकी इस विषय पर तो कोई सूचना नहीं है। आपकी आगे सूचना है। वकार साहब आपकी तो कोई सूचना नहीं है आपकी तो दूसरे पर सूचना थी। आप दूसरे की सूचना पर काहे परेशान हैं।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर चर्चा करा लें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, हमारे दल का नाम आ रहा है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, हमें सुन लें।

(नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष-

एक साथ न बोलें। माननीय अवधेश जी आप अपने स्थान से बोलें। हम सुनेंगे। निषाद जी वरिष्ठ सदस्य हैं, कोई भी माननीय सदस्य कहें। मैं सुनूंगा। कुशवाहा जी आपकी नोटिस मैं बाद में सुनूंगा। आपकी नोटिस मैं सुनने के लिए लिया हूं। डॉ0 पी0के0 राय की नोटिस लिया हूं। उस्मानी साहब की भी है। लेकिन पहले माननीय अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं उन्हें सुन लें। आप बैठ जाइये। हमारे मा0 सदस्य किसी बात को लेकर के दुखी हुए और वेल में आये। मैंने अनुरोध किया है आप सबसे, और धन्यवाद भी दे रहा हूं। मैंने कहा कि किस बात का दुख है जिस कारण से आप आये हैं मैं सुनूंगा। मैं आपकी हर बात सुनने के लिये तैयार हूं। मा0 अवधेश जी आप कहें कि क्या विषय था।

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमको सुनने का मौका दिया। श्रीमन्, यह विषय क्या है, यह जगजाहिर विषय है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून-व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, यह इस आजाद देश के माथे पर कलंक है। श्रीमन्, मा0 नेताओं ने बहुत विस्तृत रूप से दृष्टान्त, उदाहरण दिया है और यहां तक बताया कि एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है, वह महिला शीलू एक महीने तक जेल में रही। मा0 मंत्री जी से यह उम्मीद की जाती थी कि आज ये घोषणा करेंगे कि जिन अधिकारियों के रहते शीलू को एक महीने जेल में रहना पड़ा। श्रीमन्, हमने भी कानून पढ़ा है। शीलू के मामले में पूरी तरह से जिन-जिन अधिकारियों के रहते और चलते एक महीना उसे हिरासत और जेल में रहना पड़ा है। उन अधिकारियों के खिलाफ 342 आई0पी0सी0 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अपने बयान में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को आज घोषणा करना चाहिए था कि शीलू जिसके साथ इसमें बलात्कार हुआ है, जिसको अपमानित किया गया, आज वह सारे हिन्दुस्तान में महान जनता के सामने वह रो रही है। आज इनको घोषणा करना चाहिए था और प्रदेश की जनता उम्मीद करती थी कि यह सरकार आज यह घोषणा करेगी कि इन अधिकारियों के खिलाफ यह-यह कार्यवाही की जायेगी। लेकिन आज ऐसे अफसरों का मनोबल बढ़ा है जिन्होंने इस तरह से कुकृत्य किया है। श्रीमन्, यह सरकार आंकड़ों पर चल रही है। शर्म नहीं आती कि इन्हीं के मंत्री पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है और ये तमाम प्रदेशों के आंकड़े यहां रखते हैं। यह सरकार आंकड़ों के साथ नहीं चलेगी। सरकार की इच्छाशक्ति होती तो आपको यहां पर एलान करना चाहिए था क्योंकि इस सरकार की मुख्य मंत्री एक महिला है। अगर आप ऐलान करते तो लगता कि आप में महिलाओं का कुछ दर्द है। उल्टा ये यहां पर दृष्टान्त दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। हम आपके झूठे आंकड़ों की निन्दा करते हैं और पुनः मा0 मंत्री से जवाब चाहते हैं कि शीलू के मामले में एक महीने तक जो एक निर्दोष लड़की की स्वतंत्रता को जेल में रखा गया है, इसमें कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार है इसमें और मा0 मंत्री जी उसके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। इसी पर बता दें तो बड़ी चीज होगी। अपराध को रोकने के लिये ऐसे अधिकारी जो धृष्टता कर रहे हैं। उनके ऊपर रोक लगाने के लिये आप क्या कर रहे हैं इसी का जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी एक नोटिस कुशवाहा जी की है, डॉ0 पी0के0 राय जी की है, उस्मानी जी की है। एक नोटिस अनूप गुप्ता जी की है।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें जांच मान्यवर, सी0बी0, सी0आई0डी0 के सुपुर्द की गई और सी0बी0, सी0आई0डी0 की जांच से दिनांक 12-1-2011 को कु0 शीलू पुत्री श्री अच्छेलाल निषाद के आवेदन-पत्र पर थाना अतर्रा जनपद बांदा में मुकदमा अपराध संख्या-6/11 धारा 376, 354, 323, 504, 506 भारतीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दण्ड बनाम विधान सभा क्षेत्र नरैनी के विधायक श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी तथा चार अन्य पंजीकृत कराया गया। मान्यवर, यह तो कार्यवाही की गयी और इस घटना में लापरवाही बरतने के कारण अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी व उप पुलिस निरीक्षक जब्बार खां तत्कालीन थाना प्रभारी, अतर्रा तथा राधे श्याम शुक्ला उपनिरीक्षक को निलम्बित किया गया। इसके अतिरिक्त जेलर श्री ज्ञान प्रकाश को भी निलम्बित किया गया। मान्यवर, अब इससे ज्यादा और क्या कार्यवाही आप क्या अपेक्षा करते हैं। ये कार्यवाही की गयी। मान्यवर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बरेली में इन्होंने क्या किया था मान्यवर, क्या वह महिलाएं नहीं थीं। क्या इसलिए आपने कार्यवाही नहीं किया था कि वह अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं थीं इसलिए उस समय आपने कार्यवाही नहीं किया था हमने तो इस पर भी कार्यवाही किया है और उस पर भी कार्यवाही किया है। हमने सत्ता में आने के बाद उसमें भी कार्यवाही किया और इस पर भी कार्यवाही करने का काम किया और अगर दूसरा भी अपराध करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने का काम किया जायेगा किसी को बख्शने का काम नहीं किया जायेगा इस आधार पर कि अमुक व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं की।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने तो कार्यवाही किया है।

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही किये हैं। मैंने इस सूचना को नियम-56 के अन्तर्गत मा0 प्रमोद तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश जी को, श्री अवधेश प्रसाद जी को, श्री निषाद जी सबको सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं। पहली सूचना श्री कोकब हमीद साहब की जमुना एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। गुप्ता जी की नोटिस थी एक मिनट के लिए थी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जनपद बांदा की शीलू निषाद को उसको उसके गांव शहनावजपुर में घर में अरेस्ट कर दिया गया है। उसको कहीं बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। अपने वकील से मिलने जाने नहीं दिया जा रहा है और न दवा करने के लिए जाने दिया जा रहा है। 70-80 गांव में सुरक्षा के नाम पर पुलिस लगाकर उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। उसकी स्वतंत्रता पर पूरी तरह आक्रमण किया गया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अब उसके ऊपर क्या आरोप है वह झूठी चोरी केस में बरी हो गई है तो अब उसे न दवा कराने जाने दिया जा रहा है, न वकील से मिलने दिया जा रहा है। तो कहीं भी जानें नहीं दिया जा रहा है। ब0स0पा0 सरकार पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मान्यवर, एस0पी0 ने उसे 5 घण्टे तक जेल में धमकाने का काम किया और उसे राजी कराने का दबाव बनाया मान्यवर, एस0पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। डी0एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, 100-150 पुलिस वाले उसको घेरेंगे। मान्यवर, यह नहीं चलेगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

हम संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहते हैं कि वह स्पष्टीकरण देवें वह कहते हैं कि हमने अपने विधायक को निकाल दिया है वह आज भी कार्य सूची में है। बहुजन समाज कार्यसूची में है आज भी कार्यसूची से नहीं निकाला है। चाहे तो सदन की कार्यवाही उठाकर देख लीजिए।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर आरोप है। वे स्पष्ट बतायें कि ऐसा है कि नहीं है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, शीलू निषाद को घर में अरेस्ट कर दिया गया है हमारी मांग है कि शीलू को उसके घर वहां से रिहा किया जाए आज उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है कोई केस नहीं है मा0 उच्च न्यायालय न उसे छोड़ने का काम किया और सरकार ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठा बयान दिया। हम मा0 उच्च न्यायालय को बधाई देना चाहते हैं कि 32 दिनों तक जेल में रहने के बाद मा0 उच्च न्यायालय ने उसे न्याय देने का काम किया लेकिन सरकार उसे आज भी हाऊस अरेस्ट करने का काम किया है। हम उसकी मुक्ति चाहते हैं कि वह अपने वकील से मिले, दवा कराये, उसे कहीं जाने नहीं दिया जा रहा किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मान्यवर, वह बीमार है। उसने कई बार अपनी बात पत्र के माध्यम से कहीं लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर ध्यान दें और उसे मुक्त कराने का काम करें। पहले उसे जेल में रखा गया और अब उसको घर में अरेस्ट किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है, ठीक है, इसको दिखवा लिया जायेगा।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को आदेश दीजिए कि वह इस पर अपना वक्तव्य दे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, यह आरोप बिल्कुल असत्य है। किसी भी तरह से कहीं भी उसे अरेस्ट नहीं किया गया है, केवल सिक्योरिटी दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठें। संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह सच्चाई को छिपाने के लिए उसको घेरे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब, उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अब आप बैठें। इमरान साहब आप भी बैठें, बात आ गई।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, शीलू से हम लोग मिलने के लिए गये थे, शीलू ने हम लोगों से स्वयं बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमें हाऊस अरेस्ट कर दिया गया है, हमें घुमाने के लिए मन्दिर के नाम को लेकर दूसरी जगहों पर घुमाया गया। हम लोग आपके माध्यम से वक्तव्य चाहते हैं। कलेक्टर और एस0पी0 के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं मान्यवर, ऐसी बेरहम सरकार को एक दिन भी सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। हम सब इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री राधेश्याम गुप्ता जी, आप बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दें।

*श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, फतेहपुर जनपद में एक दलित बालिका 17 वर्षीय सारिका....

श्री अध्यक्ष-

यह बात तो आ गई है, उसी के साथ इसे भी जोड़ देता हूं।

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, चूंकि मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं इसलिए बहुत महत्वूपर्ण विषय है। मान्यवर, दिनांक 05 फरवरी सायं सवा छः बजे के करीब सारिका दलित बालिका और उसके साथ उसकी सहेली छाया दोनों लोग शौच के लिए गई और शौच में गुण्डों ने बदमाशों ने उनको खींचा और उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन उस बालिका ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और उसको धारदार हथियार से घायल किया गया, घायल नहीं बल्कि उसको मारने का प्रयास किया गया। उसके हाथ में चोट लगी, उसका कान कट गया, उसका जबड़ा बिल्कुल कट गया और इसके साथ-साथ वह बिल्कुल मृत्यु तुल्य हो गई और उसकी सहेली जब गई, गांव में चिल्लाया जाकर के उसके बाद में गांव के लोग और उसके माता-पिता आये और उसको देखा और उस गम्भीर स्थिति में उसको अस्पताल ले गये, उसके बाद उसे कानपुर में हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया वहां पर वह जन्म-मृत्यु के बीच में चल रही है और बहुत ही प्रताड़ित है और साथ ही साथ उन दबंगों से उसको आज भी खतरा बना हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था और उसके इलाज की व्यवस्था के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मान्यवर, उस दलित बालिका को जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मात्र 17 वर्ष की है और कक्षा 11 की छात्रा है जिसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया और उसको जिस प्रकार से मृत्यु तुल्य कर दिया गया है, मैं चाहता हूं कि उसके लिए पर्याप्त दवा की व्यवस्था कराने के साथ-साथ उसको कम से कम दस लाख रुपये की सहायता शासन से दिलाने की कृपा करें और शासन द्वारा उसको संरक्षण देने का काम किया जाय, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

श्रीमन्, दिनांक 5-2-2011 को सायंकाल करीब 18.00 बजे कुमारी सारिका उर्फ शारदा आयु लगभग 17 वर्ष पुत्री श्री बदलू राम पासी तथा कुमारी छाया निवासिनी ग्राम उरदौली, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर के शौच से खेत वापस आते समय गांव के शिवओम पुत्र गया प्रसाद पासी, हरि शंकर पुत्र सूरज एवं हरि शंकर का साला रामरतन पुत्र सुक्कू निवासी ग्राम भरसवा, थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर द्वारा रंजिशन धारदार हथियार द्वारा गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

घायल कुमारी सारिका के हाथ, सिर, चेहरे एवं कान पर गम्भीर चोटों के फलस्वरूप उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हैलट अस्पताल, कानपुर नगर रेफर कर दिया गया। घटना के सम्बन्ध में घायल सारिका के पिता श्री बदलू राम द्वारा थाना बिन्दकी पर अभियोग संख्या-29/11 धारा-307, 354, 326 भा0दं0वि0 बनाम शिवओम पुत्र गया प्रसाद पासी, हरिशंकर पुत्र सूरज निवासी ग्राम उरदौली एवं हरिशंकर का साला पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्त हरिशंकर एवं घायल सारिका के पिता बदलूराम के मध्य मारपीट के दौरान बदलूराम द्वारा हरिशंकर की पत्नी को चोट पहुंचाई गयी थी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 12-10-2010 को अभियुक्त हरिशंकर द्वारा बदलू राम एवं श्रीमती महादेइया पत्नी बदलूराम के विरुद्ध थाना बिन्दकी पर एन0सी0आर0 नम्बर 237/10 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 5-2-2011 की घटना उसी रंजिश का परिणाम होना ज्ञात हुआ है। दोनों पक्ष पासी अनुसूचित जाति के हैं।

मौके पर पूंछतांछ के दौरान घायल सारिका के सगे चाचा ओम प्रकाश तथा ममेरा भाई धर्मेन्द्र ने भी पूर्व घटना जो बदलूराम एवं अभियुक्त हरिशंकर के बीच हुई थी, को दिनांक 5-2-2011 की घटना का ही कारण बताया। उसी पुरानी रंजिश के कारण हरिशंकर आदि द्वारा कुमारी सारिका से मारपीट की गयी तथा बदला लेने के नियत से धारदार हथियार से गम्भीर चोट पहुंचाई गयी। इसमें बलात्कार के प्रयास जैसी कोई बात नहीं है। इस अभियोग में नामजद अभियुक्तों शिवओम पुत्र गया प्रयाद पासी, हरिशंकर पुत्र सूरज एवं हरिशंकर का साला रामरतन पुत्र सुक्कू में से अभियुक्त हरिशंकर एवं शिवओम को गिरफ्तार किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

श्री राधेश्याम गुप्ता जी की सूचना तो अग्राह्य की जा चुकी है लेकिन तब भी जिस घटना का जिक्र मा0 गुप्ता जी ने किया है अगर उस बालिका के साथ कोई भी अपराध किया हो तो शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे मेरी नियम-56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रकरण है और सूबे के किसानों से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ सूबे और देश की खाद्यान्न सुरक्षा के प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं इस ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं और शासन में बैठे हुए लोगों का भी दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछले एक दो साल से हम लोगों के संज्ञान में हर महीने में कम से कम 2-4 ऐसी घटनायें हुयी हैं जिसमें किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विगत अगस्त माह में टप्पल में किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। जिसमें तीन किसान और एक पुलिस वाला शहीद हो गया। उसकी परिणति यह हुई कि आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे की परियोजना के सम्बन्ध में किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। अभी 10-15 दिन की बात है यहां पर करछना और उसके बाद बारा में किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से न बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि कल ही की एक घटना है वाराणसी की जिसमें भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों और प्रशासन की बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी और उसमें उत्तेजना हुई। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत डेढ़ वर्ष से हमारे दल के अन्य माननीय सदस्यों ने इन घटनाओं के बारे में सरकार को सचेत किया था लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। टप्पल में अगस्त, 2010 में घटना हुई। 11 अगस्त, 2010 को इसी सदन में हमारी पार्टी के लोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी थी कि वहां की स्थिति बहुत ही विस्फोटक है और किसानों तथा पुलिस प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसकी रोकथाम के लिये किसानों से बातचीत किया जाना बहुत जरूरी है। उस चेतावनी के तीन दिन बाद ही वहां यह उत्तेजनात्मक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें राष्ट्र की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गयी और चार नौनिहालों को अपनी जानों से हाथ भी धोना पड़ा है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सबके पीछे कारण क्या है। मेरा निश्चित मानना है कि सरकार की नीतियां इस मामले में भूमि अधिग्रहण के मामले में बहुत ही गलत है। मान्यवर, आज सरकार ने जिस तरीके से एक कम्पनी के नाम पर पूरे सूबे का पट्टा लिख दिया है उसी के कारण टप्पल जैसी घटनायें यहां पर हो जाती हैं। आगरा में घटना हुई फिर इलाहाबाद में बारा में और करछना में घटनायें हुईं और इन सब घटनाओं में एक ही कम्पनी का नाम बार-बार आता है। इसमें ऐसा लगता है कि यह मैसेज जैसे जनता को दिया जा रहा हे कि सरकार ने कोई ईस्ट इण्डिया नामक कम्पनी खड़ी कर दी है। जनता और किसानों के बीच इस सरकार का मैसेज यह जा रहा है कि उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी खड़ी कर दी हो और पूरे सूबे की जमीनों को उसके नाम पट्टा कर दिया है। मान्यवर, 8 एक्सप्रेस-वे की घोषणा इस सूबे में कर दी गयी है मैंने वेबसाइट देखी, 8 एक्सप्रेस-वे बनेगी अभी केवल एक पर काम हुआ है यमुना एक्सप्रेस-वे पर। केवल 165.5 कि0मी0 लम्बाई थी और उसमें एक हजार एक सौ इक्यानवे गांव अधिसूचित कर दिये। जिनका कुल रकबा 21 लाख हेक्टेयर बैठता है। आबादी एक करोड़ 39 लाख बैठती है और यह

सूबे की एक एजेन्सी है कृषि वित्त निगम उसने एक अध्ययन कराया है उन्होंने माना है कि इस सूबे के अन्दर 168 लाख हेक्टेयर भूमि में हर वर्ष खेती होती है। वैसे आज बजट आया है उसमें एक झूठा आंकड़ा पेश किया गया है कि 254.15 लाख हेक्टेयर फसल की बुआई हुई है लेकिन सरकारी एजेन्सी का यह आंकड़ा है कि सूबे के अन्दर मात्र 168 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह कृषि योग्य है। विगत 16 वर्षों से एक प्रोसस चल रहा है कि हर वर्ष 46 हजार हेक्टेयर भूमि जो कृषि में प्रयोग होती है, उर्वरा है उस 46 हजार हेक्टेयर भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए सरकार उसका भूमि परिवर्तन उपयोग बदल रही है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज बड़े जोर से प्रचारित करती है यह सरकार कि हम ऊसर भूमि सुधार निगम से हम ऊसर को सुधार देंगे बंजर को कृषि योग्य बना देंगे। मैं किसान परिवार से आता हूं इस सदन के अन्दर बैठे हुए 90 प्रतिशत लोग कहीं न कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मात्र 3 सेन्टीमीटर उपजाऊ पर्त बनने के लिए भूमि की प्रकृति को एक हजार वर्ष खर्च करना पड़ता है। आपने 16 वर्ष के अन्दर मात्र 7 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधारी है। यह भी आपकी एजेन्सी का आंकड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आइये।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा छोटा दल है, हम ज्यादा हंगामा नहीं कर सकते, वेल में नहीं आ सकते, यह पीड़ा है, मुझे मालूम है आप ग्राह्यता पर ही बुलवायेंगे कोई चर्चा नहीं एलाऊ करेंगे तो मेरी पूरी बात आ जाने दें। मान्यवर, अगर यह 8 एक्सप्रेस-वे बन गयी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण पर आपको चर्चा का अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

वही मैं कह रहा हूं अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बहुत से सदस्य बोलेंगे उस पर आज से चर्चा शुरू होगी। यह यमुना एक्सप्रेस-वे की भूमि का अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

डॉ0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कह दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं आंकड़े, क्योंकि सरकार के दिये हुए हैं सरकार को शायद डर लगता है उनकी विसंगतियां खुलती हैं। मैं बताना चाहता हूं होता क्या है टप्पल काण्ड हुआ, 27 अगस्त को एक शासनादेश जारी होता है और उस शासनादेश में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि टाउनशिप रद्द कर दी गयी और उसी के आधार पर 6 सितम्बर को आगरा के आन्दोलित किसानों से वहां के आयुक्त आकर यह लिखित में करते हैं कि जो किसान भूमि नहीं देना चाहता उसकी भूमि हम जबरदस्ती अधिग्रहीत नहीं करेंगे। अखबारों में सरकार के रोज बयान आते हैं कि केवल करार नियमावली के तहत भूमि को अधिग्रहीत किया जायेगा। लेकिन मान्यवर, मैं दस्तावेजों के साथ यह बता देना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है वहां किसानों को बुलाया जाता है जहां भी

अधिग्रहण करने का काम हो रहा है वहां किसान को बुलाया जाता है और सबसे पहले उस किसान को बुलाया जाता है जिसका बेटा सरकारी नौकरी में हो उसको धमकाकर करार किया जाता है, उसके बाद ऐसे किसानों को बुलाया जाता है जिनका लड़का शराबी बन चुका हो उस शराबी लड़के को रोजाना शराब पिलाई जाती है 3 महीने तक और उसके बाद वह शराबी लड़का अपने बाप के गर्दन पर कट्टा रखकर कहता है कि करार करो या फिर वह यह कहता अगर कमजोर है तो यह कहता है कि अगर तू करार करके नहीं आयेगा तो नीला थोथा खाकर जान दे दूंगा। उस बूढ़े के सामने कोई चारा नहीं बचता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप सत्यता पता कर लें दिल में इसे धारण करें और जो एक विसंगति पैदा हो रही है समाज के अन्दर उस पर गौर करें। सरकार कहां से पलटना शुरू होती है। सरकार ने रोजाना अखबारों में छापा कि जबरिया भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टप्पल के तीन सौ किसानों ने और आगरा के भी लगभग 300 किसानों ने आगरा के आयुक्त को यह लिखकर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। उनमें से एक किसान के नाम अभी अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, आगरा ने एक नोटिस जारी किया है। यह है चन्द्रभान होतीलाल, रमेश चन्द्र पुत्रगण मानपाल, ग्राम जलेसर, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा के निवासी। इनके नाम ए0डी0एम0, भूमि अध्याप्ति यह कहते हैं कि आपको सूचित किया जाता है कि आपने प्रस्तावित दर पर करार नहीं किया है अतः आप उक्त प्रस्तावित दर 580 रुपये प्रति वर्ग मी0 पर दिनांक 18-1-2011 को प्रातः 11.00 बजे कलेक्टर आगरा के कमरा नं0 30 में स्थित कार्यालय अपर जिला भूमि अध्याप्ति, आगरा पर उपस्थित होकर करार नियमावली 1997 के तहत करार पत्र भरवाना सुनिश्चित करें। यानि कि उसको जबरिया आदेश दिया जा रहा है और यह लिखित में है। इसमें आगे लिखा है कि यदि आप नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप इस दर पर करार करने हेतु सहमत नहीं हैं और प्रशासन अर्जित भूमि का एवार्ड भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा 1 के अन्तर्गत घोषित कर प्रतिकर की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा यानि एक ओर सरकार यह कहती है कि हम किसान से जबरिया जमीन नहीं लेंगे और दूसरी तरफ किसानों को नोटिस दिया जाता है कि अगर आप करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपकी जमीन जबरिया अधिग्रहीत कर ली जायेगी।

मान्यवर, यह किसी बिजली घर के लिये जमीन नहीं ली जा रही है, यह एक्सप्रेस-वे के लिये भी नहीं ली जा रही है, यह जे0पी0 का नोहरा, जे0पी0 के घर के लिये ली जा रही है, यहां जे0पी0 वाले एक टाउनशिप बनायेंगे। यहां बड़े-बड़े पैसे वाले लोग आयेंगे और 100 एकड़ का स्वीमिंग पुल बनेगा, गोल्फ कोर्स बनेगा, उसके लिये जमीन ली जा रही है और किसानों को बेदखल किया जा रहा है। क्या इससे असन्तोष पैदा नहीं होगा, क्या इससे किसानों में आक्रोश पैदा नहीं होगा। हमने आज बजट में पढ़ा और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी पढ़ा कि जो 78 गांव नक्सलवाद से प्रभावित है उनका विकास बड़ी तेजी से और अम्बेडकर ग्राम की तर्ज पर किया जायेगा। तो क्या अब गांवों के विकास के लिये नक्सलवाद का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। क्या यह इस सरकार का सुझाव है कि अगर आपको अपने गांव का विकास चाहिये, अगर आपको अपनी बहबूदी चाहिये तो आप नक्सलवादी बन जाइये तो सरकार आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। यह सरकार निरीह किसान के ऊपर

लाठियां चलवाती हैं। मान्यवर, मेरी एक मांग है कि जहां-जहां यह भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं वहां जो लेखपाल पदस्थ हैं उनकी सरकार आर्थिक स्थिति की जांच करा लें। एक भी लेखपाल ऐसा नहीं है जो शानदार मारूति 800 से नहीं, बल्कि वह स्विफ्ट से आता है हाण्डा सिटी से आता है लेखपाल की यह औकात इन लोगों ने इन दो साल में बना दी है। सारे के सारे इस सरकार ने जे0पी0 के नौकर बना डाले। जे0पी0 के यहां हुक्म बजाने के लिये डी0एम0 से लेकर कमिश्नर तक सब बाध्य हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। केन्द्र में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 जो है उसमें संशोधन के बारे में लगभग राज्य के सभी दलों के अन्दर सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश का सत्तारूढ़ दल भी उसके लिये अपनी सहमति प्रदान कर चुका है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयन्त चौधरी जी का प्राइवेट बिल इसी सत्र में केन्द्र में आने वाला है। मैं सरकार से सिर्फ यही चाहता हूं कि वह इतनी ही घोषणा कर दें कि वह बहुत जरूरी काम के लिये अधिग्रहण करती भी रहे लेकिन गैरजरूरी काम जैसे टाउनशिप बनाना है, किसी सरमायेदार को गोल्फ क्लब बनाना है उसके लिये अधिग्रहण की कार्यवाही तब तक के लिये रोक दें, जब तक कि नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनकर नहीं आ जाता। मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है, अगर इतनी संवेदनशीलता यह सरकार दिखायेगी तो शायद लोगों के मन में यह विश्वास जगेगा कि किसान के प्रति यह सरकार संवेदनशील है नहीं तो आज जो मैसेज है उसमें इस उत्तर प्रदेश का किसान और उसकी आने वाले पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी।

*चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज सरकार किसानों को कहां भेजना चाहती है जो किसानों की उपजाऊ भूमि है उसे वह अधिग्रहीत कर रही है। जो छोटे-छोटे कस्बे हैं उनके नाम पर विकास प्राधिकरण बना दिया है और जमीन अधिग्रहीत करने का काम किया जा रहा है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी यहां पर नहीं हैं वहां बिजली की समस्या है और सरकार बिजलीघर लगाने के लिए जमीन एक्वायर नहीं कर पा रही है लेकिन जे0पी0 ग्रुप को जमीन देने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाये हुए है। मान्यवर यदि जे0पी0 ग्रुप को किसानों की उपजाऊ भूमि दे देंगे तो किसानों का क्या होगा ? मेरी चिन्ता है और मैंने पहले सत्र में भी यह चिन्ता जाहिर की थी कि किसान जो मुआवजा मांग रहे हैं उनको वह मुआवजा दिये जाने का काम किया जाये अन्यथा बाद में वहां आन्दोलन होंगे, धरने होंगे, लाठी चार्ज होगा किसान मरेंगे और पुलिस वाले भी मरेंगे उसके बाद सरकार उन्हें मुआवजा देने का काम करेगी और ऐसा हुआ भी। आज तमाम जिलों में किसान धरना-आन्दोलन कर रहे हैं, खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है। आम आदमी पहले से ही महंगाई से जूझ रहा है जब उसकी जमीन भी चली जायेगी तो उसके परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा और जब उपजाऊ जमीन ही नहीं रहेगी तो आलू, प्याज, गेहूं लोगों के लिए कहां से आयेगा। सरकार को चिन्ता करनी चाहिए कि यदि इसी प्रकार से उपजाऊ जमीन उद्योगपतियों को दी जाती रही तो प्रदेश और देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि आप सरकार को इस बारे में निर्देश देने का काम करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन प्रकाश-

गिरिराज महाराज की जय। मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है वह बहुत दुखद है। हमारे दल के साथियों ने बताया है कि जिस प्रकार से दिल्ली-आगरा हाई-वे यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उससे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। एक किसान की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उसकी जमीन के बीच में से हाई-वे बना दिया गया है। वह किसान अपनी जमीन में खाद, बीज के लिए जोतने-बोने के लिए हाई-वे के दूसरी तरफ जाये तो कैसे जाय क्योंकि हाई-वे पर कहीं भी कोई आने-जाने या चढ़ने का मार्ग नहीं है। क्योंकि हाई-वे बनने के बाद उस पर किसान चढ़ नहीं सकता है, ट्रैक्टर जा नहीं सकता है, न मोटरसाइकिल ही जा सकती है, 10-10 किलोमीटर तक हाई-वे के उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और हाई-वे पर कोई चढ़ नहीं सकता है। यदि किसान के खेत में आग लग जाये तो वह वहां बुझाने के लिए नहीं जा सकता है। इससे जो जमीन अधिग्रहीत हुई वह तो गई ही जो जमीन बच भी गई है वह भी बिना देखभाल के बेकार है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को सड़क के पार जाने के लिए हाई-वे के नीचे से रास्ता सुनिश्चित कराया जाये और यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जमीन किसानों से अधिग्रहीत की जा रही है उसी को सौ गुने दामों पर दूसरों को बेचा जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे मथुरा में राया, बल्देव के किसानों की जमीन अधिग्रहीत करके उस पर यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो कहीं भी और कभी भी किसानों का जनसैलाब आ जायेगा और मरने-मारने पर उतारू हो जायेगा। ऐसी स्थिति में जहां बड़े गांव हैं वहां पर जाने का रास्ता तथा किसानों को हाई-वे के नीचे से उस पार जाने का रास्ता बनाये जाने की मैं मांग करता हूं। साथ ही जो जमीन अधिग्रहीत की जा रही है वह हाई-वे की चौड़ाई के अलावा दोनों तरफ विभिन्न योजनाओं के तहत एक-एक किलोमीटर की जमीन अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं। यह सरकार जे0पी0 ग्रुप के अन्दर गिरवी है। यही स्थिति रही तो प्रदेश और देश कहां से अन्न पैदा करेगा तथा किसान कहां से अपने परिवार को पालेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार से किसान विरोधी और जे0पी0 ग्रुप की पिछलग्गू इस सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, चाहे कोई इधर बैठ जाये और चाहे उधर बैठ जाये, भूखा मरना किसी को पसन्द नहीं होगा। जो मौतें भूख से हो रही हैं वह अलग है अगर यही हालात रहे तो खाते-पीते घर के लोग भी भूखें मरेंगे। मान्यवर, मैं आंकड़े बता रहा हूं, यह आंकड़े भी सरकार के ही हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे में प्रदेश के कुल गांवों की जो संख्या है वह है एक लाख सात हजार और यमुना हाई-वे पर अकेले तकरीबन 23,560 गांव इसके अन्दर आ रहे हैं। मान्यवर, जो आंकड़ा बैठ रहा है वह एक कि0मी0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़क आप बनायेंगे तो 7.2 गांव खत्म हो जायेंगे और इसे पास कर रहे हैं, अपने बजट के स्पीच में दे रहे हैं। मान्यवर, इस पर डिबेट हो और जो हम कह रहे हैं और हमारी बात अगर गलत साबित नहीं होती है तो इसको रोक दें। मान्यवर, पूरी दुनिया के अन्दर यूनाइटेड नेशन से लेकर जहां-जहां भी बात हो रही है फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है। हर आदमी इस बारे में चिन्तित है कि आने वाले समय के अन्दर खाने को अनाज मिलेगा या नहीं ? अगर खाने को अनाज नहीं मिलेगा तो हम यहां क्यों बैठे हैं। हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों को खाने का अनाज मिले। यह जे0पी0 थोड़े ही इसको मेन्टन करेगा, इस विधान सभा को जे0पी0 थोड़े बनायेगा, इसे गवर्नमेन्ट को बनानी पड़ेगी, हमें और आपको बनानी पड़ेगी। तो मान्यवर, यह सोचने का सवाल है। 8 एक्सप्रेस हाई-वे हम बना रहे हैं, हमें कहां जाना है, हम कहां जायेंगे ? 18 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, दुनिया की सबसे बड़ी इकाई है। अगर यह देश का हिस्सा न होता तो उ0 प्र0 दुनिया का 7वां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, इतनी इसकी आबादी है। लेकिन खाने को है नहीं, क्योंकि उन उपजाऊ जमीनों पर एक्सप्रेस हाई-वे बन रहा है। मान्यवर, 7.2 प्रतिशत गांव समाप्त हो जायेंगे, यह सोचने की बात है, यह डिबेट की बात है। मैं तैयार हूं, मंत्री जी और मैं इस पर बैठ करके डिबेट करूं और यही सदन में करें कि यह सही है या गलत। हर साल इस प्रदेश के अन्दर 40 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैण्ड जो कृषि की भूमि है वह नॉन एग्रीकल्चर होती जा रही है और यह जो यमुना एक्सप्रेस-वे बन रहा है उसमें 21 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन जा रही है तो मान्यवर, यहां फूड सिक्योरिटी की समस्या दो साल में आ जायेगी जो यूनाइटेड नेशन वाले 20 साल की बात कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि दो साल में हमारे यहां प्राब्लम आ जायेगी। जब लोग भूख से मरते हैं तो सरकार कहती है कि भूख से कोई नहीं मरा है, जब खाने के लिए है नहीं, हाई-वे बन रहा है और अकेला नहीं, आठ हाई-वे बन रहे हैं। हर हाई-वे के साथ 500 एकड़ की पार्सल लैण्ड चाहिए। उसके अन्दर क्या बनेगा ? उसके अन्दर बनेगा गोल्फ कोर्स उसके अन्दर फ्लैट्स बनेंगे, दिल्ली, मुम्बई, मद्रास के बड़े लोग वहां रहेंगे, वहां अपना एड्रेस बनायेंगे और कहेंगे कि हम यमुना एक्सप्रेस हाई-वे पर रहते हैं।

मान्यवर, आखिर हम चाह क्या रहे हैं ? यह सोचने की बात है। मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मुझे बोलना है क्योंकि दूसरे लोग बोल चुके हैं इसलिए मुझे भी बोलना है। सवाल यह है कि एक महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय लोकदल के हम सभी लोगों ने भारत सरकार से कहा कि अध्यादेश बनाइये, कानून बनाइये। हर आदमी जा रहा है और किसानों की जमीन ले रहा है और किसान जो पहले अच्छी तरह रहता था अब भूखा मर रहा है। क्योंकि जमीन बेच दी जमीन बेच करके अपने और दूसरे काम पूरे किये, गाड़ी खरीद ली या कुछ और कर लिया, जमीन खत्म होती चली गयी। हम गरीब प्रदेश के रहने वाले हैं हम अमीर देश और प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं। हम किसानों की दुनिया के रहने वाले लोग हैं। हमें जमीन चाहिए। मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है कि ये जो प्राधिकरण और अर्थारिटीज बनाये गये हैं उन्हें खत्म कर दें, बहुत बन गये उसके बाद हो क्या रहा है ? नेचुरली अच्छे रेट पर रहने वालों को देते हैं नेचुरली उससे फायदा हो रहा है लेकिन किसको। दिल्ली से लेकर मेरठ में उसने 6 मकान खरीद लिए उसमें कोई गरीब आदमी नहीं रह रहा है। प्राधिकरणों पर अब वैन लगाना चाहिए जितना विकास करना था 30-40 साल में हो चुका। इसको खत्म करिए और सरकार

इसको रेगुलराइज करे रेगुलराइज वहां का एम0डी0 कर रहा है उससे फायदा नहीं है। यह जनता की बात है इस बारे में सरकार सोचे और मुझे इस बात का जवाब दे दे कि जो आंकड़े मैंने दिये हैं क्या वह गलत है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जमुना एक्सप्रेस-वे टप्पल और बारा और करछना तापीय विद्युत गृहों की जमीन के सम्बन्ध में अपनी नोटिस दी है साथ ही लेदर पार्क का उल्लेख किया है लेदर पार्क की जमीन का अधिग्रहण का प्रश्न जनपद आगरा के किरावली तहसील में लेदर पार्क हेतु 111 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है जिसका मुआवजा किसानों को पूर्व में वितरित किया जा चुका है। लेदर पार्क हेतु अधिग्रहीत भूमि पर ही यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा बाउन्ड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है सम्बन्धित किसानों द्वारा मुआवजा राशि जमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर दिये जाने हेतु शासन द्वारा घोषित पुनर्वास नीति का लाभ उन्हें भी दिये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन जो माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, दिया है उसको सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिया गया है नियमानुसार कार्यवाही हो रही है वहां काम हो रहा है मान्यवर, असली समस्या यही है जो मेन समस्या आ रही है कि जमीन एक तरफ तो हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण अवस्थापना सुविधाओं का विकास चाहते हैं जब उसके लिए जमीन ली जाती है किसी समय जिस रेट पर ली जाती है और अगर कोई दूसरी ली गई उससे ज्यादा रेट पर तो वहां के किसान इस तरह की बात करने लगते हैं कि हमें जो नया रेट मिल रहा है उसके अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए और ज्यादातर जगहों पर इसी कारण स्थिति बनी है। लेकिन उसमें वर्तमान सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहण की जो नियमावली बनाई है करार नियमावली और जिस तरह से किसानों को मुआवजा देने का कार्य शुरू किया है कि 33 वर्ष तक 20 हजार रुपया प्रति एकड़ और साथ ही प्रतिवर्ष 600 रुपये उसमें इजाफा होगा। मान्यवर, यह शायद पूरे देश में इससे अच्छी अधिग्रहण की नियमावली नहीं है माननीय चौधरी साहब ने कहा कि बिजली के लिए नहीं ली जा रही है तो बारा और करछना में तो बिजली के लिए ही है। मान्यवर, वहां पर एक व्यक्ति जो दवा कराने जा रहा था बीमार था सुबह दवा कराने जा रहा था रास्ते में एक्सपायर हो गया उसको कह दिया कि वहां पर गोली चली और उसमें वह मर गया जबकि वहां पर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी। कुछ लोग जानबूझकर प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं निश्चित रूप से किसानों को वाजिब मुआवजा देकर जनहित में जमीन ली गई है। कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री कौकब हमीद खां-

मैं बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूं कि आप जो जमीन अधिग्रहीत कर रहे हैं आप मुआवजा कुछ भी देंगे लेकिन क्या फूड शार्टेज नहीं होगी। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। 24 हजार गांव जो खत्म होंगे क्या इसका जवाब देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी, सामान्य बजट पर चर्चा होगी उस समय इसका अवसर आयेगा उस समय इन तथ्यों को उजागर करेंगे। आज चर्चा नहीं हो

रही है यह ग्राह्य नहीं है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जब सामान्य बजट पर चर्चा होगी उस चर्चा के दौरान इसको रखें। मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य कर दें।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, खाद्य संकट सबके सामने पैदा हो जायेगा। सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं है। सरकार की इस किसान विरोधी नीतियों के चलते मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद और उनके दल के लोग किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री कौकब साहब और अन्य सदस्यों को सुना, यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य की जाती है। (अन्य सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) अब 4 बज गये हैं अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डेढ़ दो घण्टा चर्चा भी होनी है। काफी समय हो गया है। हाशमी साहब आपकी सूचना...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब इनको कल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

बस अभी खत्म हो रहा है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। जरा सुन लीजिये। हाशमी साहब आपकी सूचना जनपद बलरामपुर व गोण्डा में सिंचाई के लिये बिजली की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं। उस्मानी साहब की उनको जान से मारने की धमकी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, माननीय मंत्री जी माननीय विधायक के ऊपर काफी हमला हो चुका है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये और जेल भी भेजे गये, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का महमूदाबाद शहर में लड़कियों एवं लड़कों के लिये अलग-अलग महाविद्यालय संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं। माननीय अनूप कुमार गुप्ता जी का जनपद लखीमपुर के आरक्षी प्रभुदयाल की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र संजीव कुमार को पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। एक अनुसूचित जाति का है, उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी जी के प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली विधवा पेंशन में हो रहे घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किये दे रहा हूं। डॉ0 पी0के0 राय जी और दीना नाथ कुशवाहा जी की सूचना जनपद देवरिया में ग्राम खाड़ेछापर में सतनाम बाबा की हुई हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस की गोली से हुई मनोज पाल की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने अभी इस घटना का जिक्र किया है। चलिये आप भी दो-दो मिनट में कह दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको भी ध्यान आकर्षित कर दीजिये। 4 बज गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, हमने भी नियम-56 में एक सूचना दी थी।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 4 बज गये हैं। आप सुबह 11.00 बजे से बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठना चाहते हैं तो डॉ0 पी0के0 राय जी रोक रहे हैं। सोलंकी साहब जी, आप बैठिये, आपकी सूचना अस्वीकृत हुई है।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, हमारे जनपद की घटना है। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा कुशवाहा जी, एक मिनट में कह लीजिये।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, एक अत्यन्त गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देवरिया जनपद से 14 कि0मी0 की दूर छोटी गण्डक के किनारे मां दुर्गा का प्राचीन मन्दिर है। दो जनवरी को सायंकाल सतनाम् बाबा जो सोये हुए थे उनको सोते-सोते जलाकर मार डाला गया और मंदिर समिति के लोगों को बिना विश्वास में लिये हुए आनन फानन जबरिया मुख्यालय ला दिया गया। जब सुबह हुई तो उस वक्त आस-पास के गांव की भीड़ मंदिर के पास आई और इसके बाद देवरिया-कसया मार्ग को जाम कर दिया। एस0डी0एम0, सी0ओ0 देवरिया और रामपुर थाने के इंचार्ज राजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे। भीड़ अनियंत्रित थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पहले पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए यदि उसके बाद भी भीड़ नियंत्रित नहीं होती है तो पुलिस को पानी का फव्वारा चलाना चाहिए, उसके बाद भी भीड़ नियंत्रित नहीं होती है तो पुलिस को हवा में फायर करना चाहिए। यदि इसके बाद भी भीड़ नियंत्रित नहीं होती है तो पैर के नीचे गोली चलानी चाहिए। मान्यवर, 22 वर्ष का नवयुवक मनोज पाल, जिसकी इच्छा थी कि सेना में भर्ती होकर भारत मां की सेवा करूंगा उसको 5 गोली लगी। ऐसा लग रहा था कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और देवरिया का पुलिस प्रशासन इस तरह से एक्शन लेकर सीधे गोली चला रहा था।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मनोज पाल ने घटना स्थल पर दम तोड़ दिया और भोलू यादव और संजय यादव जो बरईपुर और रामपुर थाना के जो निवासी हैं इनको भी गोली लगी और यह लोग दोनों मेडिकल कालेज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रहे। यह इतना गम्भीर मामला है किसी तरह से इनकी जान बची। मैं मेडिकल कालेज में गया था इनको देखने के लिए डाक्टर ने कहा कि अगर एक सेन्टीमीटर गोली इधर-उधर होती तो इनको बचाया नहीं जा सकता था। मान्यवर, इतना गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

देवरिया का प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक हो गया।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है, राय साहब आप दो मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

यह बहुत ही गम्भीर मामला है कानून-व्यवस्था बहुत खराब है। स्थानीय जनता की मांग है कि जो मृतक है उनको दस लाख रुपया दिया जाए जो घायल हुए हैं उनके परिजनों को पांच लाख रुपया दिया जाए और उनके परिजनों को नौकरी दी जाए और हाईकोर्ट के किसी जज से इसकी जांच करा ली जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिए, बात आ गई है।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

यह बहुत ही अविलम्बनीय है लोकमहत्व का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

विषय की गम्भीरता को देखते हुए ही नोटिस को ग्राह्य किया गया है।

डॉ0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो पहले कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी उसको डॉ0 साहब ने उठाया था और दीनानाथ कुशवाहा जी ने उठाया है। यह घटना जहां की है मैं वहां पर खुद भी गया था यह जटावा बाबा बहुत ही लोकप्रिय बाबा वहां के थे। मान्यवर, दो-तीन बिन्दु हैं जिनकी तरफ मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उस पर निश्चित तौर से आपके माध्यम से कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं। जमीन का प्रकरण और उस जमीन पर जो भी भू-अभिलेख कहते थे कमिश्नर के द्वारा उस पर स्टे मिला हुआ था और बावजूद इसके उस पर निर्माण कार्य हो रहा था और बाबा उसका विरोध कर रहा था। उस बाबा को जिन्दा जला दिया गया और जलाने वालों में पुलिस प्रशासन और बसपा के एक नेता का उसमें सीधे तौर पर हाथ है। रात के वक्त बिना पंचनामा किये उसकी लाश उठा ले जाने का औचित्य क्या था उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए और कौन लोग उसकी लाश को लेकर गये वहां से हटाकर के, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। उसके लिए भी कौन जिम्मेदार था इसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही का

निर्धारण उस घटना में नहीं किया गया। वहां पर बाबा की समाधि बननी थी इसलिए क्षेत्रीय जनता मांग कर रही थी कि लाश यहां रहनी चाहिए। बाबा की लाश यहां मंगाई जाए उनकी समाधि यहां बनाई जायेगी। लेकिन जिला प्रशासन ने सूझ-बूझ का काम नहीं किया और अदूरदर्शिता का परिणाम है कि वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ को हटाने के लिए निश्चित तौर पर कई तरीके होते हैं, चाहे वह केनन बाल होते हैं, चाहे वह पानी की बौछार होती है और यदि गोलियां भी चलती हैं तो वह हवा में चलती हैं। उसके बाद मजबूरी होती है तो गोलियां नीचे चलाई जाती हैं ताकि गोली पैर में लगे। वहां पर जितनी गोलियां चली हैं वह सारी गोलियां कमर के ऊपर लगी हैं जो मनोज पाल, नौजवान लड़का 22 साल का पाल बिरादरी का लड़का जिसकी घटनास्थल पर मृत्यु हुई है उसको भी गोली कमर के ऊपर लगी है और जो दो यादव लड़के हैं जिनका कि उल्लेख किया गया जिसका नाम संजू यादव पुत्र भृगुरासन यादव और भेलू यादव इन लोगों को भी गोली लगी लेकिन किसी तरह से बच गये। मैं केवल आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस घटना के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं चाहे वह राजस्व विभाग के हों, चाहे वह पुलिस प्रशासन के हों उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उसी के साथ, मनोज पाल के परिजनों को दस लाख रुपया और जिन लोगों को गोली लगी है उनको पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बल देते हुए सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, घटना में मृतक मनोज पाल के परिजनों को दो लाख रुपये घायल संजू यादव और भेलू यादव को 25-25 हजार रुपया तथा मन्नी प्रसाद, बच्चा प्रसाद शर्मा और रमाकान्त गौड़ को 10-10 हजार रुपया अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। जिलाधिकारी देवरिया के आदेश संख्या-28623/जे0ए0/2011 दिनांक 14-1-2011 द्वारा उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच श्री एस0एन0 लाल अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त/राजस्व द्वारा किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय कुशवाहा जी को सुना, माननीय पी0के0 राय जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी की सूचना कल ले लेंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री अध्यक्ष-

श्री राम सागर अकेला जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सागर अकेला-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 04 फरवरी, 2011 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।

मान्यवर, जब सदन में मैं पहली बार आया और जबसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी शुरू हुई है, उससे पहले की और आज की स्थिति में बहुत फर्क नजर आ रहा है। मान्यवर, 04 फरवरी को जब महामहिम श्री राज्यपाल जी इस सदन में दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिए आए तो अमर्यादित व्यवहार करने वाले बहुत से नेता, नेता प्रतिपक्ष के साथ उनके साथी जिन्हें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2007 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं चाहे उप चुनाव हुए हों, चाहे पंचायत के चुनाव हुए हों, सब में जनता ने जब इन्हें ठुकरा दिया, जनता ने इन्हें करारा जवाब दे दिया तो आज इस सदन मे घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आते हैं और अपने चरित्र को उजागर करने के लिए अपने बदन पर काले कपड़े पहन कर आते हैं। मैं कह सकता हूं कि इनके काले कपड़ों पर लगा पोस्टर उनके चरित्र को उजागर करता है कि यह गुण्डे-माफियाओं की संरक्षक पार्टी है और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ''अंधेरों और अंधेर करने वालों का दिल-दिमाग व कपड़ा काला-काला रहेगा, उजाला हमेशा, उजाला रहेगा। सर्वजन के लिए है बहना का चिन्तन, आज भूखों को भोजन और गुण्डों को जेल जाना पड़ेगा।''

(इस समय 4 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

मान्यवर, आज विपक्षी दल के लोग दलित अत्याचार पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं लेकिन जिन महापुरुषों की बदौलत आज दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, सर्वजन समाज के सभी लोगों को इस देश में सम्मान से जिन्दगी जीने का मौका मिला है और जैसा महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में बात रखी कि हमारी यह सरकार इस देश के महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के उपेक्षित, वंचित परिवारों को सम्मान से जिन्दगी जीने के लिए संघर्ष किया और आज जब हमारी सरकार उनके स्मारकों के संरक्षण के लिए, उनके स्मारकों को स्थायित्व देने के लिए निर्माण करती है, तो सभी विपक्षी पार्टियां उस पर छींटाकशी करती हैं। इन दोनों बातों का मतलब यह है कि एक तरफ दलितों पर अत्याचार को आधार बनाकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं तो दूसरी तरफ दलितों का उद्धार करने वाले महापुरुषों को अपना निशाना बनाते हैं। इनका यह दोहरा चरित्र जब देश, प्रदेश और समाज जान चुका तब उत्तर प्रदेश में 17 वर्षों बाद बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की जब स्थायी सरकार बना दी तो एक बार सोचना चाहिए। इस प्रदेश की महान जनता का रूझान क्या है, उस रूझान को जब यह नहीं समझ पाते हैं तो तरह-तरह के अनर्गल आरोप लगाकर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने से पहले जिनकी भी सरकारें इस प्रदेश में बनती रही हैं, 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। शायद सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि 22 मई, 1990 को जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार न बनती थी, न बनी थी। मान्यवर, उससे पहले जिसकी भी सरकार

रही है। मान्यवर, आगरा जिले के पनवारी गांव में चोखेलाल जाटव की पुत्री की शादी थी। उसमें दूल्हे का सिर्फ इतना दोष था कि वह घोड़ी पर चढ़कर बारात में अपनी ससुराल चला गया। इस घटना को सबने देखा कि एक दलित समाज का दूल्हा घोड़ी पर अपनी ससुराल चला गया तो उसको लेकर तीन दिनों तक नरसंहार चलता रहा। लगातार तीन दिनों तक दलित महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, दलितों के गांव जलाये जाते हैं तो उस समय की गूंगी-बहरी सरकार को चलाने वाली पार्टियां और इस सदन में बैठे हुए सरकार के लोग अपने को गांधी जी के तीन बन्दर की तरह न देखने, न सुनने और न बोलने का काम करते हैं। उस समय कहां गयी आपकी सहिष्णुता, कहां गयी आपकी वह सरकार जो 22 मई, 1990 को हुयी घटना में दलित महिलाओं की चीख पुकार को नहीं सुन पायी, जब वह दलित महिलाएं अपनी इज्जत की भीख मांग रही थीं तो उस समय आपकी सहिष्णुता कहां चली गयी थी ? दूसरी बात मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं। लेकिन 1990 में जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी तो शिवपुरी जिले में सलया गांव की होली के ठीक एक दिन पहले की घटना है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, क्या यहां मध्य प्रदेश सरकार की चर्चा होगी ?

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं आपसे सम्बोधित होकर अपनी बात बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही जी, आप बैठे।

राम सागर अकेला-

मान्यवर, हम दलित समाज के हैं। हम यह बात सदन में रखेंगे। अगर किसी को यह लगता है कि यह बात गलत है तो वह अपने तर्क सदन में रखे तो हम साबित करेंगे कि यह सही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की 16 महिलाओं को नंगा करके नचाने वाली वह सरकार और भारतीय जनता पार्टी उस समय आंखें क्यों मूंदे थी। मान्यवर, कांग्रेस बहुत चीख-चीखकर महिलाओं के संरक्षण के बारे में बोलती है। मान्यवर, कांग्रेस के राज में बागपत जिले में एक त्यागी परिवार की महिला को पुलिस वालों ने 3-4 कि0मी0 तक नंगा करके घुमाया था। उसके बदन पर डंडे से कूच-कूचकर मिर्च तक भरने का काम किया था। उस समय यह लोग क्यों चुप थे, आज तक क्यों चुप थे ? मान्यवर, उस बागपत की घटना को जानकर पूरे देश के दलितों के आंसू थमे नहीं थे। मान्यवर, अभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश की घटनाओं का बड़ा जिक्र करते हैं लेकिन क्या हरियाणा के झज्झर काण्ड की घटना को आप भूल गये ? मान्यवर, झज्झर काण्ड में 28-30 दलित गांवों को उजाड़ दिया गया, इस देश के लोगों ने उसे टी0 वी0 पर भी देखा। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी झज्झर में गयीं लेकिन कांग्रेस का कोई नेता झज्झर की उस घटना को देखने नहीं गया। आज आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। मान्यवर, जब से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी है हर प्रकार के अपराधों में कमी आयी है। भारत सरकार की

जो एजेंसी हैं जो गृह मंत्रालय के द्वारा चलती है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, यह प्रकाशित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी जो अपराध हैं हमारे उत्तर प्रदेश में यह दर 3.8 प्रतिशत है। जबकि राजस्थान में 7.5 प्रतिशत है। उड़ीसा में 4.2 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 4.3 प्रतिशत है, बिहार में 4 प्रतिशत है और आन्ध्रा में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर यह 5.4 प्रतिशत है। जहां तक महिलाओं के खिलाफ अपराध का सवाल है जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने प्रकाशित किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अपराध हुये हैं, वह 11.9 प्रतिशत है जबकि आन्ध्र प्रदेश में 30.7 प्रतिशत है, गुजरात में 13.9 प्रतिशत है, हरियाणा में 21.9 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 22.3 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 13.8 प्रतिशत, उड़ीसा में 20.1 प्रतिशत है, राजस्थान में 26.2 प्रतिशत है, दिल्ली में 23.9 प्रतिशत है, केन्द्र शासित प्रदेशों का औसत अपराध 22.1 प्रतिशत है। इस पूरे देश में महिलाओं पर जो अपराध अत्याचार हुये हैं, उसमें सबसे कम अपराध यदि कहीं हुये हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुये हैं।

मान्यवर, जहां तक अपराधियों को सजा दिलाने का सवाल है, मा0 अधिष्ठाता महोदय, एन0सी0आर0बी0 ने जो केन्द्र सरकार की एजेंसी है, उसने सजा दिलाने का जो आंकड़ा पेश किया है उत्तर प्रदेश में, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3217 अपराधियों को सजा दिलायी गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3217 अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया है। इसका प्रतिशत होता है 94.8 प्रतिशत जबकि पूरे देश में अन्य प्रदेशों को मिला करके 5934 अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया गया है, पूरे देश के अन्य प्रदेशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 3217 और पूरे देश में 5934 अपराधियों को सजा हुयी है। सजा दिलाने के मामले में भी बहुजन समाज पार्टी की यह सरकार नम्बर एक पर है। उत्तर प्रदेश की यह सरकार अपराध कम कराने के मामले में भी नम्बर एक पर है। लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की सरकार को इसलिये हजम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और सर्वजन समाज के भाईचारे के आधार पर बना हुआ समाज है और इस समाज के आधार पर बनी हुयी यह सरकार है। मैं मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से यह बात सदन में लाना चाहता हूं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है और अयोध्या में जब भी और जिसकी भी सरकार रही है। चाहे जिस पार्टी की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को छोड़ करके अयोध्या के मामले में जब भी कोई बात आयी है तो खून हिन्दू के बेटे का भी गिरा है और मुसलमान के बेटे का भी गिरा है। लेकिन जब-जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अयोध्या के मामले में जब भी कोई बात आयी है तो न खून हिन्दू के बेटे का गिरा है और न खून मुसलमान के बेटे का गिरा है और इसका सबसे ज्यादा उदाहरण पिछले वर्ष में जब हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था तो आप सबको मालूम है। पूरे सदन को मालूम है, पूरे देश और प्रदेश के लोगों को मालूम है कि फैसले वाले दिन तमाम लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिये। जो हैदराबाद जाने वाले थे उन्होंने हैदराबाद का टिकट कैंसिल करा दिया। जो मुंबई जाने वाले थे उन्होंने मुंबई का टिकट कैंसिल करा दिया। लोगों ने शादी, ब्याह, निकाह की डेट कैंसिल करा दी। सब के मन में यह डर बना हुआ था कि अयोध्या का फैसला आने वाला है, इस प्रदेश का क्या होगा। इस देश का क्या होगा।

लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में, हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनायी कि किसी भी समाज के ऊपर न तो छींटाकशी हुयी, न किसी समाज ने पटाखे दागे, न किसी समाज का उम्पीड़न हुआ, न किसी समाज के धार्मिक स्थलों का अपमान हुआ। यदि यह श्रेय किसी को जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व को जाता है। इसीलिये विपक्षी दलों को यह बात समझ में नहीं आती, विपक्षी दलों के समझ में यह बात इसलिये नहीं आती क्योंकि शायद इन्हें यह बात पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश में अन्याय और भयमुक्त समाज बनाने के लिये, विकास युक्त वातावरण का सृजन करने के लिये जो कानून द्वारा कानून का राज चल रहा है, वह हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का है। आज सदन में बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके विधायक जेल में हैं आपके मंत्री जेल में हैं धन्यवाद दीजिये बहन कुमारी मायावती जी को यह पूरे दुनिया का इतिहास मैं बता रहा हूं यह किसी प्रदेश का इतिहास नहीं है, कोई देश का इतिहास नहीं है यह तो पूरी दुनिया का इतिहास है। किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री और विधायक को जेल में भेजने का काम नहीं किया लेकिन अपराध करने पर किसी ने जेल भेजने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती ने किया है। लेकिन न्याय की तुला पर बहन कुमारी मायावती खरी उतरती हैं और आप की जब सरकार रहती है तो आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 23 जनवरी, 2004 को, किस 23 जनवरी, 2004 को 23 जनवरी, 2004 कोई सामान्य दिन नहीं है। 23 जनवरी को इस इेश में एक ऐसे नेता का जन्म हुआ था जिसे बहुत दिन से हम लोग इस देश में नेताजी के नाम से सम्बोधित करने का काम कर रहे हैं। हम ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें नेताजी के नाम से सम्बोधित करने का काम करती है उनका जन्म हुआ था ठीक उसी दिन जब 26 जनवरी मनाये जाने के तीन दिन बाकी थे उस समय सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की। बहुत पाल-पाल चिल्लाते हैं लोग। उसके नेता के जमाने में एक राजू पाल को बहन कुमारी मायावती जी ने इस विधान सभा का सदस्य उप चुनाव में बनाया तो वह बात वहां के सांसद को हजम नहीं हुई। वह बात जब वहां के सांसद को हजम नहीं हुयी।

समाजवादी पार्टी के सांसद उस राजू पाल को डेढ़ किलोमीटर तक दौड़ा-दौड़ा कर उसकी हत्या करवाई। अस्पताल में हत्या कराई और मान्यवर, आपको ध्यान होगा इस देश में दो घटना घटी, केवल या तो भगत सिंह जी की लाश को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा और दूसरी घटना तब घटित हुई जब राजू पाल की हत्या होने के बाद 12 बजे रात में राजू पाल का पोस्टमार्टम कराया गया बिना परिवार के। 12 बजे रात में उनका पोस्टमार्टम क्यों कराया गया क्योंकि श्री राजू पाल के बदन में ए0के0-47 की गोलियां थी। यदि दिन के उजाले में पोस्टमार्टम होता तो ए0के0-47 की गोलियां निकलती और अपराधी को वे बचा नहीं सकते थे इसलिये तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रात के 12 बजे उनका पोस्टमार्टम करके उसको बचाने का काम किया ताकि ए0के0-47 की गोलियां छिपाई जा सकें और अपराधियों को बचाया जा सके। यह था इनका चरित्र ऐसे चरित्र वालों को समझना होगा और समझना इसलिये होगा कि प्रदेश की महान जनता सब जानती है। प्रदेश की महान जनता सारी चीजों को जानती है तो समय-समय पर उसका रिजल्ट भी आपको देती है अपने रिजल्ट से आपको समझ लेना चाहिए कि आपका हस्र क्या हो रहा है जनता जो आपके पीछे जा रही थी अब वह जनता आपको छोड़कर जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ जनता तेजी से भागती हुए चली

आ रही है। आज यह समाज, देश, यह प्रदेश यह जानता है इसको जानना होगा और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी आज सदन में नहीं हैं लेकिन,

''नेता प्रतिपक्ष जी खुद एक सवाल हैं साहब वक्त उसका जबाव है,
बेटा जिला पंचायत हार गया साहब आज यह शराफत की बात करते हैं,
इनकी नीयत तो पहले से खराब है साहब''

इसका उदाहरण हैं सैफई का वह महोत्सव जहां पर रूसी बाला आती है और [xxx] नचाकर के उनके परिवार के सब लोग, उनके गांव घर के सब लोग देखते हैं और पूरी टी0वी0 पर परोसा जाता है यह आपके कहने से हल्ला मचाने से नहीं कम होगा। इसको पूरे देश के लोगों ने देखा है। रूसी बाला को नाचते हुए पूरे देश के लोगों ने देखा है। [xxx] में नचाते हुए पूरे समाजवादी परिवार ने देखा है। आपकी पूरी पार्टी ने देखा है। ये पूरे देश ने देखा है। यह आपके चरित्र को उजागर करता है आपके हल्ला मचाने से आपका चरित्र छिप नहीं सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

जो शब्द आपत्तिजनक हैं उनको निकाल दिया जायेगा। मा0 अकेला जी ने किसी का नाम नहीं लिया है, जो आपत्तिजनक शब्द हैं उनको निकाल दिया है।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, इस प्रकार की अमार्यादित टिप्पणी नेता प्रतिपक्ष के प्रति ये नहीं कर सकते हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

इस तरह की आपत्तियां यहां नहीं कर सकते हैं।

श्री राम सागर अकेला-

रूसी बाला को टीवी पर नाचते हुए दिखाया गया है। पूरे समाजवादी परिवार के लोगों ने देखा है।

श्री जोखू लाल यादव-

आप इस तरह की अमार्यादित बातें नहीं कर सकते हैं।

श्री राम सागर अकेला-

यह आपके चरित्र को उजागर करता है।

श्री इमरान मसूद-

तुमने देखा है।

श्री राम सागर अकेला-

रूसी बाला को टी0वी0 पर सैफई महोत्सव नाचते हुए पूरे देश के लोगों ने देखा है। सारे चैनेलों ने देखा होगा। यह आपके चरित्र को [xxx] उजागर करता है। यह जो आपका चरित्र है, उसे पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने की वजह से व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री इमरान मसूद-

आप पहले अपना चरित्र देखिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसे आप कार्यवाही से निकलवायें।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्तिपूर्वक बैठ जायें, जो भी शब्द आपत्तिजनक होंगें, उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, इस सदन में बैठी हुई गरीबों, मजलूमों, लाचारों की यह सरकार व सम्मान दिलाने वाले महापुरूषों पर विपक्षी दल जब छींटाकसी करते हैं तो इससे लगता है कि इनकी मानसिकता इस प्रदेश और देश के गरीबों, दलितों, लाचारों, बेचारों के खिलाफ है। यहां तक कि यह लोग सच बात को सुनना नहीं चाहते हैं, सच बात करना नहीं चाहते, सच बात देखना नहीं चाहते, यह इनकी दूषित मानसिकता का परिचायक है।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अधिष्ठता महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी सदन में मौजूद भी नहीं तब भी उनका नाम लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अकेला जी ने किसी का नाम नहीं लिया है, फिर भी अगर कोई शब्द आपत्तिजनक होगा, तो उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा।

डॉ0 पी0के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी सदन में मौजूद भी नहीं है और उनका नाम लेकर के अमर्यादित आचरण किया जा रहा है, आप कार्यवाही से इन शब्दों को निकलवा दें, हम सब इस तरह के भाषण को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, इसलिए इसके विरोध में हम सब पूरे दिन के लिए सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन का बर्हिगमन कर गये।)

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने सैफई महोत्सव का नाम लिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चाहे तो आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

पहले अपना मुंह देखिये।

श्री राम सागर अकेला-

आप अपना मुंह देखिये, मैं अपना मुंह देख रहा हूं। मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, मैंने सैफई महोत्सव का नाम लिया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अकेला जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, नारी के सम्मान पर बात करने वाले लोग, शायद आप भी जानते हों, 1994 में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो गौरी देवी नाम की एक दलित महिला को इसी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय से तत्कालीन विधायक और तत्कालीन मंत्री उठा कर लाये थे। यह नारी के सम्मान की बात करने वाले लोग हैं, जो किसी के कार्यालय से जबरिया महिला को उठा लाते हैं और चार-चार दिन तक बन्द करते हों, यह नारी सम्मान को बचाने की बात करते हैं, यह तो नारियों को नचाने का काम करते हैं, नारियों को उठाने का काम करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को महान जनता इनको ठुकरा चुकी है और शायद नरक भी इनको ठुकराने वाली है, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है, वह दिन भी आने वाला है, इसलिए उस दिन यह काला कपड़ा पहन कर आये थे क्योंकि हमारे प्रदेश की जेलों में जल्लादों की जगह खाली हो गई है उसका फारम भरने के लिए आये थे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अकेला जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह तो हमारा अधिकार है। माननीय अधिष्ठाता महोदय हम आभारी है मा0 आजम खां साहब के और इसलिए आभारी हैं क्योंकि जब वह समाजवादी पार्टी से निकाले गये या निकल गये तो उन्होंने देश और दुनिया के सामने एक सच बात कह दिया। मान्यवर, वह सब बातें आजम खां साहब के मन से सच बनकर बाहर निकल आयीं। उन्होंने लोगों को बताया कि बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाले साक्षी महाराज को राज्य सभा में भेजने वाली समाजवादी पार्टी ही है। दूसरे बाबरी मजिस्द की शहादत में शामिल जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगायी, कल्याण सिंह जी को गले लगाकर उनके समर्थन में जिन्दाबाद के नारे लगाने वाले समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। मान्यवर, यह सब बातें जो आजम साहब ने अपने मुस्लिम भाइयों को बतायी हैं वह उनके जेहन से निकल नहीं पा रही हैं। पहली बार आजम साहब ने देश के मुसलमानों को सच बात कहने का काम किया है। इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। कुर्मी समाज के महान व्यक्तित्व छत्रपति शाहू जी महाराज जी के नाम पर बहन कुमारी मायावती जी ने यहां के मेडिकल कालेज का नाम 1997 में बदला था। मुझे दुख हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर सत्ता में आयी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी तो उन्होंने उसका नाम फिर बदल दिया और देश के किसी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या किसी राष्ट्रीय नेता पर नहीं रखा बल्कि देश की गुलामी के प्रतीक किंग जार्ज के नाम पर पुनः स्थापित कर दिया। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी पुनः सत्ता में आयी तो दुबारा उन्होंने किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी के नाम पर करने का काम किया। यह धन्यवाद की पात्र हैं। यही नहीं उन्होंने हमारे कुर्मी समाज के उत्थान के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी को चिकित्सा शिक्षा विभाग भी देने का काम

किया। इस तरह से उन्होंने पुनः कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम किया है और इतिहास बनाने का काम किया है। मान्यवर, यहीं नहीं जून, 1995 में जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में और उसमें हमारी बहन कुमारी मायावती जी की हत्या का प्रयास समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से हुआ था। उसमें आज जो हमारी पार्टी से आजमगढ़ के सांसद हैं उनका भी नाम आया था। लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने बदले की भावना न अपनाकर एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और उन्हें लोकसभा में जितवाकर भिजवाया। ऐसा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिलेगा कि हमारी नेता पर जानलेवा हमला हो और उसी व्यक्ति को हम अपनी पार्टी की ओर से लोक सभा में भिजवाने का काम करें। यही नहीं दोनों भाईयों उमाकांत यादव जी को आजमगढ़ से और रमाकांत यादव जी को जौनपुर से लोक सभा में भेजने का काम किया है। यह हमारी माननीया नेता ने उनके प्रति सम्मान का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षिप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, विकास के नाम पर महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण एक आईना होता है। मान्यवर, इस अभिभाषण में जो हमारी सरकार ने गारंटी योजना कानून लागू की है उसको बताने का काम भी किया गया है। मान्यवर, हम लोग गांव कस्बों से आते हैं और जानते हैं कि लोगों को आय प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने में महीनों-महीनों लग जाते थे और उन्हें कार्यालयों में भटकना पड़ता था। आज हमारी सरकार ने यह एक ऐसा कानून बना दिया है जिसमें आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र अधिकारियों को लोगों को समय पर देना होगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वह दण्ड के भागीदार होंगे। उन पर इसके लिए विलम्ब के लिये अर्थदण्ड भी लगेगा। मान्यवर यह जनहित का बहुत बड़ा कार्य है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोग गन्ना किसानों की बात करते हैं माननीय हुकुम सिंह जी बड़े गन्ना किसान हैं। लेकिन में यह जानना चाहता हूं कि हर सरकार ने गन्ने का मूल्य कितना बढ़ाने का काम किया है। किसी ने दो रुपये बढ़ाया तो किसी ने पांच रुपये बढ़ाया है। जबकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आयी हैं तो उन्होंने एकमुश्त 15 रुपये, 25 रुपये और 40 रुपये बढ़ाने का काम किया है। (सत्ता पक्ष की और से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, यह महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों का एक आईना होता है। हम कहना चाहते हैं इसके आधार पर कि इस सरकार की नीतियां और योजनायें लोगों की खुशहाली के लिये हैं, किसानों की खुशहाली के लिये हैं, नौजवानों की खुशवाली के लिये है। अधिकारियों कर्मचारियों की खुशहाली के लिये हैं। समग्र समाज के विकास के लिये हैं। इसलिए मैं बलपूर्वक इसका समर्थन करता हूं। मैं दो वाक्य इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि ''आओ फिर प्यार की तस्वीर बना दी जाय, आग-नफरत की मुहब्बत से बुझा दी जाय, अपने ही घर को जलाने की जो खाते हैं रोज कसम, उनसे कहना चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बनाकर इस देश को, इस प्रदेश को, इस समाज को आगे बढ़ाया जाय, खुशहाली ला दी जाय।'' बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण श्री राम सागर अकेला जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल जी का अभिभाषण मात्र कागज का पुलिंदा नहीं हैं, बल्कि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों और आने वाले समय के कार्यक्रमों का एक दपर्ण होता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन सारी योजनाओं को शामिल किया जाता है जिन योजनाओं को सरकार अपने भविष्य के आगामी वर्ष में रखना चाहती है। महामहिम राज्यपाल ने जब इस सदन में इस अभिभाषण को रखने का काम किया तो वह मान्यवर, पूरे प्रदेश के 18 करोड़ लोगों के लिए जो सरकार अपनी नीतियों लेकर आई थी, कार्यक्रम लेकर आई थी उसका वर्णन करने का काम किया लेकिन मान्यवर, मुझे दुख हुआ जब प्रदेश के 18 करोड़ लोगों के लिए जो राज्यपाल का अभिभाषण यहां सदन में सभी लोगों को सुनना चाहिए था, उसको सुनने का काम नहीं किया। मान्यवर, कुछ लोगों ने इस सदन को रंगमंच बना लिया है कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि यह सदन जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, सब वर्ग के लोगों के हितों की योजनाएं बनाई जाती हैं उसे कुछ राजनीतिक दलों ने रंगमंच समझ लिया है। वह लोग यहां कभी काले गुब्बारे छोड़ने का काम करते हैं, कभी लंकेश की सेना का रूप धरकर बच्चों को डराने का काम करते हैं। मान्यवर, यह प्रदेश की गरिमामयी सदन है। इस सदन में ऐसी-ऐसी बहसे हुई है जिसने पूरे देश को हमेशा एक दिशा देने का काम किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कार्यक्रम को रखने का काम किया उसमें पूरे प्रदेश के छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं हर वर्ग के लोगों के हितों को रखने का काम किया। मान्यवर, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना इस प्रदेश की ऐसी योजना थी जो पूरे भारत में कहीं नहीं चलाई गयी। मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे समाज में जब गरीब परिवार में कोई कन्या पैदा होती है तो उसका परिवार चिन्तित हो जाता है कि उस कन्या का भरण-पोषण कैसे करेंगे उसके हाथ कैसे पीले करेंगे, उस कन्या का जीवनयापन कैसे होगा। मान्यवर, किसी भी गरीब परिवार में जब कन्या जन्म लेती है हम आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो देखते हैं कि उस परिवार में दुख का एक संसार सागर टूट पड़ता है लेकिन धन्य है हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जिन्होंने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना को इस प्रदेश में लागू करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यदि गरीब के घर में बेटी होगी तो उसे दुख जताने की जरूरत नहीं है। गरीब के घर में बेटी होगी तो उस बेटी का जिम्मा उसके हाथ पीले करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने अपने हाथों में लेने का काम किया है और उन्होंने इस योजना को लागू किया और 18 वर्ष की सावधि जमा के रूप में उसे एक ऐसा फिक्सड डिपाजिट दिया गया कि जब वह लड़की 18 वर्ष की होगी तो उसे एक लाख रुपया अपने आप पहुंच जायेगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीबों के घरों में पहले क्या लड़कियां पैदा नहीं होती थीं लेकिन पहले की सरकारों ने क्या कभी उन लड़कियों के बारे में चिन्ता करने का काम किया, नहीं किया लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी मुख्य मंत्री ने गरीब के घर में जो बेटी पैदा होती है उसकी चिन्ता करने का काम किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री एक झोपड़ी से निकलकर आई है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने गरीबी के दर्द को झेला है इसलिए उन्होंने गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम किया है।

मान्यवर, ऐसे तो इस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष में चुने जाते हैं लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में स्थान भी बदलता रहता है कभी कोई सत्ता पक्ष में रहता है और कभी विपक्ष में रहता है। लेकिन मान्यवर, जो नहीं बदलना चाहिए वह भी आज बदल गया है। मान्यवर, चरित्र नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वह चरित्र भी बदल गया है। मान्यवर, जब वह सत्तापक्ष में होते हैं तो उन्हें कानून व्यवस्था की चिन्ता नहीं होती है लेकिन जब विपक्ष में जाते हैं तो उन्हें कानून व्यवस्था की चिन्ता आने लगती है। मान्यवर, आप भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में रहे हैं। आज से 4 वर्ष पहले पूरे सदन ने देखा है कोई भी बैठा हुआ राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने 4 साल पहले की सरकार के अपराध के दंश को झेलने का काम न किया हो। मान्यवर बहुजन समाज पार्टी ने इस दौर में जहां अपने होनहार विधायक को संगम की धरती पर गोलियों से बिंधे हुए पाया था तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी याद दिलाना चाहता हूं, चार साल पहले इन्होंने भी अपने होनहार विधायक को गाजीपुर की धरती पर 8 लोगों की गोली से बिंधे हुये पाया था। मान्यवर, यही नहीं, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही थी, काग्रेंस पार्टी ने भी उस अपराध के दंश को झेला था जब राजधानी लखनऊ में मेहर भार्गव को सरेआम इसलिये गोली मार दी गयी थी क्योंकि वह अपनी पुत्रवधु के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी।

मान्यवर, क्या-क्या बताऊं, यह लोग कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं जिनके समय में यह सब हुआ। मान्यवर, वह लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं जिनके समय में इसी राजधानी लखनऊ में सी0ओ0 को जीप की बोनट पर उल्टा लटकाकर घुमाये जाने का काम किया गया था। चार वर्ष पहले फिरोजाबाद में पुलिस कप्तान को सत्ताधारी विधायक पीटता था और उसका मुकदमा तक लिखा नहीं जाता था। मान्यवर, क्या-क्या बताऊं आपको। सूप बोले तो बोले छलनी बोले जिसमें 72 छेद। मान्यवर, आज इनको महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की अस्मिता की याद आई है। आज इन्हें उत्तर प्रदेश के धन की याद आई है। मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं और आप इसके गवाह रहे है कि इसी सदन में इसी जगह बैठकर 71 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में से 70 करोड़ रुपये अपने ही विद्यालय को, जिसके विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र में उन्हीं के परिवार के लोग थे उनको दे देने का काम किया गया था। मान्यवर, जब हम लोग उधर की बेंचों पर बैठकर विरोध करते थे तो मान्यवर, क्या जवाब दिया जाता था। हम बाबा साहब अम्बेदकर के अनुयाइयों को दो कौड़ी का लोग कहा जाता था और इसी सदन में अपमानित किया जाता था।

हमने उस दौर को भी झेलने का काम किया है। मान्यवर, यह लोकतंत्र है और यह जिस लोकतंत्र में अपनी बातों को कह रहे हैं लेकिन उस समय एक ऐसा दौर था जब हम अपनी जुबान भी खोल नहीं सकते थे और अपनी बात भी कह नहीं सकते थे, महाना जी ने भी उस दौर को देखा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह लोग महिलाओं की इज्जत और अस्मिता की बात करते हैं। आज बजट की बात करते हैं कहते हैं कि सारा बजट अम्बेडकर पार्क में लगा दिया। सारा बजट अपने महापुरूषों के लिये लगा दिया। मान्यवर, हमने वह दौर भी देखा है जब हर अनुपूरक बजट में केवल सैफई हुआ करता था। अरे हमने तो इस प्रदेश की राजधानी और पूरे प्रदेश को सुन्दर बनाने का काम किया है। आपने तो केवल एक तहसील तक सीमित रहने का काम किया था। मान्यवर, आज हजरतगंज, जिसका एक इतिहास है हमने हजरतगंज के 200 वर्ष होने पर ऐसा हजरतगंज बनाया है कि आज पूरा लखनऊ ही नहीं बल्कि हर आने वाला व्यक्ति यह कहता है कि लखनऊ को खूबसूरत, लखनऊ को सुन्दर, हरा भरा और स्वच्छ लखनऊ बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस समय के दौर में हम लोगों ने जिस चीज को देखा है, कुछ लोग कहते हैं और आज उनको बड़ी वित्तीय चिन्तायें रहती हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस दौर में हमने देखा था उस दौर में उसी राजनीतिक दल की एक सांसद लखनऊ महोत्सव में नृत्य करती थी और लोहियावादी लोग बैठकर देखा करते थे और सरकारी खजाने से उस नृत्य के लिये 30 लाख रुपये उनको राज्य सरकार ईनाम स्वरूप दे दिया करती थी। मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं तो सदन का पुराना सदस्य हूं मैंने उस दौर को भी देखा है जब इस सदन में हम लोगों का बोलना मना हुआ करता था। हमने उस भय और आतंक के माहौल को भी देखा है, जब केवल जनता ही नहीं, यह सदन भी भयभीत रहा करता था। जब मान्यवर, बड़ी मुश्किलों से हम लोग बचे थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज प्रदेश में संगठनात्मक अपराध की कमर टूट गयी है। उत्तर प्रदेश में आज कहीं से भी संगठनात्मक अपराध की सूचनायें नहीं आ रही है। मान्यवर, हमने अपराध को अपराध की तरह देखा है, अपराधी को अपराधी की तरह माना है। हमारे समय के अपराध और उस दौर के अपराध में फर्क, एक फर्क हुआ करता है। उस समय के अपराध पर अपराधी को बचाने का काम तत्कालीन सरकार किया करती थी, लेकिन इस दौर में अगर कोई अपराध होता है और सूचना आने के बाद जांच में यदि सही पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने कोई भेद करने का काम नहीं किया। अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे कितनी भी हैसियत वाला हो, अपराधी की जगह जेल के सींकचों में तय करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हुए हैं उनमें अगर किसी विधायक को भी दोषी पाया गया है तो उसे भी जेल भेजने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है चाहे वह विधायक सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का। हमारी सरकार की नजर में अपराधी, अपराधी है इसकी जगह जेलों में सीमित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राम सागर अकेला द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है मैं उस पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि हमने लिखित रूप में जो भाषण दिया है उसको भी

इसके साथ जोड़ दिया जाये। अभी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मा0 सदस्य राम सागर अकेला जी ने प्रस्तुत किया। मैं उनके भाषण को ध्यान से सुना मैंने एक बार भी उन्हें राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए नहीं सुना हां वह मो0 आजम खां जी को जरूर धन्यवाद दे रहे थे। माननीय विधायक जी अभिभाषण पर धन्यवाद किसको देना है कम से कम यह तो तय करके आते। यह अभिभाषण जो लिखित रूप में हम सबको मिला है, जिसे राज्यपाल जी ने यहां नहीं पढ़ा उस पर धन्यवाद देने के लिए मा0 सदस्य ने प्रस्ताव रखा है और उस पर संशोधन रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद किस बात के लिए दें ? क्या उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाये क्योंकि आज प्रदेश की जनता भुखमरी के कगार पर है या इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाये कि उनकी सरकार न तो मंहगाई रोकने के लिए प्रयासरत है और न सफल ही है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर महामहिम राज्यपाल महोदय को किस बात के लिए धन्यवाद दिया जाये। आज सरकार के बहुत से मा0 सदस्य जेलों में है क्या उनकी इस योग्यता के लिए उनको धन्यवाद दिया जाये। मैं इस अभिभाषण को पढ़ रहा था इसके पृष्ठ-28 पर लिखा है कि मेरी सरकार देश में खाद्य सामग्री की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोत्तरी से चिन्तित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्ष 2004 में अभिभाषण प्रस्तुत किया गया था और जो वर्ष 2003 में अभिभाषण प्रस्तुत किया गया था उन्हें मंगवा लिया जाये, महामहिम राज्यपाल महोदय उस समय भी चिन्तित थे और आज भी चिन्तित हैं। मंहगाई बढ़ रही है और सरकार की चिन्ता भी बढ़ रही है लेकिन यह नहीं बताया गया कि मंहगाई रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की। पिछले विधान सभा के सत्र में सरकार से पूछा गया था कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। केन्द्र सरकार आपके ऊपर आरोप लगाती है कि राज्यों की वजह से मंहगाई बढ़ रही है और आप केन्द्र की सरकार पर आरोप लगाते है तथा केन्द्र और राज्य के बीच की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। कौन तय करेगा कि किसकी जिम्मेदारी है, हम लोग जनता के बीच से चुन करके आते हैं, चाहे विधायक के रूप में चुन करके इस सम्मानित सदन में बैठे हों, चाहे सांसद के रूप में चुन करके हमारे कुछ सम्मानित साथी पार्लियामेण्ट में बैठे हों। अब मंहगाई के बारे में बात चलेगी तो कह दें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो कौन जिम्मेदार है ? अगर सरकार कह देगी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे ? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर क्या इसलिए धन्यवाद दिया जाए कि मंहगाई सुरसा की तरह मुंह बढ़ाती चली जा रही है। गरीब के घर का चूल्हा ठंढ़ा है और उसकी पेट की आग तेज है। बहुत ही प्रचलित नारा सरकार के द्वारा दिया गया कि 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'। यह नारा आपने बसों पर, कागजों के ऊपर लिखा देखा होगा लेकिन जनता से पूछेंगे तो जनता एक ही बात कहेगी कि 'सर्वजन सताय, सर्वजन दुःखाय'। आज सभी सताये जा रहे हैं चाहे वह दलित ही क्यों न हों, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मैं पूरे आदर के साथ संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना बिन्दकी में हुई जिसके बारे में अभी आपने सरकारी वक्तव्य पढ़ दिया उसमें आपने कहा कि दोनों दलित समुदाय के थे। अगर दोनों दलित समुदाय के थे तो क्या अपराध नहीं बनता, क्या उसको छूट होगी। कोई भी किसी के साथ अपराध करे तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वह किसी जाति या धर्म का

हो। हमारे यहां कानपुर में एक गुड़िया नाम की लड़की जला दी गयी, लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जलाया है वह प्रधान है, बहुत बड़ा आदमी है आप उस लड़की के घर जा रहे हो आपका नुकसान हो जायेगा। हम केवल इसलिए न जांए कि हमारा वोट कट जायेगा। केवल इसलिए कि जिसने मारा था वह दबंग था उसके पास वोट थे, वोट के आधार के ऊपर अपराध की श्रेणी तय करेंगे, यह अपने आप में गंभीर बात है। सत्ता किसी की चेरी नहीं है। आज कोई उधर बैठा है, कल यहां बैठा होगा। हम भी उधर खूब बैठे, वहां से यहां आना पड़ा। मान्यवर, किसी ने पट्टा नहीं लिखाया हुआ है। कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, कोई व्यक्ति खराब हो सकता है लेकिन आप व्यवस्था को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस समय यह व्यवस्था खराब हो जायेगी तो आज नहीं तो कल आपको भी भुगतना पड़ेगा। आज जिन अधिकारियों को, पुलिस वालों को आप शह देते हैं कि वह अपराध को बढ़ावा दें, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें। मान्यवर, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि कल वहीं अधिकारी आपकी तरफ आंख उठाकर, घूरकर देखेंगे। इसलिए आप इसको रोकिये। मेरा निवेदन है कि इस संसदीय परम्परा को, इस सदन की गरिमा को, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को चाहे वह किसी भी पक्ष के हों, अगर आप उनका सम्मान नहीं रख सकते तो कल किसी का सम्मान बचने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी, संक्षेप करिये। आपके दल के मा0 नेता भी तो बोलेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी हमारे लोकदल के सम्मानित सदस्यों ने भूमि अधिग्रहण की बात कही है। इस प्रदेश में दो बड़े ग्रुप हैं। एक का नाम आपने ले लिया है, दूसरे को आप सभी जानते हैं। शाम के समय जो लोगों को मस्त करने का काम करते हैं उनका भी नाम है। सरकार ने व्यवस्था की बात कही, विकास की बात करी है। केन्द्र सरकार के द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जो काम कराए जा रहे हैं उसमें घोटालों की बात मैंने कही है उसमें घपलों की जांच करानी चाहिए अगर उसमें भ्रष्टाचार न हो रहा हो तो मुझे सजा दीजिए और अगर घपले हो रहे हैं तो घपला करने वालों को सजा दीजिए मैं सजा भुगतने के लिए सदन की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हूं। अधिकारी आएगा काम करके चला जाएगा, ठेकेदार आएगा काम करके चला जाएगा लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जनता हमसे सवाल करेगी उसका जवाब हम लोगों को देना है। अखबारों में घोटालों की खबरे छप रही हैं। अकेला जी द्वारा जो बाते कहीं गई उनकी एक बात का भी ओ0पी0सिंह ने समर्थन नहीं किया और वह उठकर चले गए। ओ0पी0सिंह जी ने जितनी बातें कहीं उनकी एक बात का भी जिक्र आदरणीय अकेला जी ने नही किया उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जानते हैं कि सारी की सारी बातें गलत हैं। अगर आपकी बात सही होती तो विकास की बात करते, खेती की बात करते, डेवलपमेंट के बारे में बात करते, आप विद्युत के बारे में बात करते आपने विद्युत उत्पादन के बारे में बात नहीं करी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपकी 13-14 मिनट हो गए।

श्री सतीश महाना-

आपने चर्चा करी कि उत्तर प्रदेश में यह हो रहा था, हरियाणा में यह हो रहा था, दिल्ली में यह हो रहा था, आन्ध्र प्रदेश में यह हो रहा था लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है यह तो बताते। हम सरकार की प्रशंसा किस बात के लिए करें। सरकार कहती है कि सड़कें प्राइवेट में जाएंगी, सरकार कहती है कि बिजली प्राइवेट में जाएगी इस बारे में सरकार एक निर्णय लेती है लेकिन उसके बाद फिर दूसरा निर्णय लिया जाता है। अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त समाज की आप बात करते हैं। लोकतंत्र में चार व्यवस्थाएं हैं पत्रकारिता चौथी व्यवस्था है उन्होंने कानपुर महानगर में दिव्या काण्ड को उठाया लेकिन इसके बाद अखबार वालों पर प्रतिबन्ध लगाने का काम, उनकी मोटर साइकिल को तोड़ने और उनको अपमानित करने का काम इसी सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया गया और उसके बाद उनकी पदोन्नति हो जाती है। हम सब लोग यहीं रहने वाले हैं अधिकारी जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे इसलिए उनके पापों को संरक्षण न दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

जब सड़क बनती है तो सम्बन्धित इंजीनियर और ठेकेदार सड़क बनाकर चले जाते हैं अगर सड़क खराब होती है तो उनसे जनता नहीं कहती जनता हमसे कहती है कि विधायक जी यह सड़क खराब है। इसलिए मेरा कहना है कि उनके पापों की वजह से इस सम्मानित सदन के सदस्य बदनाम न हों। जो लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं संसदीय कार्यमंत्री जी उनकी वजह से हम लोग बदनाम न हों। आप गौरव के साथ कहते हैं कि हमारी मुख्य मंत्री जी वह मुख्य मंत्री हमारी भी हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा मुख्य मंत्री नहीं है हम भी उनका सम्मान करते हैं। हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विधायकों को जेल में डालकर बहुत बड़ा काम कर दिया। जिस दिन किसी भी सम्मानित सदस्य को जो इस प्रकार की हरकत करते हैं हम लोग अखबार पढ़ते हैं विधायकों के प्रति जनता की अच्छी सोच नहीं रहती है। ऐसी व्यवस्था जो अपराधी हैं, जो अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है तो उनको बढ़ावा न दें उन पर अंकुश लगाएं। तो निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आयेगा, हम धन्यवाद देंगे नहीं तो विरोध करते हैं और उस पर संशोधन प्रस्तुत करते हैं।

डॉ0 अजय तोमर-

महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभिभाषण पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे प्रदेश सरकार भारत सरकार के विषय में कोई श्वेत-पत्र जारी करने का काम कर रही हो। भारत सरकार से हमें क्या नहीं मिला, हमको क्या चाहिए था। क्या योजनाएं हमकों लागू करनी थी, अपने प्रदेश में, इस बारे में इस अभिभाषण में कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। वही सारी पुरानी चीजें, वहीं सारी पुरानी बातें केवल यह कि हमने केन्द्र से इतना मांगा था, हमको इतना नहीं मिला इसलिये हमने इसकी जगह यह

चालू कर दिया। केवल इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था। प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरह से अपराधी निरंकुश होते जा रहे हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों के अपराधों के बारे में सुबह से कई बार चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, एक दो उदाहरण मैं भी अपने जनपद जहां से मैं चुनकर आता हूं, कुछ ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि झकझोरने वाली हैं। मान्यवर, अभी जब सारा देश गणतंत्र दिवस, देश का राष्ट्रीय पर्व मना रहा था उस दिन 26 जनवरी को बड़ौत नगर में मान्यवर, 26 जनवरी को, ध्यान करने की बात है, 26 जनवरी को बड़ौत नगर में नेहरू रोड पर रहने वाले गरीब हरीश की बेटी ध्रुवी जो कि मात्र 4 साल की थी। मोहल्ले की गली में खेल रही थी, गायब हो गई। उसका आज तक पता नहीं चला है मान्यवर, अनेकों आन्दोलन हुए, वहां के लोग थाने कचहरी गये लेकिन उसकी रिपोर्ट 5 दिन तक दर्ज करने वाला कोई नहीं था। पुलिस प्रशासन उसके घर का पता लेने वाला नहीं था। मान्यवर, जिस दिन सारा मुल्क राष्ट्रीय पर्व मना रहा था उस दिन एक बेटी का किडनैप हो जाता है, वह लापता हो जाती है। कैसा गणतंत्र मना रहा है देश। मान्यवर, क्या कल्पना की होगी उन्होंने, जिन्होंने इस देश के लिये बलिदान दिया होगा। मान्यवर, बड़ौत में ही एक सर्राफा व्यापारी धनंज्य कुमार जैन के घर उसके प्रतिष्ठान पर डकैती पड़ती है। लाखों का माल तो जाता ही जाता है और झड़प में उस व्यापारी की आंख निकालने की कोशिश की जाती है। झड़प में उसकी आंख निकल जाती है। मान्यवर, इस तरह की अराजकता फैली हुई है।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बैठे हैं। माननीय कौकब साहब 5-5 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं सदन में।

श्री कौकब हमीद खां-

बैठे हैं तो आगे आ जायं। देख तो लें।

श्री अधिष्ठाता-

आ जाइये भई आगे आ जाइये।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, भट्ठा उद्योग जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। भट्ठा उद्यमियों का लगातार कहीं न कहीं अपहरण सुनने को मिलता है। इसी तरह एस0पी0 कार्यालय से मात्र 3 किमी0 की दूरी पर एक भट्ठा उद्यमी का अपहरण दिन के 11 बजे कर लिया जाता है। कहां कानून व्यवस्था है ? मैं 6 दिन से किस्से बताने का काम कर रहा हूं। मान्यवर, यह तो रही कानून व्यवस्था की बात। मान्यवर, फतेहपुर कुत्थी का व्यक्ति रामवीर सिंह, ईश्वर सिंह का लड़का 29 जनवरी से लापता है। उसका आज तक कोई पता नहीं है मान्यवर। किस-किस को बतायें। केवल यह एक जनपद के दो हफ्ते की बात कर रहा हूं। इतनी लम्बी चौड़ी बात पर कानून व्यवस्था के नाम पर किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। मैं जिन नामों को लेने का काम कर रहा हूं, उनका किसी थाने में...

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें। 5 मिनट हो गये हैं।

डॉ0 अजय तोमर।

मान्यवर, अभी तो बोलना शुरू किया है। अब जिले में अगर इतने क्राइम होंगे तो पांच मिनट क्या पांच घंटे भी कम पड़ेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अभी कानून-व्यवस्था पर तमाम लोगों ने नियम-56 में विषय उठाया था।

डॉ0 अजय तोमर-

तो कानून व्यवस्था की ही तो बात हो रही है। मान्यवर, अगर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी नहीं लिखा होगा तो किस तरह से काम चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

इसी पर चर्चा आप लोगों ने घंटों किया है।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, भ्रष्टाचार किस कदर फैला है यह आप किसी आफिस में जाकर देखने का काम करें। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कोई बात नहीं कहीं गई। चारों तरफ अराजकता है। ठेकेदारों का नहीं पता, बिल्डर्स का नहीं पता, भूमि अधिग्रहण करने वालों का नहीं पता केवल एक बोकस काम करने का काम कर रहे हैं प्रदेश में, महामहिम जी ने इस बोकस को तोड़ने के लिए भी कहीं कोई शब्द बोलने का काम नहीं किया। इसके अलावा प्रदेश के सभी अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा हो रही थी। अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने का काम किया जाता है उत्तर प्रदेश के लगभग आधे जनपद ऐसे हैं कि जिन अल्पसंख्यक छात्रों ने छात्र प्रतिपूर्ति के लिए अपना आवेदन जनपद स्तर के कार्यालयों में किया है और गत वर्ष, इस वर्ष की भी बात नहीं कर रहा हूं पिछले वर्ष की भी छात्रवृत्ति और छात्र प्रतिपूर्ति अल्पसंख्यक छात्रों को अभी तक नहीं मिली है। मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें। मान्यवर, इसके अलावा...

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डॉ0 अजय तोमर-

प्रदेश में बेतहाशा इस अराजकता और अव्यवस्था के साथ-साथ बेहद जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या है वह भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार के साधन कैसे मुहैया कराये जाएंगे। आने वाली पीढ़ी, जो इस सदन के सदस्य हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के सदस्य हो उनकी तरफ रोजगार के लिए मुंह बाए देखती है, कि किसी तरह कोई ऐसी वैकेन्सी निकले। अभी बता रहे थे 20-20, 25-25 और 40-40 वैकेन्सी के लिए एक-एक लाख लोग फार्म भरते है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण में कहीं रोजगार परक योजनाओं की घोषणा नहीं की गई।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य अकेला सागर जी के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद, संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अकेला सागर जी ने इतिहास की बातें बहुत बताई। एक इतिहास आज यह भी बताना चाहिए था कि चार तारीख को जब महामहिम इस संयुक्त अधिवेशन में बोलने के लिए आए तो उनका मन इतना खिन्न था कि अभिभाषण पढ़ना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो लिखा जाता है यह महामहिम को अभिभाषण दिखाया न गया हो, यहां आकर देखा होगा तो उनका मन खिन्न था, इसलिए नहीं पढ़ा, उनके बिना पढ़े अभिभाषण पर हम यहां धन्यवाद और संशोधन पर विचार कर रहे है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें जो कई प्रकार की चर्चा की गई, मंहगाई के बारे में खासतौर से, पेट्रोल, डीजल का दाम जब बढ़ता है यदि डीजल का दाम अभी बढ़ जाए, हम सब जब यहां से उठेंगे तो हमारी जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना चोली दामन का साथ है मंहगाई का। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि इस प्रदेश में यदि हम डीजल और पेट्रोल के दाम जो उस पर टैक्स लगा हुआ है उसको समान रूप से कर दें तो मंहगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है लेकिन महामहिम को चिन्ता है मंहगाई बढ़ने की इस सरकार को चिन्ता है मंहगाई बढ़ने की, चिन्ता करेंगे लेकिन मंहगाई को बढ़ायेंगे। दिल्ली में डीजल पर टैक्स 12.15 प्रतिशत और पेट्रोल पर 20 प्रतिशत है, उत्तराखण्ड में डीजल पर 12.15 प्रतिशत तथा पेट्रोल पर 20 प्रतिशत है लेकिन उत्तर प्रदेश में मंहगाई बढ़ाने के लिए डीजल पर 17.28 प्रतिशत तथा पेट्रोल पर 26.55 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है क्योंकि इन्हें मंहगाई के बारे में बहुत चिन्ता है। चिन्ता यह है कि उत्तर प्रदेश में मंहगाई कैसे बढ़े। गांव-गरीब की झोपड़ी में आज उसकी पतीली सूखी है, उसकी चिन्ता करनी चाहिए। जो सरकार प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से खाना नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अब प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बात आती है, यहां पर काफी चर्चा हुई है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जहां महिलाओं की इज्जत सुरक्षित न हो, जहां बहन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित न हो, इस सम्मानित सदन के 13-13 विधायक जेलों में हों, सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। मान्यवर, आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण यहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। किसानों की बात कहीं गई है, गौतमबुद्ध नगर में एक भट्टा गांव है, 17 तारीख से वहां पर कई हजार किसान आन्दोलन कर रहे हैं। वहां पर एक किसान मनवीर सिंह तेवतिया के साथ-साथ अन्य किसान बच्चे और महिला आमरण-अनशन पर बैठे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। वह लोग अपनी जमीन की उचित कीमत मांग रहे हैं। उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा 570 रुपये प्रति

गज के हिसाब से दिया जा रहा है जब कि मार्केट में वह 13 हजार रुपये के हिसाब से बेची जा रही है। नोयडा से जो यमुना एक्सप्रेस वे जाता है, वह भट्टा गांव के पास से ही निकलता है।

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही जी समाप्त करें, 6 मिनट बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दोनों तरफ निगाह रहेगी तो ठीक रहेगा। उधर के लोग जब बोलते हैं तो निगाह नहीं रखते हैं। बस 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गयी हैं, इसमें अभिभाषण का यदि शुरू का अंश देंगे, हमें इसमें आपत्ति नहीं हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि ''मेरी सरकार देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान सन्तों, गुरूओं व महापुरुषों विशेष रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी।'' इन सबका योगदान रहा है लेकिन इनके अलावा भी बहुत से अन्य महापुरुषों का भी योगदान रहा है, यदि उनका भी नाम होता तो सर्वसमाज की बात आती। महात्मा गांधी जी का चित्र पीछे लगा हुआ है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी बाजपेयी, अनेक ऐसे महान लोग रहे हैं। कबीर दास जी हुए, सूरदास जी हुए, यह नाम भी यदि इसमें आ गये होते तो अच्छा लगता। यह सर्वसमाज को बताने की बात नहीं है, यह समाज को तोड़ने की बात है। सर्वसमाज की चिंता करने वाले सभी वर्गों की बात करते है। मान्यवर, गन्ने के भुगतान के बारे में कहा गया। मान्यवर, पिछले वर्ष मिल मालिकों ने गन्ना किसानों को 280 रुपये प्रति कु0 तक दिया। इस बार क्या मिल रहा है। आप कहते हैं कि हमने 40 रुपये गन्ना मूल्य बढ़ाया। जिस समय हमारी बी0जे0पी0 की सरकार थी तो हम भी मंत्री हुआ करते थे, यहां बैठे हुए बहुत से लोग मंत्री हुआ करते थे तो उस समय चीनी का दाम 1100 रुपये प्रति कुन्तल था और गन्ने का दाम 100 रुपये और 105 रुपये प्रति कुन्तल था। यह बात तो गन्ने के रेट की करते हैं लेकिन यह नहीं बताते कि आज चीनी का दाम क्या है। आज 30-40 रुपये किलो चीनी बिक रही है। मान्यवर, दूध के बारे में बताया गया। मान्यवर, आज लोगों ने अमूल का दूध पीना पसन्द कर लिया है। यह दूध उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं। मान्यवर, यह पशु चिकित्सालय बनाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल से 412 पशु चिकित्सालय बने पड़े हैं। मैंने इस सदन में कई बार प्रश्न रखे हैं। मेरे अकेले विधान सभा में 5 पशु चिकित्सालय हैं। जिसमें 5 साल से कोई डाक्टर नहीं हैं। उसके खिड़की, दरवाजे टूट गये, बिल्डिंग टूटने जा रही है। पशु चिकित्सालय बनाएंगे, डाक्टर लाएंगे, पशुओं का अच्छा इलाज करेंगे। मान्यवर, दूध उत्पादन में हमारा बुलन्दशहर एशिया में सबसे ऊपर था। आज वहां सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है, किसानों का शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, जो किसान भट्टा में आन्दोलन कर रहे हैं उसमें हम और सत्तापक्ष के लोग सभी एक चीज मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 जो बहुत पुराना ब्रिटिश काल का अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाये। हमने जो संशोधन दिये हैं उसमें यह जोड़ते हुए यह चाहूंगा कि जब भी इस सत्र का समापन हो तो सरकार की

तरफ से अश्वासन दिया जाय कि 1894 के उस अधिनियम में जब तक संशोधन न हो तो उत्तर प्रदेश में कोई भी भूमि आवश्यक कार्य को छोड़कर मल्टी स्टोरी आदि बनाने के लिए न अधिग्रहीत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। आप 11 मिनट बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां खाद की बात कही गयी है। यहां पर सभी ज्यादातर किसान परिवार से बैठे हुए हैं। आज यूरिया की बहुत आवश्यकता है लेकिन एक भी बोरी बिना ब्लैक के नहीं मिल रही है। सारा का सारा ब्लैक में जा रहा है। इनके कार्यकर्ता ला रहे होंगे, इनको मिल जाती होगी क्योंकि यह सत्तापक्ष के लोग हैं। अभी रबी की फसल में डी0ए0पी0 नहीं मिली और कह रहे हैं कि हमने बफर स्टाक बनाया है। इसमें क्या लिखा है कम से कम आप इसको देख तो लेते। पूरा प्रदेश का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा। बिजली की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 18 लाख किसान हैं जिनके पास केवल आधा हे0 जमीन है। आज बिजली का ट्यूवेल लगाने में सवा लाख रुपये लगता है और 20 से 50 हजार रुपये तक रिश्वत ली जाती है। वह किसान ट्यूवेल नहीं लगा सकता। प्रदेश का एक करोड़ 18 लाख किसान कहां जाएगा, वह ट्यूवेल कैसे लगाएगा ? सिंचाई कैसे करेगा। सिंचाई नहीं होगी तो पैदावार कैसे होगी ? इस प्रदेश के लोग भूखे मरेंगे। इसलिए मान्यवर, आज ऐसे लोगों को फ्री ट्यूवेल मिलने चाहिए। आज पानी की समस्या, अनाज की समस्या, महंगाई की समस्या पैदा हो रही हैं। आपने मुझे समय दिया, अपने संशोधनों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला। मा0 अधिष्ठाता महोदय, पूरा अभिभाषण पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जिसने भी यह अभिभाषण लिखा है। यह अभिभाषण पूरा का पूरा जमीनी हकीकत से दूर है। ऐसा लगता है कि सिर्फ आंकड़ों का एक मायाजाल सा है। जिसके अन्दर आगे की कोई नीति नहीं है। मान्यवर, जो मेरी अपनी सोच है कि राज्य की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है भ्रष्टाचार की, महंगाई की, महंगाई की और कानून व्यवस्था की। मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता, न टूजी स्पेक्ट्रम की करूंगा, न आदर्श सोसाइटी की बात करूंगा, न राष्ट्र मंडल खेलों की बात करूंगा। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो जमीन से जुड़े हुये हैं। आपने कहा कि हमने 85,000 हैण्डपंप लगवाये हैं। लेकिन क्या किसी गरीब का हैण्डपंप बिना 5000 रुपये दिये बिना लगा। क्या किसी गरीब के लिये, किसी जरूरतमंद के लिये एक भी लाइसेंस बिना 20,000 रुपये दिये बिना बना। क्या किसी भी स्कूल की मान्यता, किसी भी स्कूल के अन्दर परीक्षा केन्द्र बिना पैसे दिये बना। क्या किसी तहसील के अन्दर या किसी थाने के अन्दर कोई एफआईआर बिना पैसे दिये हुई क्या कोई ठेका 34 से 42% दिये बिना उठा। ये छोटी-छोटी चीजें हैं और यह भ्रष्टाचार का यह मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है, इसके बारे में मा0 अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय ने एक भी शब्द नहीं कहा है। मैं आपको एक

उदाहरण देता हूं कि आपकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, मा0 कांशीराम जी आवास योजना। आप कालिन्दी विहार, आगरे में जाकर के योजना में बने हुये उन फ्लैट्स को देख लीजियेगा, जर्जर दीवारें, लटकते हुये तार, कहीं पर शौचालय नहीं, गरीब को बाहर जाकर के शौच करना पड़ता है। आप उन हकीकतों को जान लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की हालत कैसी है। अभी पता चला कि साहब हम लोगों ने महंगाई को हटाने के लिये राजकीय कल्याण निगम से कुछ सामान बंटवाया है। कुछ प्याज बंटवाई है, कुछ खाद्यान्न बंटवाया है। क्या इस तरह से हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बताया गया आप वैट के ऊपर इतना पैसा ले रहे हैं, 26 परसेंट आप पेट्रोल पर ले रहे हैं, 17 परसेंट वैट आप डीजल पर ले रहे हैं। इतना वैट तो पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है। यदि आपको महंगाई कम करनी थी तो इस वैट को ही कम कर देते। जिससे महंगाई पर कुछ तो अंकुश लगता। मान्यवर, अभी बात हुई थी कि पूरी नहरों की सफाई कर दी गयी है। मैं और जगहों की बात नहीं करता, मैं आगरा लोअर कैनाल और आगरा टर्मिनल और इरादत नगर रजबाहें की बात करता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन नहरों की सफाई पूरे साल में एक दिन भी नहीं हुई और रोस्टर के अनुसार 15 दिन वहां पर पानी पहुंचना चाहिए था। तीन चार दिन में पानी आया और पानी गायब हो गया। किसानों ने आंदोलन की धमकी दी और इसके बाद भी अभी तक नहरों के अंदर पानी नहीं आया है। आज मैं विद्युत की बात थोड़ी कर रहा हूं। अभी बताया गया कि साहब आपने 9 परियोजनायें लगायी हैं। मेरे ख्याल में तो हमारा एसईजेड का क्षेत्र है, जिसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि इसके लिये 24 घंटे अबाध रूप से विद्युत सप्लाई दी जायेगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमको 4 से 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। आपने बताया कि पीपीपी के तहत टोरंट को सारी की सारी विद्युत इनपुट सप्लाई की फ्रैंचाइजी देने का काम किया गया है। टोरंट ने ऐसी हालत खराब कर रखी है कि जो मीटर लगे हैं उनको उखाड़ रहे हैं। बड़े-बड़े बिल भेज देते हैं, रोजाना लड़ाईयां हो रही हैं और कानून व्यवस्था टोरंट के कारण आगरे की पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। मैं चाहता हूं कि इससे बढ़िया तो पहले की पुरानी व्यवस्था थी उसी को बना दिया जाय। अभिभाषण में बताया गया कि सफाई कर्मचारियों के 94000 लोग लगाये गये है। मैंने आज तक किसी सफाई कर्मचारी को गांव में सफाई करते नहीं देखा है। बताने को 94000 आदमी सफाई का काम कर रहे हैं। मनरेगा के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अन्त में क्योंकि मान्यवर, आप जल्दी कर रहे हैं, इसलिये दो तीन बात आपसे कह करके खत्म करूंगा। मेरे क्षेत्र फतेहाबाद के अन्दर 25-26 तारीख को डरे लाल पुत्र रतन सिंह की हत्या हो गयी है, डेढ़ लाख की लूट हुयी है। आठ दिन हो गये हैं और पुलिस यह भी पता नहीं कर पायी है कि किस आदमी ने यह किया है। मैं चाहूंगा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री इसका संज्ञान ले लें और इसके बारे में देख लें। दो तीन बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि पूरे बजट में आगरे के लिये तो कुछ है नहीं। सिर्फ एक पाल डाल बुलन्दशहर से जो पानी आ रहा था गंगा से उसके बारे में 5-6 करोड़ रखा था। उसके अलावा आगरा के लिए कुछ नहीं है। एक रिंग रोड की बार-बार बात होती है और वह रिंग रोड भी पता नहीं कब बनेगा, जब उसमें इतना अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है कि किसान इसके लिये आन्दोलित है मुझे लगता नहीं कि वह बन

पायेगा मेरा बस इतना सुझाव है कि एक अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाए आगरा के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाये। आलू उद्योग को बढ़ाने के लिए आलू प्रसंस्करण पार्क बन जाए और साथ-साथ एक बैराज बन जाए तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। हमने इस विषय पर संशोधन प्रस्ताव दिये है और हम आशा करते हैं कि सरकार इन संशोधनों को इस अभिभाषण में इनक्लूड करेगी, आपने हमें टाइम दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सनातन पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखने का हमें मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया गया और राज्यपाल का सदन में आना और बिना पढ़े सदन से चला जाना। अगर मैं कुछ कहूं तो यह कहां जायेगा कि आप लोग सदन छोड़ दिये थे, आप सदन में शोर मचा रहे थे इसलिए उन्होंने बात नहीं कहीं और पहला और अंतिम शब्द पढ़कर लौट गये। मान्यवर, इस हिन्दुस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि जब राज्यपाल या बैठा हुआ राजा अगर सही मौके पर सही बात नहीं कहा है तो राज्य भी समाप्त हो गया है और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। किस बात का धन्यवाद प्रस्ताव हो जहां एक संगठित अपराध हो रहा हो। वह भी संगठित अपराध एक औचित्य में नहीं हो अगर हम वन विभाग की बात करते हैं तो अवैध पेड़ों की कटान थाने से लेकर डी0एफ0ओ0 तक की जानकारी में है। उससे बात करते है। तो कहता है कि ऊपर तक इसकी जानकारी है। सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में घटिया किस्म का काम हो रहा है, पुलिया बनते ही ढ़ह जा रही है, वह भी संगठित अपराध में आता है। अगर निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं और पुलिया गिर जाए सड़क ध्वस्त हो जाये तो यह भी संगठित अपराध में आता है। पूर्वांचल में धान की खरीद किसानों से न खरीद करके बिचौलियों के माध्यम से खरीद करके किसी दूसरें लोगों को फायदा पहुंचाने का काम और किसानों के हित की बात कहीं जाती है, यह भी संगठित अपराध है। अगर हम चीनी मिलों की बात करते हैं तो बेताल की चीनी की मिल को जो आपने लगभग पौने पांच करोड़ में बेचने का काम किया है, अगर उस चीनी मिल की जमीन के सर्किल रेट को देख लिया जाए तो जितनी जमीन का सर्किल रेट है उससे कब दाम में आपने चीनी मिल को बेचने का काम किया है। यह भी एक संगठित अपराध है। जमीन की कीमत सर्किल रेट के आधार पर है बन रही है 1280 लाख और आप बेचते हैं चीनी मिल को पौने पांच सौ लाख में तो यह भी एक संगठित अपराध है। पूर्वांचल में भट्टे का कारोबार करने वाले को छूट भट्टे का कारोबार करने वालों को देशी दारू बनाने की छूट है। बार-बार लोग इस दारू को पीकर मर जाते हैं, उसमें दरोगा से लेकर आबकारी विभाग तक मिला है। उसको संगठित अपराध करने की छूट है। यूरिया खाद की कालाबाजारी करने की छूट। किसी बात को सदन में कहा जाता है तो उसके लिए सरकार द्वारा दिया गया उत्तर उसका पत्र मैंने मा0 राज्यपाल महोदय को भी भेजा था। हत्या हो जाती है तो पूछा जाता है कि नाम बता दीजिए, नाम खोजे जा रहे है। चाहे पुलिस तंत्र हो या चाहे सरकारी तंत्र वह सारा-का-सारा तंत्र आज की तारीख में ध्वस्त हो चुका है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं हमको लगा है कि राज्यपाल महोदय, इसलिए सदन छोड़कर चले गए क्योंकि आज यह अभिभाषण

पढ़ने के बाद वह अपने आपको महसूस करते कि हम भीष्म की भूमिका में आ गये है इसलिए उन्होंने सोचा कि यह बेहतर है कि इस भाषण का पढ़े ही नहीं और वे बिना भाषण को पढ़े ही चले गये।

श्री सनातन पाण्डेय-

उन्होंने अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं और बिना पढ़े हुए ही वापस चले गये और वह गलती भीष्म जैसी कर बैठे और उसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने की बात हम कर रहे हैं, सरकार के लोग जो जनहित की बात कर रहे हैं, यह घोर अपराध है और अगर इसी तरह से घोर अपराध करते रहेंगें तो जनता माफ नहीं करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री सनातन पाण्डेय-

मान्यवर, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं, चूंकि मेरे बोलने का मकसद नहीं होता है, हम कुछ भी कहते हैं, उधर से न में जवाब आ जाता है, चूंकि इस समय बहस का मुद्दा नहीं है। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में मुझे जो लगा हम उस पर आपसे कह रहे हैं, हम जानते हैं, गांव का चौकीदार जानता है, गांव का प्राईमरी विद्यालय खोलने वाला मैनेजमेण्ट जानता है, प्रदेश की जनता जानती है कि बिना यह घूस की धनराशि लिये किसी भी विद्यालय को मान्यता नहीं मिलती है और वह जो हाथ पर हाथ धरे बेठे हुए हैं, हम आरोप लगाते हैं क्या इसकी जानकारी राज्यपाल महोदय को नहीं थी। सेण्टर बनाने के नाम पर पैसा लेना गांव का गरीब पढ़ने वाला हाईस्कूल का छात्र जानता है, सरकार को जानकारी नहीं हैं। यह टोटल एक संगठित अपराध में जुड़े हुए सारे लोग हैं, उनके वाक्यों को पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने को वापस कर लिये। मैं चाहता हूं कि जिन बातों को मैं संज्ञान में लाया हूं, यह सब उसमें हमारे प्रस्ताव को जोड़ा जाय, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद्।

डॉ0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, हृदय से आभारी हूं, पर जैसा कि हमारा मानना है, हम सदन में बैठे हुए लोग भी शायद सत्यता के उतने नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं, सत्य के नजदीक होता है तो वह आम आदमी है जो महात्मा गांधी जी के शब्दों में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा होता है और उस आम आदमी की जो चर्चाएं होती हैं चौराहे पर या चाय की गुमटी पर खड़े होकर या पनवाड़ी की दुकान पर, उन सबसे पता लगता है कि आखिर सरकार के बारे में लोगों की राय क्या है और मेरा मानना यह है कि चाहे हम विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोाग हों कहीं न कहीं वायस्ड होते हैं, हमारी जो राय होती हैं उनमें कहीं न कहीं डेवियेशन हो सकता है, लेकिन आम आदमी जो बात कहता है वह सत्य हुआ करती है। माननीय अधिष्ठाता जी 04 तारीख को महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अभिभाषण इस सदन में अपना प्रस्तुत किया और 05 तारीख को इस सूबे की मुखिया मेरे जनपद में आकस्मिक दौरा करने गई, संयोग की बात, 05 तारीख की ही बात है और वहां जब वह सिकंदराराउ

में पहुंची तो उनका घनघोर विरोध किया और विरोध किस कारण से हुआ, विरोध इसलिए नहीं हुआ कि वह मुख्य मंत्री का विरोध करना चाहते थे, विरोध इसलिए हुआ कि पीड़ित लोग मुख्य मंत्री को अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे और पुलिस उनको धकिया रही थी और उनको लठियाने का काम कर रही थी। इसके बाद शाम के वक्त मुख्य मंत्री जी अलीगढ़ में गई वहां के एपीसोड भी अखबारों में पढ़ लिया होगा आप लोगों नें, लोग-बाग अपनी तकलीफ बताना चाहते थे और पुलिस उनको लठियाने में लगी हुई थी, उसके बाद दो-तीन दिन बाद निरीक्षण शायद बस्ती वगैरह में किया, वहां क्या हुआ, छात्र और छात्राएं अपनी समस्या बताना चाहते थे, पुलिस वालों ने और अधिकारियों ने उन्हें लठिया कर भगा दिया। मैसेज जो चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में और एक बात और बता दूं यह सिकन्दराराउ में, अलीगढ़ में, बस्ती में सब जगह जो विरोध प्रकट करने वाले लोग थे और पीठ पर लट्ठ खाने वाले लोग थे वह सारे के सारे दलित समुदाय के व्यक्ति थे, जिनके लिए आप गला फाड़-फाड़ कर यह चिल्लाते हैं कि हमने दलितों के लिए यह कर दिया, सारे के सारे, मैसेज तो चला गया और अभिभाषण पर चर्चा इस सदन में क्या हो रही है, सरकार के क्रिया कलापों की चर्चाएं तो हर चौराहे पर हो रही हैं।

मान्यवर, आपने कहा कि दुग्ध व्यवसाय में हमने यह क्रांतिकारी कार्य कर दिया है। मान्यवर, हमारे यहां पराग का सेंटर है हाथरस जिले में वह बहुत बड़ा व्यवसाय करता था किसानों का उससे रोजगार मिलता था वह आज बंद पड़ा हुआ है। इसी तरह से, आपके बीसियों दुग्ध संघ बंद पड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि आपने सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाया है उसमें विकास किया है। मान्यवर, आपके ही आंकड़े कहते हैं कि 168 लाख हेक्टेयर में आप की खेती होती है। आपके बजट में है कि 254 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। आपने यह भी कहा है कि 65 लाख हेक्टेयर जमीन पर आप सिंचाई की सुविधा देते हैं। आप खुद ही देख लीजिये कि कहां पर 254 लाख हेक्टेयर जमीन और कहां 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और उसमें आप नहरों में कितना पानी पहुंचा पर रहे हैं। यह देखने की बात है और उनसे क्या सुविधायें मिल पा रही हैं किसानों को वह भी देख लीजिये आप किसी आम किसान से इसके बारे में पूछ लीजिए आपको वस्तुस्थिति पता चल जायेगी। मान्यवर, दिसम्बर माह से रजवाहों में पानी नहीं है। इस सूबे के नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों से मैं कह चुका हूं। हमारे यहां मध्य गंगा कैनाल है। 7 दिसम्बर से वहां पर यह स्थिति है मैं सभी अधिकारियों से बात कर चुका हूं एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि टिहरी में जो टनल निकलता है जिससे गंगा में पानी आता है और जिससे मध्य गंगा कैनाल संचालित होती है उसके ऊपर लैण्ड स्लाइडिंग होने के कारण वह टनल बंद हो गयी है। मान्यवर, इसके चलते हमारे यहां पूरी रबी की फसल सत्यानाश हो गयी। उस टनल की लैण्ड स्लाइडिंग की सफाई नहीं कर पाये हैं आपके इंजीनियर्स। फिर आखिर किन बातों के लिये आपका यह बड़ा भारी तंत्र बना हुआ है। नौ हजार क्यूसेक पानी मध्य गंगा कैनाल में आता था पूरी रबी का सीजन निकल गया वह पानी नहीं मिल पाया। आपके आंकड़े 3200 क्यूसेक और 3600 क्यूसेक की बात करते हैं। लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल पर रहा है। आज मान्यवर, यूरिया की क्या स्थिति है। 380 रुपये का कट्टा किसानों को मिल रहा है खुलेआम ब्लैक में किसानों को उसे लेना पड़ रहा है। यह तो आपकी स्थिति है। नये बीज के

बारे में इसमें कई जगह वर्णन किया गया है कि आप संकर बीज किसानो को देंगे और इसके लिए 30 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। आपने यह बहुत बड़ा प्रावधान कर दिया है जबकि यहां पर लखनऊ में पार्कों और स्मारकों के विकास के लिये आपने 122 करोड़ रु0 का प्रावधान कर दिया है और पूरे सूबे के किसानों के लिये 30 करोड़ का प्रावधान करके आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मान्यवर, यह लफ्फाजी भरी बातें नहीं हैं तो और क्या है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सुधर जाना चाहिए। मान्यवर, मैं बहुत दिनों से बिजली का सवाल यहां पर उठाता रहा हूं। आपने जो ट्यूबवेल के कनेक्शन किसानों को दिये हैं 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, वह पांच हार्स पावर के दिये थे। किसानों ने अपनी ओर से उसका लोड बढ़ाने के लिये कोई आवेदन नहीं किया है लेकिन आपने अपनी ओर से उसे दस हार्सपावर में बदल दिया है, साढ़े बारह हार्स पावर में बदल दिया है, 15 हार्स पावर में बदल दिया है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि किसानों को उसका तीन गुना अधिक बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। मान्यवर, बिजली की स्थिति जो है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि शक्तिशाली पम्प होता है टरबाईन का। आपने सबमर्सिबल पम्प की बात कह दी है। आपके इंजीनियर जो ऊर्जा को बचाने की बात कहते हैं उसमें मैकेनिकल डिवाइस है, सबमर्सिबल पम्प में डिजाइन की बात है, क्योंकि किसान सबमर्सिबल पम्प ठीक नहीं कर पाता है टरबाईन पम्प ठीक कर लेता है तो ऊर्जा की बचत को ध्यान में रखते हुए यदि उसमें तकनीकी सुधार कर लिया जाय तो उसको आप रेहट की तरह भी चलवा सकते हैं। मैंने बार-बार इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया है कि किसानों का उसी पांच हार्स पावर से ही काम चल जायेगा, उस सबमर्सिबल पम्प की जगह टरबाइन पम्प से वह चलवा दिया जाय, सरकार की तरफ से घोषणा हो जाय तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि बिजली का उत्पादन उसकी आवश्यकता से एक तिहाई भी नहीं आप कर पा रहे हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि बारा और करछना में पावर हाउस लग जायेंगे तो प्रदेश 2012 तक बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। लेकिन अब जैसे-जैसे 2012 नजदीक आता दिख रहा है तो उनके बयान बदलने लगे हैं अब वह कहने लगे हैं कि 2014 तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे। मान्यवर, न बाबा आयेगा न घंटी बजेगी और इनकी सीटें भी तब तक नहीं बच पायेगी इसलिए यह बार-बार यह कहने लगे हैं कि 2014 तक हम बिजली के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। मान्यवर, यह सब बातें मजाकबाजी नहीं हैं तो और क्या है। आप कहते हैं कि गरीबों को हम दवाइयां मुहैया करा रहे हैं जैनेटिक दवाइयां 1/10 और 1/5 के दाम पर उपलब्ध हो जाती है। मैंने दिल्ली में देखा है कि वहां जनऔषधि आउटलेट के नाम से सरकारी दुकाने खुली हुई है अस्पताल परिसरों के पास और जो गेरामाइसिन बाजार में गेरामाइसिन के नाम से 12 रुपये में मिलता है वह जेन्टामाइसिन के नाम से उसी कम्पनी का फ्लूफोर्ड का वहां ढ़ाई रुपये में उपलब्ध हो जाता है और उसके लिए केन्द्र की सरकार ने एक वर्ष पूर्व से यहां के लिए जनऔषधि आउटलेट खोलने के लिए पत्र भी लिखा है। गरीब के लिए यह बहुत बड़ी योजना है लेकिन अभी तक यह सरकार जनऔषधि आउटलेट खोलने के लिए कहीं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आई है। वे बात करते हैं कि बीपीएल के नीचे परिवारवालों को हम फ्री इलाज कर देंगे। नोट करिये

हाथरस जनपद जिससे मैं आता हूं उस तरह से 16 जनपद ऐसे है जिसमें सम्भवतः अक्टूबर या नवम्बर माह से स्मार्ट कार्ड की तारीख निकल चुकी है और नये स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। आप बात करते हैं कैंसर और गुर्दा प्रत्यारोपण और हार्ट की सर्जरी के लिए हम बहुत बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है एक बहुत गरीब बालक के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री के पास खुद चलकर गया, मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जिस दरवाजे पर मैंने उसके लिए प्रयास न किया हो लेकिन उसके लिए एक रुपया मंजूर इस शासन से नहीं करा पाया। कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं अधिष्ठाता जी, हम लोग यहां आते हैं किसी को नहीं पता कि पक्ष का है या विपक्ष का, शायद यह पीड़ा पक्ष के लोगों को भी होगी शायद वह न करा पायें। आखिर कोई गरीब आदमी हमारे दरवाजे पर रोता हुआ आये उसका जवान बेटा जा रहा हो उस विधवा औरत का और उसके लिए दो ढ़ाई लाख रुपये की व्यवस्था हम शासन से न करा पायें तो यह तंत्र इसको नपुंसक के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता और हमारे यहां बैठने को व्यर्थता के अलावा अपने जीवन को व्यर्थ करना, अपने समय को व्यर्थ करने के अलावा और कुछ नहीं है। मान्यवर, बहुत सारी चीजे हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं लेकिन मैं देख रहा हूं अब आपकी आंखे टेढ़ी होने लगी है इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, मुझे खेद है कि राज्यपाल जी ने इन सब चीजों के बारे में न अपने अभिभाषण में कहा है और न कोई जिक्र किया है। मान्यवर, यह जो अभिभाषण होता है राज्यपाल जी का यह आइना होता है, कोशिश करती है सरकार कि उस तरह से पेश करें राज्यपाल जी का यह अभिभाषण कि जिससे आइना लगे कि उन्होंने हमारे प्रदेश के बारे में जो बताया है वह हम करने जा रहे हैं। मान्यवर, आप यह पढ़कर देखियेगा आपसे भी अर्ज कर रहा हूं और मंत्री जी से भी कर रहा हूं इसे देखियेगा, मुझे तो कुछ लगा नहीं, मुझे तो कुछ आंकड़े और कुछ नम्बरों के अलावा इसमें कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी जो पिछली बार न आई हो। अगर आप पिछली बार का देख ले और इस बार का देख ले तो तकरीबन एक है। मान्यवर, बजट भी पेश हुआ और यह भी साथ-साथ हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए राज्यपाल जी ने कोई जिक्र ही नहीं किया उन्होंने सोचा कि जिक्र ही नहीं करते कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कोई चीज है, कोई जगह है। यह प्रदेश का एक इतना बड़ा भाग है जिसमें तकरीबन 5 करोड़ आदमी रहता है, इसकी उपलब्धियां बहुत है जिसमें इतना इंसान बसता है उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। आप प्रदेश के और भागों को पैसा भी देते हैं उनकी तरक्की के लिए बाकायदा बात भी करते हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आपको कोई बात करना गवारा नहीं। मैं आपके सामने इस सदन में इस अभिभाषण के ऊपर बोलते हुए यह बात भी कहना चाहता हूं प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं और आपसे कहता हूं कि आप भी रखो और भेजो भारत सरकार को क्योंकि वह भी कह रहे हैं कि आप भेजते नहीं है और आप और हम चाहते नहीं हैं तो जब 18 करोड़ का प्रदेश आपसे चलता नहीं है तो उसे बांटो। एक प्रस्ताव करिये और कल ही करिये और भेजिये भारत सरकार को।

(इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और फिर कहिये कि हमने वायदा किया था और हमने भेज दिया क्योंकि आप इस सदन में यह वायदा कर चुके हैं। आप प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव भेजिये। आपने बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और न आपने किया अपने अभिभाषण में। आपने और सारी बातों का जिक्र किया लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र नहीं किया तो जब आप हमें मानते ही नहीं हो, जब चाहते ही नहीं हो तो प्रस्ताव करो क्योंकि यहां आप यह कह चुके हो कि हम भेजेगें और वह प्रस्ताव मांग रहे हैं। आप भेज दीजिये तो कुछ काम आगे बढ़े। मान्यवर, एक अरसे से मांग है इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और इसमें आप विवाद करे कि इसे सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी या प्रधान मंत्री करेगें, कोई भी करेगा लेकिन आप प्रस्ताव भेजिये। आप यह प्रस्ताव दें और लगे कि आप देना चाहते हैं। वहां 5 करोड़ जनता सहारनपुर से लेकर इलाहाबाद तक 700 किमी0 का सफर करती है सिर्फ न्याय पाने के लिये। हमें न्याय मिल जाये और मान्यवर, जस्टिस डिनाइड इज नाट गिवेन, जब आप न्याय देना नहीं चाहते, लेट करते हैं तो आप देना भी नहीं चाहते। आप यह प्रस्ताव भी दीजिये और पहल करिये। यह छोटे-मोटे आंकड़े पता नहीं सही है कि भी नहीं। ऐसा कोई ठोस काम करिये कि लगे कि सरकार ने कुछ काम किया है। आप दो प्रस्ताव कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर एक हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिये। आपके यहां तो दो हैं एक इलाहाबाद हाईकोर्ट है और एक बेंच है। यहां होनी चाहिये इसके बारे मे आप कहिये तो कुछ पता चले कि यह सरकार कुछ डिफरेंस है। सरकार कुछ अलग सी है और कुछ करना चाहती है। आप हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर कहीं भी बेंच दे दें, हम उसे स्वीकार कर लेगें। आप जहां भी करेगें हम तैयार हैं। तो फिर यह लगेगा कि यह वह सरकार है जो सरकार वाकई कुछ अलग सी बात करना चाहती है। मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाह रहा था आपने यह बहुत जोरदारी से कहा है कि हमने 40 रुपया बढ़ा दिया। पिछले साल 65 मिला था आप 40 दे रहे हो तो बढ़ा दिया कि घटा दिया। आपके यहां भी किसान होगें, हम सब लोग यहां किसान हैं, पहले 70-75 के हिसाब से लेते थे, आप 40 से 45 देने लगे आपने घटा दिया कि बढ़ा दिया ? पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा आपका डीजल पेट्रोल है जिससे किसान की उपज पैदा होती है। वह इसलिये महंगा है कि आपका टैक्स सबसे ज्यादा है। अगर आप हमारी तरफ चले तो वार्डर पर चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो तो उत्तर प्रदेश के लोग वहां से डीजल-पेट्रोल लेते हैं। उन्हें आप पकड़ते हो और कहते हो कि आप ब्लैक कर रहे हो। अब अगर ब्लैक न करें तो वह करें क्या। जब आप किसान की छोटी सी चीज जिससे वह उपज पैदा करता है, नहीं दे पा रहे हो तो आप इसे सस्ता करिये और कहिये कि हमें किसान का ध्यान है। आप कल ही प्रस्ताव लाइये और कहिये कि 20 प्रतिशत हमारा टैक्स है और 4 प्रतिशत सरचार्ज है, हम उसको दिल्ली, हरियाणा के बराबर कर देते हैं बजट में तो आपने तमाशा किया है। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। आपने कहा कि हमने एक छत के नीचे जो उद्यमी को दिया है उसमें 22 हजार 9 सौ लोगों को उद्यमी बना दिया और उन्होंने 2 सौ करोड़ रुपए लगा दिये और 1 लाख 90 हजार लोगों को इम्प्लाईमेंट दे दिया। किसी चाय और पान की दुकान का पंजीकरण कर लिया क्या आपने ? मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप केवल चार उद्योगों के नाम हमें बता दें जो उद्योग कहलाते हो, जो इस मरतबे के हों जिस मरतबे का प्रदेश है। सबसे बड़ा प्रदेश है सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश हैं

और महान प्रदेश कहलाता है, मुझे केवल चार उद्योग बता दीजिए जो मल्टीनेशनल क्लास की हों, जो बड़ी कम्पनियां हों।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

पहले पूरा अभिभाषण पढ़ लें।

श्री कौकब हमीद खां-

हमने पढ़ लिया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं मानता हूं और आप भी मानते हो कि बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है सबसे अच्छा प्रदेश है, 18 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 403 एम0एल0ए0 भेजता है, 80 एम0पी0 भेजता है। तो इस प्रदेश के अन्दर कम से कम चार उद्योग तो ऐसे होने चाहिए जिनका आप नाम ले सकें। उसके बाद आपने यह कहा कि हमारी विकास दर 7.4 से बढ़कर 7.6 हो गई। आपको विकास दर कैसे बढ़ेगी, विकास दर तो तभी बढ़ेगी जब विकास की कुछ चीजें आयेंगी लेकिन वह तो आयी ही नहीं। आपने बताया कि हमने एक्सप्रेस-वे बना दिया। वहां आपने जो कारनामा किया है वह यह है कि 20 साल के अन्दर अपना गेहूं और रोटी मांगने लगेंगे, आखिर चावल कहां पैदा होगा ? आपका विकास दर 6.6 आता है और पिछले साल आपने 7.4 बताया था। यह और कम होती चली जायेगी, आखिर आपने बढ़ेंगे कैसे, विकास दर तो तभी बढ़ेगी जब आपने उद्योग लगाये हों या कोई और कारनामा किया हो। तो मान्यवर, यह चीजें सोचने की हैं कि आखिर प्रदेश के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। कानून व्यवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि कानून-व्यवस्था पर पूरे दिन बहस हुई है। यह सारी सोचने के लिए बहुत बड़ी बाते हैं, आप मानो या न मानो। महिलाओं के साथ आज क्या तमाशा हो रहा हैं, रेप के केसेज पर आज जितना डिस्कशन हुआ है इस तरह से डिस्कशन जब से सदन बना कभी नहीं हुआ। यहां रेप के केसेज इस तरह से बया हुये हैं कि जब से यह सदन बना, कभी नहीं हुये होंगे। 25-30 साल से तो मुझे याद है। उससे पहले भी इस तरह से रेप के केसेज के बयान नहीं हुये होंगे। यह इनके लिए शर्म की बात नहीं है, खुशी की बात है। सबसे बड़ी घिनौनी बात यह है जैसे मैंने अभी कहा तो, जब जवाब आयेगा तो कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में तो इतने हुए थे, मेरी सरकार में इतने हुए। अरे भई, हम कमीने थे, गलत थे। तुम तो बढ़िया हो, तुम तो अच्छे हो, जोरदार हो, तुम्हारी आवाज में ताकत है, तुम्हारा रसूख चलता है, तुम्हारा कानून चलता है, तुम तो कर लो। आज तुम सत्ता में मौजूद हो तो जवाब कौन देगा ? यह शर्म की बात है कि हमने आज सारा दिन सिर्फ रेप के केसेज के बारे में जिक्र किया। 13 एम0एल0ए0 जेल में हैं। जब एक एम0एल0ए0 जेल जाया करता था, तो आपको याद होगा, बाकायदा आपको लिखित भेजा जाता था कि यह जाने वाले हैं। अब तो वह किस्सा ही खत्म हो गया। मंत्री महोदय, एक गुजारिश है, हम सब जितने हैं कोई किसी वजह से यमुना नदी की पूजते भी है और परम्परागत रूप से नदियां हमारी पहचान मानी जाती हैं। चूंकि यमुना और गंगा बहुत पवित्र नदियां हैं और गंगा और यमुना का दोआब बहुत उपजाऊ होता है। 8 हाई-वे बन गये उसमें जमीन चली गयी और 7.2 गांव एक कि0मी0 पर खत्म हो जायेंगें, एक लाख 7 हजार गांव मे से उत्तर प्रदेश के अन्दर 23 हजार गायब, आठ हाई-वे बनेंगे। यह बड़ी हैरानी की बात है। सहारनपुर से लेकर

दिल्ली तक यमुना खाली, अभी जून में और खाली हो जायेगी, रिवर-वेड में गाड़ियां दौड़ रही हैं। मैंने उसकी फोटो भेजी है आपको, आपने भी देखा होगा, गाड़ियां चल रही हैं।

आप उस यमुना के पानी को भी सुरक्षित नहीं रख पाये, आप वह नहीं कर पाये जो आपका हर तरह से जिम्मा बनता था। चाहे मजहबी हिसाब से ले लो, चाहे पानी की जरूरत के हिसाब से ले लो। उस पर 30-40 हजार आदमी खरबूजे और तरबूज का फसल बोता था जिसके अन्दर पानी की नमी होना जरूरी है नहीं तो वह सूख जायेगा। आप कहते हो कि सबसे शक्तिशाली प्रदेश हैं। हरियाणा ताजीवाला से पानी ले गया और तुम रोक नहीं पाये, हरियाणा का आदमी आपके एस0डी0एम0 को उठाकर ले गये, आपके एस0डी0ओ0 को उठाकर ले गये। वह शक्तिशाली हैं। 120 कि0मी0 तक यमुना गायब हो गयी। आपने अपने बजट भाषण में 3000 करोड़ रुपया जो प्रधान मंत्री सड़क योजना का है उसको आपने अपने बजट में दिखा दिया, उसमें आपका क्या है। वह न आपका पैसा है न उससे आपका लेना है न देना है, उससे आपका क्या मतलब ? वह भारत सरकार का पैसा है, वह रोक देगी तो आप बैठ जायेंगें। जैसे इस वक्त रोक रखा है। रायबरेली और अमेठी के अलावा और कहीं काम नहीं हो रहा है। आपने कुछ कह दिया उन्होंने रोक दिया। अब 3000 करोड़ रुपये को लिख दिया अपने बजट में। उस बजट की बनी सड़कों से आपका कोई मतलब नहीं है तो फिर अपनी उपलब्धि में क्यों लिख रहे हो ? आप यह लिखते कि यह हमारी उपलब्धि नहीं थी और हमारा 16000 करोड़ रुपया रूक गया। आपसे नाराज हो गये क्योंकि आपके मंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया था उन्होंने देना बंद कर दिया। यह बात सही है, इसमें हम आपके साथ हैं, क्यों देना बंद कर दिया मंत्री हमारा है तो हमारे मंत्री ने पत्थर लगा दिया। वह आपकी उपलब्धि नहीं है। खैर किसी की भी हो। आपने 9,700 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर में बिजली और रोड दोनों के लिए लिख रखा है। यह बिजली में हैं या रोड में है यह नहीं लिखा। बिजली में भी आपका योगदान नहीं है यह भी राजीव गांधी ग्रामीण योजना जो आपने लिखा है के अन्तर्गत है। आपके पास गांव स्वीकृत करने का अधिकार है पैसा वहां से आता है लेकिन आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गायब कर रखा है वहां सारा काम हो रहा है क्योंकि वहां आपका मामला ठीक ठाक है हमारा भी ठीक ठाक है लेकिन यहां बहुत हिस्सेदारी हैं। जहां तक उद्योगों की बात है उद्योगों में कुछ नहीं है कोई भी उद्योग नहीं आया। मंत्री जी बैठे हुए हैं चार बड़े उद्योगों का नाम आप बता दें आप नहीं बता सकेंगे। नोण्डा और ग्रेटर नोएडा की आप बात करते है। लेकिन वहां भी कोई इण्डस्ट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। पुरानी इण्डस्ट्री में जिंदल पाइप भी बन्द है। वहां बड़ी यूनिट खत्म हो गई। नोएडा इसलिए बना था कि वहां एक्सपोर्ट की यूनिट लगें लेकिन नोएडा रेजीडेंशियल एरिया रह गया है जो लोग दिल्ली में पैसा कम होने की वजह से नहीं रह पाते हैं वह नोएडा में आते हैं। आपने योजना बनाई कि कामनवेल्थ में बहुत से लोग आएंगे इसलिए आपने होटल को इण्डस्ट्री मानकर उनके लिए टूरिज्म को इण्डस्ट्री मानकर आपने इण्डस्ट्री की भांति जमीन उपलब्ध कराई लेकिन वहां एक चार स्टार होटल छोड़कर कोई होटल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह सोचने की बात है आपकी जमीनें खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी न इण्डस्ट्री लगेंगी न फसल होगी तो हमारा अंजाम क्या होगा। यह तो वही बात हो गई कि हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हम भी बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमारी इण्डस्ट्री हो गयी बढ़िया हो गयी लेकिन इण्डस्ट्री लगेगी नहीं हम यह सोचें कि फसल चलो अच्छी हो गयी वह भी नहीं होगा

क्योंकि जमीन बचेगी नहीं तो आखिर हमें यह सोचना चाहिए कि इस अभिभाषण और बजट से असल में क्या हासिल होगा। ईमानदारी की बात करें तो आप हमें अलग कर दें हम अलग प्रदेश के चार हिस्से हो जाएं। आप चाहे चारों के चीफ मिनिस्टर बन जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं तभी कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। सिर्फ आठ नए हाईवे बनाकर मसला हल होने वाला नहीं है। 7.2 गांव एक कि0मी0 में खत्म हो जाते हैं यह सोचने की बात है इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

अध्यक्ष जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्तापक्ष द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव और विपक्ष द्वारा इसके विरोध में लाए गए प्रस्ताव और मौजूदा परिस्थिति में सरकार द्वारा जो एक किताब छापकर महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा इस उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता के नाम जो संदेश देने का काम बड़ी चतुराई से सरकार ने किया है उसके सम्बन्ध में मान्यवर कहना चाहता हूं कि इस किताब में कुछ ऐसा नहीं है जो सरकार की चार साल की उपलब्धियों को सही मायने में दर्शाता हो। माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के इतिहास में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको हिन्दुस्तान का दिल कहा जाता है। मान्यवर, चार साल के दौरान जबसे यह हुकुमत तशकील हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का मजदूर बुरी तरह से परेशान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की दशा तो यह है कि उनको सही वक्त पर पानी, सही वक्त पर खाद और उनकी फसल जब तैयार होती है तो उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। मान्यवर, किसान अन्नदाता है। इस सूबे का किसान गरीब होता जा रहा है। यह बात और है कि सरकार बड़ी चतुराई से अपनी उपलब्धियों के लिये अपनी पीठ थपथपा रही है। मान्यवर, सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत मजबूरी के आलम में अपनी जिन्दगी गुजर कर रहा है। जो किसानों की जमीन जमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर अधिग्रहीत कर ली गई और उनकी जमीनें छीन ली गई यह एक सपना था। इसके पहले भी सरकार ने दावा किया था कि जमुना एक्सप्रेस वे बहुत जल्दी बन जायेगा। नोएडा से बलिया तक आप बहुत जल्दी पहुंच जायेंगें लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि वह सपना कहां रहा ? वह बातें कहां रही ? इससे तो मुझे यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर यह नगर झूठा है, यह दावे झूठे हैं। मान्यवर, सिर्फ किताब में उत्तर प्रदेश की आवाम खुश है। उत्तर प्रदेश की आवाम यह महसूस कर रही है कि यहां कोई हुकूमत नहीं है। मान्यवर, मजदूरों का यह हाल है कि मजदूर उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। सरकार के पास इनके लिये कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे इन मजदूरों के पलायन को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दो-तीन घंटे दी जाती है। गेहूं की फसल धीरे-धीरे डेवलप करके तैयार होने पर है लेकिन परेशानी है कि बिजली नहीं आती है। गांवों में कहां दो-तीन घंटे के लिये बिजली जा रही है। प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती हैं उनके बच्चे और वह भी बिजली का बल्व जलते हुए नहीं देख पाते हैं। विधान सभा में जो लोग चुनकर आते हैं उसमें से 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं। मेरा यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में बिजली दो-तीन घंटे से ज्यादा नहीं आती है। सरकार दावे कर रही थी कि हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। वह बिजली कहां चली गई? बिजली का पता नहीं है। गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात सरकार कर रही थी। चार साल इस सरकार को होने को है। आखिरी बजट इनका प्रस्तुत हुआ है। मान्यवर, मैं आपके

माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कल कारखाने नहीं लगे जिससे यह नौजवानों को रोजगार दे सकते। आज नौजवान शिक्षा लेकर दर-ब-दर रोजगार के लिये भटक रहे हैं। अगर इन्होंने कल-कारखानें लगाये होते तो वे नौजवान इन कल कारखानों में नौकरी पा जाते। अभी एक हृदय विदारक घटना हुई आई0टी0वी0पी0 की 400 नियुक्तियां थीं मान्यवर, जिसमें दस लाख लोग आ गये। किस तरह से उनकी मौत हो गई, यह इसी गरीब किसान के बेटे थे मान्यवर, प्रदेश में कोई कल-कारखाना नहीं है। इनकी रोजी-रोटी का कोई इन्तजाम नहीं है। सरकार का यह दावा कि हम नौजवानों को नौकरी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। कब नौकरी मिलेगी मान्यवर, 2012 तो चुनावी वर्ष होगा। यह सपना देखते-देखते चार साल हो गए। यह ख्वाब अधूरा है। सिंचाई के लिए मान्यवर, नहरें, चाहे वह सरजू परियोजना हो, चाहे वह घाघरा, गंडक की परियोजना हो, जो नहरें जहां पड़ी थी मान्यवर, एक मीटर भी नहीं खोदी गई, उन नहरों में पानी कब आएगा। जो नहरें जीवित हैं, जो नहरें चल रही हैं टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सूबे की यह दशा है मान्यवर, कानून-व्यवस्था की बात किसी से छिपी नहीं है। जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज क्या है। लम्बी बहस नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। सरकार की खुद में अपनी पीठ थपथपा लेना, एक गरीब, एक कमजोर, एक मजलूम, एक मुफलिस आदमी जब थाने पर जाता है तो उससे पहले पूछा जाता है लाइए क्या लाए हैं। लाइए, सुविधा शुल्क लाइए तब आपकी बात सुनी जाएगी। मान्यवर, यह असली दर्द बयां कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में, जब कोई गरीब किसान मजदूर तहसील जाता है या किसी अन्य सरकारी महकमें के कार्यालय में जाता है तो मान्यवर, वहां भी बगैर रिश्वत के कोई काम होने वाला नहीं है श्रीमान् जी, मान्यवर, कोई काम गरीब जनता का नहीं होने वाला है। मैं आपसे निहायत अदब से कहना चाहता हूं मान्यवर, कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। मंहगाई के बोझ से आम जनता, गरीब आदमी दबा जा रहा है। इसकी कोई योजना, गरीबी हटाने की कोई योजना, इस सरकार ने नहीं बनाई। हम लोग असेम्बली के माध्यम से, सवालों के माध्यम से, और आपकी कृपा से मैंने कई बार कहा, वित्त मंत्री जी से कहा, सरकार से कहा, कि डीजल पैट्रोल पर कुछ वैट घटा दीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैट की दर भारत के सारे सूबों से ज्यादा है, अगर यह वैट घट जाता तो स्कूटर चलाने वाले और पम्पिंग सेट में डीजल डालने वाले, छोटे और गरीब किसान मजदूरों को मंहगाई से राहत मिल जाती। लेकिन सरकार ने अनसुनी कर दिया, क्योंकि जब सरकार अपने ही हाथ से अपनी पीठ थपथपा रही है तो उसे गरीबों का दर्द क्या मालूम होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें आती रहती है और जाती रहती है। यही गरीब जनता सरकार बनाती है और यही गरीब जनता विपक्ष में बैठाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता भयानक और गम्भीर रोगों से त्रस्त है और वहां जीवन रक्षक दवाओं का अभाव है मान्यवर, इसलिए मुझे यह लग रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री जी हमारी बात से सहमत हैं हां-हां कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन बातों का संज्ञान लें। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश रहेगा, यहां का किसान रहेगा, यहां का मजदूर रहेगा, यहां का नौजवान रहेगा। सरकारें तो बनती और बिगड़ती रहती है यह सूबा सबका है। अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए 1857 से लेकर 1942 तक, 1947 में मुल्क आजाद हुआ इसमें कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं था। सारे गरीब किसान मजदूर, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, मद्रासी, जाट सारे लोगों ने मिलकर आजादी दिलाई थी। तब भारत आजाद हुआ था। मान्यवर, आपके पीछे, पूज्य बापूजी की तस्वीर लगी

हुई है जिन्होंने लगजरी गाड़ी का शौक नहीं किया। बड़ें होटलों की कामना नहीं की। इस हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए एक ही धोती पहनी, एक ही धोती ओढ़ी और तब स्वराज की मांग करके हिन्दुस्तान आजाद कराया। महान सपूतों ने, वह मां के बेटे थे, जिन्होंनें कुर्बानी दिया और कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। हमारे पूर्वजों ने यह सपना देखा कि यहां का देश आजाद होगा, यहां की जनता आजाद होगी, लोकतंत्र आएगा और प्रजातंत्र आएगा और प्रजातंत्र में सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको न्याय, सबको नौकरी, हरित क्रान्ति का नारा दिया गया था। किसान देश की रीढ़ हैं, किसान खेती में अन्न पैदा करेगा, किसान घी और दूध पैदा करेगा और लोगों को समर्थ बनायेगा लेकिन मान्यवर, न तो कोई पशुपालन की योजना बनायी गयी है, न आज तक उत्तर प्रदेश में कोई खेल नीति जारी की गई है। यहां के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, देश में नाम कमाने के लिए कोई खेल नीति आज तक नहीं बनायी गयी है। मान्यवर, हम आपसे कहा चाहते हैं कि जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल के किसी भी स्कूल को इस सरकार ने ग्राण्ट लिस्ट में नहीं लिया है, अनुदानित नहीं किया है। 4 वर्ष की अवधि में किसी भी स्कूल को अनुदानित नहीं किया गया है, उनको अनुदान सूची पर ला दिया गया होता तो उन स्कूलों के कर्मचारियों के बच्चों की होली और दीवाली अच्छी हो जाती। मान्यवर, इस सरकार में यह शिक्षा की दशा है, भूख से शिक्षक स्कूल जायेगा, वह चाहता था कि ऐसी लोकप्रिय सरकार होगी कि वह ट्रेजरी से तनख्वाह दिला देगी। मान्यवर, हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहते हैं कि यह गंभीर विषय है, लाखों लाख परिवार पल रहा है, अगर आज यह जरा सी भी सोंच लें, यह और बात है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह गंभीर मुद्दे हैं, प्रदेश के लिए और मान्यवर, इसमें हर सरकार ने उदारता दिखाई है, बड़े दिल का सबूत दिया है, आप भी बड़े दिल का सबूत दीजिए। मान्यवर, अकलियत जो 20 परसेण्ट उत्तर प्रदेश की आबादी है, अकलियत के मदरसे जो हैं, मंत्री जी कह रहे थे कि हमने 100 मदरसे लिए हैं, लेकिन उन मदरसों की अभी तक राजाज्ञा नहीं जारी की गई है। मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे बेगम हजरत महल रही हों, चाहे बहादुर शाह जफर रहे हों, चाहे अशफाकउल्ला खां रहे हों, जो ठाकुर रोशन सिंह के साथ काकोरी काण्ड में थे, जिन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटने का काम किया था, अंग्रेजों के खिलाफ। मुसलमानों ने दस्तकारी में, हस्तकला में बड़ा नाम किया है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्पसंख्यक विभाग, जिले से लेकर सूबे तक महानतम् घूसखोरी का शिकार हो गया है। मंत्री जी बैठे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, चार साल में मदरसे की राजाज्ञा आज तक जारी नहीं की गई है, पिछली सरकार ने 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लिया था। मान्यवर, नियमों के तहत् मैंने उठाया था और आपने कृपापूर्वक मेरी नोटिस का संज्ञान लिया था, लेकिन आज तक अरबी-फारसी मदरसों की राजाज्ञा जारी नहीं की गई है। आज तक उनकी इन्क्वायरी कराई जा रही है, कमरों को इंच और फीट से नापा जा रहा है और मंत्री जी कहते हैं कि राजाज्ञा जारी कर दी है। लेकिन मान्यवर, सत्यता यह है जो मैं कह रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो सपना था कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, मान्यवर, पिछली सरकार ने नदियों पर जहां पुलों का निर्माण कराया था, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हमारे गोण्डा जनपद में बिसुही नदी पर एक सिंगार घाट का पुल बना था, 90 से 95 प्रतिशत काम उसमें हो गया है, मैंने विधान सभा में भी उठाया कि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है, सीधे तहसील को जाता है, आज तक वह काम अधूरा पड़ा है और सरकार कह रही

कि हमने बगैर भेदभाव के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। मान्यवर, हमने इस कार्यसूची में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना संशोधन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और मैं आपकी पीठ से व्यवस्था भी चाहता हूं कि हमारा जो संशोधन लगाया गया है उसको पूर्णतयाः पालन करके विकास का कार्य करा दिया जाये। मान्यवर, प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बड़ा खतरा है। जब किसानों की फसल तैयार होती है तो उसमें सुअर और अन्य तमाम ऐसे जानवर पैदा हो गये हैं जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों की फसलों को इन जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, यह बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों की यातनाएं सहकर स्वराज आया है और पिछले 4 साल मे जनहित में ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे आम आदमी को कोई फायदा पहुंच रहा हो। इसलिए अध्यक्ष जी, आपकी विद्वता और दरियादिली का लाभ उठाते हुए हमें लोग सदन में इन बातों को लाते हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि प्रदेश के जो विकास कार्य हैं वह बगैर भेदभाव के किये जायें। मान्यवर, जो यह महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण है इसमें दर्शायी गयी बातें ऐसी नहीं है जिससे यह धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो। मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें यहां कहीं गयी है इस पर अमल होगा और आगे की कार्यवाही सूबे के विकास के लिए होगी। एक नारा था कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने संशोधन पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्य नारायण जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी है कि आपने हमें महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राम सागर अकेला जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्य मंत्री हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो गरीब की बेटी हैं, जाके पांव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। जब वे सरकार की तरफ से गरीबों, मजलूमों, वंचितों के लिए काम करती हैं तो जो यथास्थिति में रखने वाली ताकते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य इस प्रदेश के अन्दर कारखाने खोलने की बात बोल रहे थे तो हम याद दिलाना चाहेंगे 2 जून, 1991 सोनभद्र जनपद, देश में सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किये गये थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सार्वजनिक कारखाने थे निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित हुए थे। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कार्पोरेशन की तीन यूनिटें चुर्क डाला चुनार, संयुक्त क्षेत्र में संजय डालमिया को दिया गया था। कर्मचारियों ने विरोध किया था। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में मजदूरों पर गोलियां चलायी गयी थीं। 8 कर्मचारी और एक कर्मचारी का बेटा मारा गया था। तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रशासन अपने को बचाने के लिए 65 ज्ञात और 6 हजार अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज किए थे। सीमेंट निगम सार्वजनिक क्षेत्र में पुनः आया था। उसकी कहानी इधर सब लोग जानते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 65 ज्ञात और 6 हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमें दर्ज हुए थे। मुझे गर्व है। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे मा0 बहन कुमारी मायावती जी का, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं। जिन्होंने 65 ज्ञात और 6000 अज्ञात अपराधी जो बना दिये थे, उनको मुकदमें से मुक्त किया। साथ ही यह जो योजनायें

बहन जी के नेतृत्व में, खासतौर से सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, मान्यवर, कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, मान्यवर कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, मान्यवर, श्री कांशीराम जी, नगर विकास योजना, यह जो लागू किया गया है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिये है। आजादी के पहले खासतौर से गांव की सफाई शहर की सफाई तो होती थी लेकिन गांव की सफाई की तरफ आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी सरकार ने ध्यान दिया तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जिसकी मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। लोगों को रोजगार भी मिला और गांव की सफाई का रास्ता प्रशस्त हुआ। उसके अलावा आजादी के बाद से इतने लंबे समय तक शहर के गरीबों को जो नालों के किनारे रहकर अपना जीवन-यापन करते हैं, उनको सम्मान की जिन्दगी जीने का अवसर न मिले, किसी भी सरकार ने इस पर नहीं सोचा। अगर किसी सरकार ने सोचा तो हमारी नेता उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा। शहर के गरीब लोगों की भी पक्की छत वाला मकान मुहैया कराया। जो लोग इस प्रदेश के गरीब, मजलूम, वंचित लताड़े, पछाड़े गये लोगों को कभी सम्मान की स्थिति में खड़ा होते नहीं देखना चाहते। आज ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आज वह स्थिति बदल गयी है।

''गम भी सहना दुआ भी देना बेबसी का गया जमाना, गर हो जुर्रत गिरा दो
बिजली बना रहा हूं मैं आशियाना''

और वो मजबूत आशियाना गरीबों मजलूमों का बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बन रहा हैं। मैं मा0 अकेला जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बल देते हुये अपनी बात यहीं पर रोकना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की ''लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति'' ''अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2011-2012 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों-जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रत्यावेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

1-नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय-शुक्रवार, 11 फरवरी, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे तक।

2-नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय-सोमवार, 14 फरवरी, 2011 की अपराह्न 3.00 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में।

3-नामों की वापसी की तिथि का समय-मंगलवार, 15 फरवरी, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे तक।

4-निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान (क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रत्यावेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिये (ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन हेतु-सोमवार, 21 फरवरी, 2011 को विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष सं0-44'ख' में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा। उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम-निर्देशन पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय के समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 8 फरवरी, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

1-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेडिकल कालेज के पास मिर्जापुर गांव की भूमि अवैधानिक तरीके से अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री प्रमोद तिवारी की जनपद रायबरेली स्थित अठेहाडीह एवं उदयपुर रजबहा की रिमॉडलिंग के लिये स्वीकृत विश्व बैंक से करोड़ों रुपये की धनराशि में किये गये गबन के सम्बन्ध में है तथा 3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, पट्टी, आसपुर में इन्दिरा आवासों के निर्माण एवं वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण, तालाब के निर्माण आदि में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। 4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 5-श्री सुरेश कुमार खन्ना की पं0 राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी चिकित्सालय, शाहजहांपुर में हार्ट स्पेशलिस्ट, टेक्निशियन्स एवं सिटी स्केन मशीन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, 6-श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी शहर में नगर निगम व जलकल विभाग के कारण शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति एवं सीवरों के ओवरफ्लो से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 7-श्री जावेद अंसारी की उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय जौनपुर में आई0सी0यू0, सी0सी0यू0, वेन्टीलेटर, डायलिसिस की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 8-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी की कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज एफ0आई0आर0 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने एवं विधायक के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। 9-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की किसान सरकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर के कारण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 10-डॉ0 वकार अहमद शाह की बहराइच के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप अवशेष धन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, 11-श्रीमती मिथिलेश पाल की गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना, मुजफ्फरनगर स्थित रहमतपुर राजवाहे से माइनर की पटरी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 12-श्री जोखू लाल यादव की

विधान सभा प्रतापपुर, इलाहाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 13-श्री आरिफ अनवर हाशमी की प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 300 रुपये प्रति कुन्तल दिलाये जाने एवं बकाया गन्ना मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 14-डॉ0 राजेन्द्र सिंह की आगरा कैनाल, आगरा में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा 15-श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप देयों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

1-श्री सर्वेश कुमार सिंह,

2-श्री यशपाल सिंह चौहान,

3-श्री उदयभान करवरिया,

4-डॉ0 पी0 के0 राय,

5-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

6-श्री अशोक कंसल,

7-श्री लल्लू सिंह,

8-श्री छत्रपाल सिंह,

9-श्री भोला पासवान,

10-श्री रामपाल राजवंशी,

11-श्री विजय बहादुर यादव,

12-श्री दीनानाथ कुशवाहा,

13-श्री डी0पी0 यादव तथा

14-श्री अनूप कुमार गुप्ता।

अब हम उठते हैं, कल मिलेंगे 11.00 बजे।

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

दिनांक 8 फरवरी, 2011

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 261 विधान सभा (495)-31-3-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।